



विवरण पत्रिका एवं नियमावली

Information Brochure and Rules & Regulations

पी-एच.डी. पाठ्यक्रम
Ph. D. Programme
(पूर्णकालिक/ अंशकालिक)
(Full Time/ Part Time)

2026-27

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार

(यू.जी.सी. एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

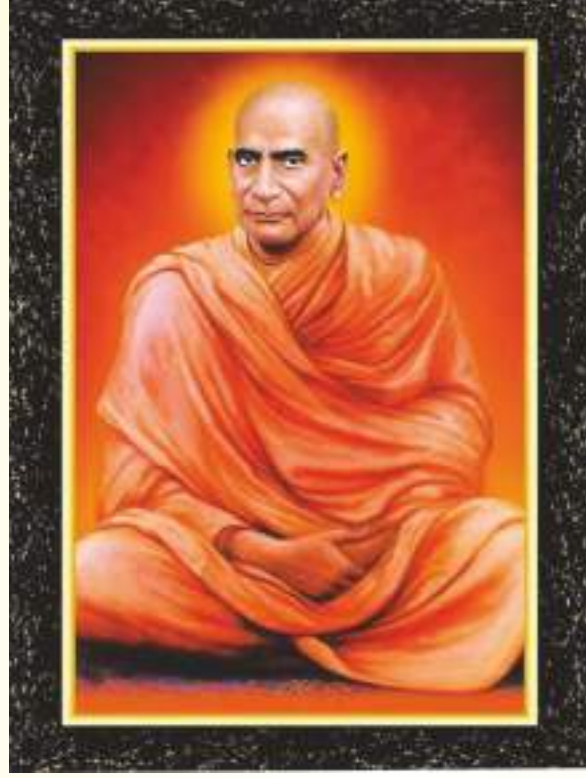
Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

Website: www.gkv.ac.in

ओ३म्

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक
The Founder of Gurukula Kangri Vishwavidyalaya



स्वामी श्रद्धानन्द जी

जन्म : 22 फरवरी 1856 तलवन

बलिदान : 23 दिसम्बर 1926 दिल्ली

Swami Shraddhanand Ji was the visionary founder of Gurukula Kangri in 1902, inspired by Maharshi Dayanand Saraswati's ideals. He established the institution to revive the ancient Indian gurukula system and promote Vedic education. The university aimed to blend traditional knowledge with modern sciences. His efforts played a key role in the Indian renaissance and nationalist education movement.

स्वामी श्रद्धानन्द जी ने 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जो महर्षि दयानन्द सरस्वती के विचारों से प्रेरित थी। उन्होंने प्राचीन भारतीय गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित करने और वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह संस्थान स्थापित किया। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय करना था। स्वामी जी का यह प्रयास भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कदम था।

**विवरण पत्रिका
एवं
नियमावली
पी-एच.डी. पाठ्यक्रम
(पूर्णकालिक/ अंशकालिक)**

**Information Brochure
and
Rules & Regulations
Ph.D. Programme
(Full Time/ Part Time)**

2026-27



गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार
(यू.जी.सी. एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)
Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

Website: www.gkv.ac.in

IMPORTANT INFORMATION

LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION

31.08.2026

APPLICATION FEE

₹ 200/-

PROCESSING FEE (At the time of counseling)

₹ 1100/- (Non refundable)

SUBJECTS AVAILABLE FOR PH.D. PROGRAMME

Code No.	Main Subjects
GKV-101	Sanskrit
GKV-102	Vedic Literature
GKV-103	Philosophy
GKV-104	English
GKV-105	Hindi Literature
GKV-106	Yogic Science
GKV-107	Ancient Indian History, Culture & Archaeology
GKV-108	Psychology
GKV-109	Management
GKV-110	Physics
GKV-111	Chemistry
GKV-112	Mathematics
GKV-113	Computer Science
GKV-114	Zoology

Code No.	Main Subjects
GKV-115	Environmental Science
GKV-116	Botany
GKV-117	Microbiology
GKV-118	Physical Education
GKV-119	Applied Science (Physics)
GKV-120	Applied Science (Chemistry)
GKV-121	Applied Science (Maths)
GKV-122	Computer Science & Engineering
GKV-123	Electronics & Communication Engg.
GKV-124	Pharmaceutical Sciences
GKV-126	Economics
GKV-127	Jyotirvigyan & Vedic Karmakand
GKV-128	Mechanical Engineering
GKV-129	Music

NOTE :

1. All information regarding admission shall be displayed on the notice board and the University website. The list of selected candidates will be uploaded on the University website. Hence, the candidates are advised to remain in touch with the website and the concerned department.
2. NET-JRF/NET/GATE/CEED and similar level national tests are only eligibility tests for the Ph.D. course. The eligibility of the candidates will be valid for the academic session 2026-27 only.
3. The candidates who have qualified NET-JRF/NET/GATE/CEED or similar level national tests will be called for an interview before the Departmental Research Committee (DRC). In the interview, the candidates are required to discuss their research interest/area through a presentation before the Departmental Research Committee.

All information regarding admission shall be displayed on the notice board and the University website. The list of selected candidates will be uploaded on the University website www.gkv.ac.in. No information regarding this shall be sent by post.

महत्वपूर्ण जानकारी

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

31.08.2026

आवेदन शुल्क

₹ 200/-

प्रोसेसिंग शुल्क (परामर्श के समय)

₹ 1100/- (वापसी योग्य नहीं)

पी-एच.डी. पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध विषय

कोड संख्या	मुख्य विषय	कोड संख्या	मुख्य विषय
GKV-101	संस्कृत	GKV-115	पर्यावरण विज्ञान
GKV-102	वैदिक साहित्य	GKV-116	वनस्पति विज्ञान
GKV-103	दर्शनशास्त्र	GKV-117	माइक्रोबायोलोजी
GKV-104	अंग्रेज़ी	GKV-118	शारीरिक शिक्षा
GKV-105	हिंदी साहित्य	GKV-119	अनुप्रयुक्त विज्ञान (भौतिकी)
GKV-106	योग विज्ञान	GKV-120	अनुप्रयुक्त विज्ञान (रसायन विज्ञान)
GKV-107	प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व	GKV-121	अनुप्रयुक्त विज्ञान (गणित)
GKV-108	मनोविज्ञान	GKV-122	कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी
GKV-109	प्रबंधन	GKV-123	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी
GKV-110	भौतिकी	GKV-124	भेषज विज्ञान
GKV-111	रसायन विज्ञान	GKV-126	अर्थशास्त्र
GKV-112	गणित	GKV-127	ज्योतिर्विज्ञान एवं वैदिक कर्मकांड
GKV-113	कंप्यूटर विज्ञान	GKV-128	यांत्रिक अभियांत्रिकी
GKV-114	जन्तु विज्ञान	GKV-129	संगीत

नोट :

1. प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनाएँ समविश्वविद्यालय वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड पर लगायी जायेंगी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची समविश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध की जायेगी। अतः अभ्यर्थी वेबसाइट एवं सम्बन्धित विभागों के सम्पर्क में रहें।
2. NET-JRF/NET/GATE/CEED एवं इसी तरह की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पी-एच.डी. पाठ्यक्रम के लिए एक पात्रता परीक्षा मात्र है। अभ्यर्थियों की अर्हता केवल इसी सत्र 2026-27 के लिए ही मान्य होगी।
3. NET-JRF/NET/GATE/CEED एवं इसी तरह की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को विभागीय शोध समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी की रुचि/क्षेत्र के संबंध में विचार विमर्श किया जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त भी यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित विषय में वह सीट रिक्त मानी जायेगी।

प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनाएँ समविश्वविद्यालय वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड पर लगायी जायेंगी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची नोटिस बोर्ड एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट www.gkv.ac.in पर उपलब्ध की जायेगी।

DETAILS OF NO. OF SEATS AVAILABLE IN DIFFERENT SUBJECTS FOR Ph.D. PROGRAMME (2026-27)

Following Main Subjects (Table 1) are available in the various faculties of the University in which Ph.D. Degree shall be awarded. This table also lists the Allied Subjects/ Disciplines and the No. of Seats available for the award of Ph. D. degree in Main Subject. A candidate is permitted to apply for more than one subject.

Table 1: Main Subjects, Allied Subjects/ Disciplines and No. of Seats

Code No.	Main Subjects	Allied Subjects / Disciplines	No. of Seats*
GKV-101	Sanskrit	Ved, Vyakaran, Sahitya, Dharmshastra	0
GKV-102	Vedic Literature	Sanskrit, Philosophy, Yoga, Ayurved, Jyotish & Karmkand, Ved, Vyakaran, Dharmashastra or any other branch of Veda	4
GKV-103	Philosophy	Ved, Sanskrit, Yoga, Sankhya, Nyaya, Meemansa, Vedanta, Nyaya-Vaisheshika, Sankhya-Yoga, Bauddh, Jain, Dharmashastra or any other branch of Philosophy	3
GKV-104	English	–	3
GKV-105	Hindi Literature	Linguistics, Hindi Journalism & Mass Communication	6
GKV-106	Yogic Science	Philosophy, Psychology, Sankhya-Yoga	0
GKV-107	Ancient Indian History, Culture & Archaeology	–	15
GKV-108	Psychology	Management, Physical Education, Medical Sciences, Home Science, Sociology, Yogic Science, Psychiatry, Education, Anthropology, MSW, Forensic Science/Psychology, Nursing	9
GKV-109	Management	Commerce, Economics, Psychology (Organisational Behaviour/ Industrial Psychology)	3
GKV-110	Physics	Electronics, Electronics & Communication, Atmospheric Physics, Astrophysics, Material Science	15
GKV-111	Chemistry	Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, Organic Chemistry, Analytical Chemistry, Commercial Methods of Chemical Analysis, Plant Chemistry, Medicinal Chemistry, Phytochemistry, Pharmaceutical Chemistry, Environmental Science/ Chemistry, Industrial Chemistry, Forensic Science/Chemistry, Archaeochemistry, Biochemistry	29

पी-एच.डी. पाठ्यक्रम (2026-27) हेतु विभिन्न विषयों में उपलब्ध सीटों का विवरण

विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायो में निम्नलिखित मुख्य विषय (तालिका 1) उपलब्ध हैं, जिनमें पी-एच.डी. डिग्री प्रदान की जाएगी। इस तालिका में मुख्य विषय के साथ-साथ संबद्ध विषय/ विषय-क्षेत्र तथा मुख्य विषय में पी-एच.डी. डिग्री प्रदान किए जाने हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या भी दी गई है। एक अभ्यर्थी को एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करने की अनुमति है।

तालिका 1 : मुख्य विषय, संबद्ध विषय/ विषय-क्षेत्र तथा सीटों की संख्या

कोड नं.	मुख्य विषय	संबद्ध विषय/ विषय-क्षेत्र	सीटों की संख्या *
GKV-101	संस्कृत	वेद, व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र	0
GKV-102	वैदिक साहित्य	संस्कृत, दर्शनशास्त्र, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष एवं कर्मकांड, वेद, व्याकरण, धर्मशास्त्र या वेद की कोई अन्य शाखा	4
GKV-103	दर्शनशास्त्र	वेद, संस्कृत, योग, सांख्य, न्याय, मीमांसा, वेदान्त, न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, बौद्ध, जैन, धर्मशास्त्र या दर्शन की कोई अन्य शाखा	3
GKV-104	अंग्रेज़ी	–	3
GKV-105	हिंदी साहित्य	भाषाविज्ञान, हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंपर्क	6
GKV-106	योग विज्ञान	दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्य-योग	0
GKV-107	प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व	–	15
GKV-108	मनोविज्ञान	प्रबंधन, शारीरिक शिक्षा, चिकित्सा विज्ञान, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, योग विज्ञान, मनोरोग विज्ञान, शिक्षा, मानवशास्त्र, सामाजिक कार्य (MSW), फॉरेंसिक विज्ञान / मनोविज्ञान, नर्सिंग	9
GKV-109	प्रबंधन	वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान (संगठनात्मक व्यवहार / औद्योगिक मनोविज्ञान)	3
GKV-110	भौतिकी	इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार, वायुमंडलीय भौतिकी, खगोल भौतिकी, पदार्थ विज्ञान	15
GKV-111	रसायन विज्ञान	अकार्बनिक रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, रासायनिक विश्लेषण के वाणिज्यिक तरीके, वनस्पति रसायन, औषधीय रसायन विज्ञान, फाइटोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान/रसायन विज्ञान, औद्योगिक रसायन विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान/रसायन विज्ञान, पुरातत्व रसायन विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान	29

Code No.	Main Subjects	Allied Subjects / Disciplines	No. of Seats*
GKV-112	Mathematics	Statistics, Operation Research, Industrial Mathematics	32
GKV-113	Computer Science	Computer Applications, Computer Management, Information Technology, Software Sciences, System Sciences	68
GKV-114	Zoology	Life Science, Animal Science, Fish and Fisheries, Entomology, Applied Zoology, Aquatic Biology	22
GKV-115	Environmental Science	Biotechnology, Agriculture, Forestry, Wildlife Science, Remote Sensing, Environmental Chemistry, Earth Atmospheric, Ocean and Planetary Sciences	
GKV-116	Botany	Biochemistry, Plant Pathology	19
GKV-117	Microbiology	Biotechnology	
GKV-118	Physical Education	Psychology, Medical Science, Yogic Science	2
GKV-119	Applied Science (Physics)	Physics, Electronics, Atmospheric Physics, Astrophysics, Material Science	7
GKV-120	Applied Science (Chemistry)	Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, Organic Chemistry, Analytical Chemistry, Commercial Methods of Chemical Analysis, Plant Chemistry, Pharmaceutical Chemistry	10
GKV-121	Applied Science (Mathematics)	Mathematics, Statistics, Operation Research, Industrial Mathematics	3
GKV-122	Computer Science & Engineering	Computer Applications, Computer Management, Information Technology, Software Sciences, System Sciences	5
GKV-123	Electronics & Communication Engineering	Electronics & Telecommunication, Industrial Electronics, Microwave Engineering, VLSI, Instrumentation, Solid State Electronics, Biomedical Electronics, Instrumentation and Control, Embedded Systems	10
GKV-124	Pharmaceutical Sciences	Pharmaceutical Chemistry, Pharmaceutics, Pharmacology	4
GKV-126	Economics	Management, Commerce	6
GKV-127	Jyotrivigyan & Vedic Karmakand	Jyotish, Dharmashastra	2
GKV-128	Mechanical Engineering	—	4
GKV-129	Music	—	5

* No. of Seats may vary.

कोड नं.	मुख्य विषय	संबद्ध विषय/ विषय-क्षेत्र	सीटों की संख्या *
GKV-112	गणित	सांख्यिकी, संचालन अनुसंधान, औद्योगिक गणित	32
GKV-113	कम्प्यूटर विज्ञान	कम्प्यूटर अनुप्रयोग, कम्प्यूटर प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर विज्ञान, प्रणाली विज्ञान	68
GKV-114	जीव विज्ञान	जीवन विज्ञान, पशु विज्ञान, मत्स्य एवं मत्स्य पालन, कीट विज्ञान, अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान, जलीय जीव विज्ञान	22
GKV-115	पर्यावरण विज्ञान	जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, वन विज्ञान, वन्यजीव विज्ञान, रिमोट सेंसिंग, पर्यावरणीय रसायन विज्ञान, पृथ्वी वायुमंडलीय, समुद्री एवं ग्रहीय विज्ञान	
GKV-116	वनस्पति विज्ञान	जैव रसायन विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी	19
GKV-117	सूक्ष्मजीव विज्ञान	जैव प्रौद्योगिकी	
GKV-118	शारीरिक शिक्षा	मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, योग विज्ञान	2
GKV-119	अनुप्रयुक्त विज्ञान (भौतिकी)	भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायुमंडलीय भौतिकी, खगोल भौतिकी, पदार्थ विज्ञान	7
GKV-120	अनुप्रयुक्त विज्ञान (रसायन विज्ञान)	अकार्बनिक रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, रासायनिक विश्लेषण के वाणिज्यिक तरीके, वनस्पति रसायन, फार्मास्यूटिकल रसायन विज्ञान	10
GKV-121	अनुप्रयुक्त विज्ञान (गणित)	गणित, सांख्यिकी, संचालन अनुसंधान, औद्योगिक गणित	3
GKV-122	कम्प्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी	कम्प्यूटर अनुप्रयोग, कम्प्यूटर प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर विज्ञान, प्रणाली विज्ञान	5
GKV-123	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव अभियांत्रिकी, VLSI, इंस्ट्रुमेंटेशन, ठोस अवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रुमेंटेशन और नियंत्रण, एम्बेडेड सिस्टम्स	10
GKV-124	फार्मास्यूटिकल विज्ञान	फार्मास्यूटिकल रसायन विज्ञान, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी	4
GKV-126	अर्थशास्त्र	प्रबंधन, वाणिज्य	6
GKV-127	ज्योतिर्विज्ञान एवं वैदिक कर्मकांड	ज्योतिष, धर्मशास्त्र	2
GKV-128	यांत्रिक अभियांत्रिकी	—	4
GKV-129	संगीत	—	5

* सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

Ph.D. Programme (Full Time/Part Time) 2026-27

पी-एच.डी. पाठ्यक्रम (पूर्णकालिक/अंशकालिक) 2026-27

Seat Matrix (सीट मैट्रिक्स)

S. NO. क्र. सं.	MAIN SUBJECT (मुख्य विषय)	GEN (सामा.)	SC (अनु. जा.)	ST (अनु. जनजा.)	OBC (अ. पि. व.)	EWS (आर्थिक रूप से कम व.)	TOTAL (कुल)*
1.	Veda (वेद)	02	0	0	01	01	04
2.	Sanskrit (संस्कृत)	0	0	0	0	0	0
3.	Jyotirvigyan (ज्योतिर्विज्ञान)	01	0	0	01	0	02
4.	A.I.H. Cul. & Arch (प्रा.भा.इ., संस्कृति एवं पुरातत्व)	10	02	0	03	0	15
5.	Philosophy (दर्शनशास्त्र)	02	01	0	0	0	03
6.	Yoga (योग)	0	0	0	0	0	0
7.	English (अंग्रेजी)	02	0	0	0	01	03
8.	Psychology (मनोविज्ञान)	04	0	01	02	02	09
9.	Hindi (हिन्दी)	03	01	0	02	0	06
10.	Management (प्रबंधन)	02	01	0	0	0	03
11.	Economics (अर्थशास्त्र)	02	01	0	02	01	06
12.	Physical Education (शारीरिक शिक्षा)	01	01	0	0	0	02
13.	Computer Science (कंप्यूटर विज्ञान)	29	06	06	17	10	68
14.	Botany and Microbiology (वनस्पति एवं सूक्ष्म विज्ञान)	13	01	0	05	0	19
15.	Zoology and Environment Science (जन्तु विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान)	10	03	02	06	01	22
16.	Chemistry (रसायन विज्ञान)	15	03	0	08	03	29
17.	Maths (गणित)	19	05	0	03	05	32
18.	Physics (भौतिकी)	06	02	01	05	01	15
19.	Pharmaceutical Sciences (फार्मास्यूटिकल विज्ञान)	02	02	0	0	0	04
20.	Applied Physics (अनुप्रयुक्त भौतिकी)	07	0	0	0	0	07
21.	Applied Chemistry (अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान)	08	0	0	02	0	10
22.	Applied Maths (अनुप्रयुक्त गणित)	03	0	0	0	0	03
23.	Electro. & Comm. Engg. (ECE) (इलेक्ट्रो. एवं संचार अभियांत्रिकी)	06	1	0	03	0	10
24.	Computer Sci. & Engg. (CSE) (कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी)	03	1	0	01	0	05
25.	Mechanical Engg. (ME) (यांत्रिकी अभियांत्रिकी)	03	0	0	01	0	04
26.	Music Only for female (संगीत-केवल महिलाओं के लिए)	05	0	0	0	0	05
TOTAL (कुल)		158	31	10	62	25	286

*No. of seats may vary.(सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।)

TABLE OF CONTENTS

विषय तालिका

S.No. क्र.सं.	Topic विषय	P.No. पृ.सं.
1.	Important Information (महत्त्वपूर्ण जानकारी)	ii-iii
2.	Details of No. of Seats Available in Different Subjects (विभिन्न विषयों में उपलब्ध सीटों का विवरण)	iv-vii
3.	Seat Matrix (सीट मैट्रिक्स)	viii
4.	Table of Contents (विषय तालिका)	ix
5.	Deemed to be University- An Introduction (समविश्वविद्यालय- एक परिचय)	1-2
6.	Management (प्रबंध व्यवस्था)	3-4
7.	Faculties and Departments (संकाय एवं विभाग)	5
8.	Facilities for Students (विद्यार्थियों हेतु सुविधाएं)	6-10
9.	Admission Criteria (प्रवेश प्रक्रिया)	11-16
10.	Rules & Regulations (नियम-उपनियम)	17-38
11.	Candidate's Declaration (शोधार्थी/ शोधार्थिनी की घोषणा)	39-40
12.	Supervisor's/Co-Supervisor's Certificate (निर्देशक/सह-निर्देशक का प्रमाण पत्र)	41-42
13.	Head of Department's Certificate (विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र)	43-44
14.	Ph.D. Progress Report (पी-एच.डी. प्रगति रिपोर्ट)	45-48
15.	Proforma For Six-monthly Progress Report of Ph.D. Scholar	49-52
16.	Departmentwise List of Faculty Members (विभागवार प्राध्यापकों/प्राध्यापिकाओं की सूची)	53-58
17.	Proctorial Board (अनुशास्ता बोर्ड)	59
18.	Students Counseling Centre/ Students Grievance Cell/ Equal Opportunity Cell/ Women Empowerment Cell/ Sports Council (छात्र-छात्राओं हेतु काउंसिलिंग सेंटर/ छात्र-छात्राओं हेतु शिकायत प्रकोष्ठ/ समान अवसर प्रकोष्ठ/ महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ/ क्रीड़ा परिषद्)	60
19.	Anti-Ragging Squad and Anti-Ragging Committee (एन्टी-रैगिंग स्क्वाड एवं एन्टी रैगिंग समिति)	61
20.	Internal Complaint Cell (आन्तरिक शिकायत प्रकोष्ठ)	62
21.	Research and Development Cell (अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ)	62
22.	Academic Calender (एकेडेमिक कैलेण्डर)	63-64
23.	List of Holidays/ Restricted Holidays (अवकाश/ प्रतिबंधित अवकाश सूची)	65
24.	Fee Structure (शुल्क संरचना)	66-69
25.	Fee Structure- Other Heads (शुल्क संरचना- अन्य मद)	70

Establishment and Objectives

Gurukula Kangri (Deemed to be University) was established in 1902 by the martyr Swami Shraddhanand Ji Maharaj. The University was established to provide an option of imparting education in the national language, discouraging English medium of education in India based on the western education policy of Lord Macaulay. It aimed at creating a viable environment for students for higher learning and research in the areas of Vedic literature, Indian philosophy, Indian culture, literature and modern subjects.

Since its inception, the Arya Samaj has been advocating women education. In order to shape this dream, the Kanya Gurukula Mahavidyalaya Dehradun was established in 1923 by Late Acharya Ramdevji. Later the Kanya Gurukula Mahavidyalaya, Haridwar was also established in 1993 for Post Graduate Classes. The basic task before the Vishwavidyalaya is to enhance the physical, moral and intellectual strength of both girls and boys and thus to make them ideal citizens, by giving them education of ancient and modern subjects, without any discrimination of caste and creed and untouchability on the pattern of Gurukula system of education which emphasizes healthy and harmonious teacher - taught relationship. The Vishwavidyalaya is situated about 5 km in south from Haridwar Railway Station.

Recognizing the objectives and services of this institution, Government of India in June 1962 conferred on it the status of **"Deemed to be University"** under UGC Act of 1956, Article 3, for imparting education in Vedic literature, Sanskrit literature, Indian philosophy, Hindi literature, English literature, Psychology, Maths and Ancient Indian History Culture & Archaeology; and a number of modern subjects like Physics, Chemistry, Computer Science, Microbiology, Zoology & Environmental Science, Engineering, Yogic Science, Management Studies, Physical Education,

स्थापना एवं उद्देश्य

अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने सन् 1902 में गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) की स्थापना की। भारत में लार्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित अंग्रेजी माध्यम की पाश्चात्य शिक्षा नीति के स्थान पर राष्ट्रीय विकल्प के रूप में राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से वैदिक साहित्य, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के साथ-साथ आधुनिक विषयों की उच्च शिक्षा के अध्ययन-अध्यापन तथा अनुसंधान के लिए यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया।

आर्यसमाज अपने स्थापना के समय से ही स्त्री शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सन् 1923 में स्व० आचार्य श्री रामदेव जी ने कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून की स्थापना की तथा इसी परिप्रेक्ष्य में 1993 में कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हरिद्वार की स्थापना स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए की गई। इस विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य जाति और छुआ-छूत के भेदभाव के बिना गुरु-शिष्य परम्परा के अन्तर्गत अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के मध्य निरन्तर घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर छात्र-छात्राओं को प्राचीन एवं आधुनिक विषयों की शिक्षा देकर उनका मानसिक और शारीरिक विकास कर चरित्रवान आदर्श नागरिक बनाना है। वर्तमान में विश्वविद्यालय हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।

जून 1962 में भारत सरकार ने इस शिक्षण संस्था के राष्ट्रीय स्वरूप तथा शिक्षा के क्षेत्र में इसके अप्रतिम योगदान को दृष्टि में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक्ट 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत **"डीम्ड यूनिवर्सिटी"** की मान्यता प्रदान की और विज्ञान एवं कला विषयों में स्नातक तथा वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य, दर्शन, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, गणित तथा प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था की गई। उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त वर्तमान में विश्वविद्यालय में भौतिकी, रसायन विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान,

Pharmaceutical Science etc. have also been started. University has been accredited third time by **National Assessment & Accreditation Council (NAAC)**. Needless to say that all the degrees conferred by the University are recognised by the Govt. of India/University Grants Commission. This University is a member of the Association of Indian Universities (A.I.U.) and Association of Commonwealth Universities.

Vision and Mission

Vision

Reviving the ancient education of Brahmacharya (continence), of rejuvenating and resuscitating ancient Indian philosophy and literature, conducting researches into the Indian and western activities, of building up a Vedic Literature incorporating into itself all that is best and assailable in occidental thought, of producing good citizens possessed of a culture compound of the loftiest elements of the two civilizations.

Mission

- To create a synthesis of our Indian intellectual tradition with the best of modern education.
- Inculcating national spirit and respect for Indian culture among the students and society in order to contribute to the nation building.
- Focusing on the personality of the students to be developed by value-based education.
- Enriching and empowering all the beneficiaries through the participative, positive, harmonious teaching-learning environment.
- Developing inter-linkages across teaching, research, and extension.
- Making students employable by imparting holistic education and developing skills

अभियांत्रिकी, योग विज्ञान, प्रबन्धन व शारीरिक शिक्षा इत्यादि के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय तीसरी बार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संस्थान 'राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्' (NAAC) द्वारा मूल्यांकित एवं प्रत्यायनित किया गया है। विश्वविद्यालय की सभी उपाधियां भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य हैं। यह विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ (A.I.U.) तथा कामनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ का सदस्य है।

विज्ञान और मिशन

विज्ञान

ब्रह्मचर्य की प्राचीन शिक्षा को पुनर्जीवित करना, प्राचीन भारतीय दर्शन और साहित्य को पुनः जाग्रत और पुनर्जीवित करना, भारतीय और पाश्चात्य गतिविधियों पर शोध करना, वेदिक साहित्य की रचना करना जिसमें पाश्चात्य विचारों की सर्वोत्तम और ग्राह्य बातों को सम्मिलित किया गया हो, और ऐसे श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना जो दोनों सभ्यताओं के सर्वोत्तम तत्वों से समृद्ध संस्कृति से युक्त हों।

मिशन

- हमारी भारतीय बौद्धिक परंपरा का आधुनिक शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ के साथ संश्लेषण करना।
- विद्यार्थियों और समाज में राष्ट्रीय भावना और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान पैदा करना ताकि राष्ट्र-निर्माण में योगदान दिया जा सके।
- मूल्य-आधारित शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना।
- सहभागी, सकारात्मक, सामंजस्यपूर्ण शिक्षण-अधिगम वातावरण के माध्यम से सभी लाभार्थियों को समृद्ध और सशक्त करना।
- शिक्षण, शोध और विस्तार में अंतर-संबंध विकसित करना।
- समग्र शिक्षा प्रदान करके और कौशल विकास करके विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाना।

Management प्रबन्ध व्यवस्था

Gurukula Kangri (Deemed to be University) is a registered autonomous body. As per the Memorandum of Association (MOA)/ Constitution of the University, it is administered by the following authorities and officers.

Authorities

- Board of Management
- Academic Council
- Finance Committee

Officers

The University has the following statutory officers and academic functionaries:

Statutory Officers

- Chancellor -Sh. S. K. Arya
- Vice-Chancellor-Prof. Pratibha Mehta Luthra
- Registrar-Prof. Satyadev Nigmalankar
- Finance Officer-Prof. V.K. Singh
- Controller of Examinations-Prof. L.P. Purohit
- Director, IQAC-Prof. Pankaj Madan
- Director. Admission Process-Prof. L.P. Purohit
- Director, Research & Development -Dr. Suhas

Academic Functionaries

- Deans of Faculties
 - Faculty of Oriental Studies
 - Faculty of Humanities
 - Faculty of Science
 - Faculty of Life Sciences
 - Faculty of Management Studies
 - Faculty of Engineering & Technology
 - Faculty of Pharmaceutical Sciences
 - Faculty of Yoga & Physical Education
 - Faculty of Education & Training
- Co-ordinator, KGC, Dehradun
- Deans of Academic & Campus Services
 - Student Welfare
 - Academic Affairs & Academic Audit

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) एक पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्था है। समविश्वविद्यालय के एम.ओ.ए./ सविधान के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रबन्ध व्यवस्था निम्न प्राधिकारियों तथा अधिकारी संवर्ग द्वारा संचालित है।

प्राधिकारी

- प्रबन्ध मण्डल
- शिक्षा पटल
- वित्त समिति

अधिकारी वर्ग

विश्वविद्यालय में निम्नलिखित वैधानिक अधिकारी और शैक्षणिक कार्यकारी हैं:

वैधानिक अधिकारी

- कुलाधिपति – श्री एस. के. आर्य
- कुलपति – प्रो. प्रतिभा मेहता लूथरा
- कुलसचिव – प्रो. सत्यदेव निगमालंकर
- वित्त अधिकारी – प्रो. वी. के. सिंह
- परीक्षा नियंत्रक – प्रो. एल. पी. पुरोहित
- निदेशक, आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ – प्रो. पंकज मदान
- निदेशक, प्रवेश प्रक्रिया – प्रो. एल. पी. पुरोहित
- निदेशक, शोध एवं विकास – डा. सुहास

शैक्षणिक कार्यकारी

- संकायाध्यक्ष
 - प्राच्य विद्या संकाय
 - मानविकी संकाय
 - विज्ञान संकाय
 - जीव विज्ञान संकाय
 - प्रबंधन अध्ययन संकाय
 - इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय
 - आयुर्विज्ञान एवं स्वास्थ्य संकाय
 - योग एवं शारीरिक शिक्षा संकाय
 - शिक्षा एवं प्रशिक्षण संकाय
- समन्वयक, KGC, देहरादून
- शैक्षणिक एवं परिसर सेवाओं के डीन
 - छात्र कल्याण
 - शैक्षणिक कार्य एवं शैक्षणिक ऑडिट

- Green Audit
- Cultural Affairs
- Heads/ Incharge of Departments
 - AIHC & Archaeology
 - Philosophy
 - Shradhanand Vedic Shodh Sansthan
 - Sanskrit
 - Veda
 - Jyotirvigyan and Karmkand
 - Psychology
 - Hindi
 - English
 - Music
 - Mathematics & Statistics
 - Physics
 - Chemistry
 - Computer Science
 - Zoology and Environmental Science
 - Botany and Microbiology
 - Management Studies
 - Computer Science and Engineering
 - Electronics & Comm. Engineering
 - Electrical Engineering
 - Mechanical Engineering
 - Applied Sciences
 - Pharmaceutical Sciences
 - Physical Education & Sports
 - Yogic Sciences
- Chief Proctor
- Public Relation Officer

- ग्रीन ऑडिट
- सांस्कृतिक कार्य
- विभागाध्यक्ष / प्रभारी
 - एआईएचसी एवं पुरातत्त्व
 - दर्शनशास्त्र
 - श्रद्धानंद वैदिक शोध संस्थान
 - संस्कृत
 - वेद
 - ज्योतिर्विज्ञान एवं कर्मकांड
 - मनोविज्ञान
 - हिन्दी
 - अंग्रेज़ी
 - संगीत
 - गणित एवं सांख्यिकी
 - भौतिकी
 - रसायन शास्त्र
 - कंप्यूटर विज्ञान
 - प्राणी विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान
 - वनस्पति विज्ञान एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान
 - प्रबंधन अध्ययन
 - कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग
 - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग
 - विद्युत इंजीनियरिंग
 - यांत्रिक इंजीनियरिंग
 - अनुप्रयुक्त विज्ञान
 - फार्मास्यूटिकल साइंसेज
 - शारीरिक शिक्षा एवं खेल
 - योग विज्ञान
- मुख्य अनुशासन अधिकारी
- जनसंपर्क अधिकारी

📄 The latest list of officials is available on the official website of the University: www.gkv.ac.in

📄 अधिकारी वर्ग की नवीनतम नामावली विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट www.gkv.ac.in पर उपलब्ध है।

FACULTIES AND DEPARTMENTS

संकाय एवं विभाग

Department under various Faculties are as per below. The detailed information of Faculties and Departments can be viewed on the website www.gkv.ac.in of Deemed to be University. विभिन्न संकायों में विभाग निम्नानुसार हैं। संकायों एवं विभागों की विस्तृत जानकारी समविश्वविद्यालय की वेबसाइट www.gkv.ac.in पर देखी जा सकती है।

Faculty of Oriental Studies

- Department of Sanskrit (संस्कृत विभाग)
- Department of Veda (वेद विभाग)
- Department of Philosophy (दर्शनशास्त्र विभाग)
- Department of AIHC & Archaeology (प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग)
- Department of Shradhanand Vedic Shodh Sansthan (श्रद्धानन्द वैदिक शोध संस्थान विभाग)
- Department of Jyotirvigyan and Karmkand (ज्योतिर्विज्ञान एवं कर्मकाण्ड विभाग)

Faculty of Humanities

- Department of Hindi (हिन्दी विभाग)
- Department of English (अंग्रेज़ी विभाग)
- Department of Psychology (मनोविज्ञान विभाग)
- Department of Music (संगीत विभाग)

Faculty of Sciences

- Department of Physics (भौतिकी विभाग)
- Department of Chemistry (रसायन विज्ञान विभाग)
- Department of Mathematics & Statistics (गणित एवं सांख्यिकी विभाग)
- Department of Computer Science (कंप्यूटर विज्ञान विभाग)

Faculty of Life Sciences

- Department of Zoology and Environmental Science (जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग)
- Department of Botany and Microbiology (वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग)

Faculty of Management Studies

- Department of Management Studies (प्रबंधन अध्ययन विभाग)

Faculty of Engineering & Technology

- Department of Computer Science and Engineering (कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग)
- Department of Electronics & Communication Engineering (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग विभाग)
- Department of Electrical Engineering (विद्युत इंजीनियरिंग विभाग)
- Department of Mechanical Engineering (यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग)
- Department of Applied Sciences (अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग)

Faculty of Medical Science and Health

- Department of Pharmaceutical Sciences (भेषज विज्ञान विभाग)

Faculty of Yoga and Physical Education

- Department of Physical Education & Sports (शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग)
- Department of Yogic Sciences (योग विज्ञान विभाग)

Facilities for Students

The Library

The University-Library has its own history which begins with the foundation of this institution. This library, which has completed its more than 123 years, is a rich depository of thousands of ancient manuscripts and rare books. It is equipped with more than 2 Lakh books on Vedic literature, Sanskrit, Indian Philosophy, Aryan literature, Comparative Studies, Science, Management and Technology. University library comprises a rich collection of Vedic & Sanskrit literature, Indian philosophy, Aryan literature, Ancient history & culture together with leading modern subjects. Besides this main library, there are departmental libraries also to facilitate the P.G. students adequately. The Kanya Gurukula Campus, Dehradun and the Kanya Gurukula Campus, Haridwar also have their independent libraries which are equipped with adequate number of books. Around 32 Journals, 6000 e-Journals and 250 rare manuscripts of different subjects are available in the library by computer networking under U.G.C. E-Shodh-Sindhu programme. Faculty of Engineering & Technology and Faculty of Medical Sciences & Health also have their own rich library also.

Archaeological Museum

The University is embellished with an archaeological museum, which possesses a valuable collection of coins, paintings, sculptures and arms.

National Cadet Corps (NCC)

The University has NCC programme to train the students for maintaining discipline and national security.

विद्यार्थियों हेतु सुविधाएं

पुस्तकालय

विश्वविद्यालय-पुस्तकालय का इतिहास भी गुरुकुल की स्थापना के साथ ही प्रारम्भ होता है। निरन्तर 123 वर्षों से भी अधिक पोषित यह पुस्तकालय आज वेद, वेदांग, संस्कृत, भारतीय दर्शन, आर्य साहित्य, तुलनात्मक धर्म एवं मानवीय ज्ञान, विज्ञान, प्रबन्धन एवं प्रौद्योगिकी की विविध शाखाओं पर प्रकाश डालने वाले 2 लाख से अधिक ग्रन्थों से अलंकृत है। सहस्रों दुर्लभ ग्रन्थों एवं अनेक अप्राप्य पत्रिकाओं से समृद्ध यह पुस्तकालय आर्य संस्कृति की धरोहर के रूप में विश्वविख्यात है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय वैदिक एवं संस्कृत साहित्य, भारतीय दर्शन, आर्य साहित्य, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति तथा आधुनिक विषयों में भी अपने समृद्ध संग्रह के कारण देशव्यापी ख्याति प्राप्त पुस्तकालयों में से है। इसके अतिरिक्त सभी विभागों में स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु विभागीय पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था है। कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार व कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में अलग पुस्तकालय की व्यवस्था है जिनमें विभिन्न विषयों की पुस्तकें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ई-शोध सिन्धु पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पुस्तकालय में विभिन्न विषयों के लगभग 32 अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाएं, 6000 इ-जर्नल एवं 250 दुर्लभ पाण्डुलिपियां कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध हैं। अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय तथा आयुर्विज्ञान एवं स्वास्थ्य संकाय के भी अपने-अपने समृद्ध पुस्तकालय हैं।

पुरातत्त्व संग्रहालय

विश्वविद्यालय का संग्रहालय अत्यन्त प्राचीन काल के कला अवशेषों, शस्त्रों व सिक्कों आदि से सुसज्जित है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.)

अनुशासन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए छात्रों को शिक्षित करने के उद्देश्य से एन. सी. सी. की सुविधा उपलब्ध है।

National Service Scheme (NSS)

In order to develop and help the rural areas, the Vishwavidyalaya has Four units of NSS at undergraduate level aided by the Central & State Governments.

Physical Education

In order to develop and enhance physical and mental strength of the students, University has a full-fledged Physical Education & Sports Department along with the facilities of outdoor and indoor games. There are also the facilities like multigym with latest machines, computer lab, sports psychology lab, kinesiology lab and departmental library. The Kanya Gurukula Campus provides facilities of physical education independently to the girls.

Computer Centre

U.G.C. aided computer centre was established in the University in the academic year 1987-88. This centre is actively engaged in imparting computer education to the students besides making the activities of the University computerised. Internet facility is also available at the computer centre. The various departments of the University and those of the Kanya Gurukula Campus Haridwar and Dehradun have also their own computer labs with computer systems based on modern technology in order to cater to the needs of the students.

V SAT

V SAT sanctioned under UGC-Infonet programme has been established in the computer centre. Internet facility is provided in the computer centre through V SAT.

Sports Facilities

Dayanand Stadium & Main Campus have Modern & well-equipped Health & Fitness Lab/Gym, Modern Squash Courts, Wooden Flooring Badminton court, Multipurpose Hall, 400 Mtrs. Standard Track, Ancient Hockey Ground, Cemented Basketball courts, Cemented with fencing Lawan Tennis courts, Volleyball courts, Kabaddi court, Kho-Kho Ground, Cricket, Football Ground.

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

स्नातक स्तर पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान से विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की चार यूनिट हैं जो ग्रामीण अंचल के विकास में सतत् कार्यरत हैं।

शारीरिक शिक्षा

विश्वविद्यालय में छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए शारीरिक शिक्षा विभाग स्थापित है। विश्वविद्यालय में आन्तरिक एवं बाह्य खेलों के लिए विस्तृत मैदान तथा सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त विभाग में आधुनिकतम मशीनों से युक्त व्यायामशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला, किन्सयोलॉजी प्रयोगशाला एवं विभागीय पुस्तकालय की सुविधायें भी उपलब्ध हैं। कन्या गुरुकुल परिसरों में शारीरिक शिक्षा की सुविधा छात्राओं के लिए अलग से उपलब्ध है।

कम्प्यूटर केन्द्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान से विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना सत्र 1987-88 में की गई थी। यह केन्द्र व्यवसायिक शिक्षा के साथ-साथ छात्रों के पठन-पाठन व विश्वविद्यालय के कार्यों के कम्प्यूटरीकरण में निरन्तर कार्यरत है। कम्प्यूटर केन्द्र में इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सभी विभागों एवं कन्या गुरुकुल परिसर देहरादून व हरिद्वार में छात्र-छात्राओं की आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है जिनमें आधुनिकतम तकनीक पर आधारित कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध हैं।

वी सेट

जी.सी.-इन्फोनेट पाठ्यक्रम के अत्रतगत स्वीकृत वी सेट की स्थापना कम्प्यूटर केन्द्र में की गयी है। वी सेट के माध्यम से इण्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

खेल सुविधायें

दयानंद स्टेडियम एवं मुख्य परिसर में आधुनिक एवं सुसज्जित स्वास्थ्य एवं फिटनेस प्रयोगशाला/जिम, आधुनिक स्क्वैश कोर्ट, लकड़ी की फर्श वाला बैडमिंटन कोर्ट, बहुउद्देश्यीय हॉल, 400 मीटर का मानक ट्रैक, प्राचीन हॉकी ग्राउंड, सीमेंटेड बास्केटबॉल कोर्ट, बाड़ से सुरक्षित सीमेंटेड लॉन टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, कबड्डी कोर्ट, खो-खो मैदान, क्रिकेट एवं फुटबॉल ग्राउंड उपलब्ध हैं।

Faculty of Engineering & Technology (FET) has also well developed facilities for playing Volleyball, Badminton, Cricket, Basketball, Lawn Tennis, Table Tennis & Athletics. Faculty organizes tournaments like GPL, ESL every year.

Hostel

Limited hostel facility is available at main campus of the University and Kanya Gurukula Campus, Dehradun.

The hostel fee structure is as follows:

- Hostel Annual Charges (General/OBC) : ₹ 30,000/-
- Hostel Annual Charges (SC/ST/PWD) : ₹ 25,000/-
- Security Deposit : ₹ 3,000/-
- Bus Charges (Per Year) (only for BTech): ₹12,500/-
- Food Charges: *On actual basis*

Note:

1. Reservation for the students belonging to SC/ST Categories in allotment of seats in hostels is given as per the reservation policy of the Govt. of India.
2. Kanya Gurukula, Haridwar does not have hostel facility. However, assistance would be given to the students with regard to their stay on actual payment basis.

Corporate Affairs and Outreach Cell

The university has established a Corporate Affairs and Outreach Cell. This cell facilitates campus interviews for students of various courses by contacting reputed companies. Thus, the cell's role is solely to arrange interviews for students of different courses for placements in establishments. The cell is not responsible for securing employment for students in any company. It is noteworthy that in past years, many students have secured employment in reputed companies through the Placement Cell.

Scheduled Caste/Scheduled Tribe Cell

Pursuant to the directives of the Tenth Five-Year Plan, a dedicated Cell for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been instituted within the university. The principal objective of this cell is to

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में वॉलीबाल, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबाल, लॉन टेनिस, टेबिल टेनिस एवं एथलेटिक्स खेलने की सुविधायें उपलब्ध हैं। संकाय प्रतिवर्ष जीपीएल, ईएसएल जैसे टूर्नामेन्ट का आयोजन करता है।

छात्रावास

विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर व कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में छात्रावास की सीमित सुविधा उपलब्ध है।

छात्रावास शुल्क संरचना निम्नलिखित है:

- छात्रावास वार्षिक शुल्क (सामान्य/ओबीसी): ₹ 30,000/-
- छात्रावास वार्षिक शुल्क (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग): ₹ 25,000/-
- सुरक्षा जमा: ₹ 3,000/-
- बस शुल्क (प्रति वर्ष) (केवल बीटेक के लिए): ₹ 12,500/-
- भोजन शुल्क: *वास्तविक आधार पर*

नोट:

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रावासों के सीट आवंटन में भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण सुविधा प्रदान की जाती है।
2. कन्या गुरुकुल, हरिद्वार में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। छात्राओं के निवास के लिए वास्तविक व्यय के आधार पर व्यवस्था में सहायता की जाती है।

कॉरपोरेट अफेयर्स एवं आउटरिच सेल

विश्वविद्यालय में कॉरपोरेट अफेयर्स एवं आउटरिच सेल स्थापित है। इस सेल द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र/छात्राओं के लिए प्रतिष्ठित कम्पनियों से सम्पर्क कर कैम्पस साक्षात्कार की व्यवस्था की जाती है। अतः सेल का कार्य केवल विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र/छात्राओं को प्रतिष्ठानों में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार की व्यवस्था कराना है। यह सेल किसी कम्पनी में छात्र/छात्राओं को नियुक्त कराने के लिये उत्तरदायी नहीं है। उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों में अनेक छात्र/छात्राओं को प्रतिष्ठित कम्पनियों में प्लेसमेन्ट सेल के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इस प्रकोष्ठ का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार की आरक्षण नीतियों को विश्वविद्यालय के

ensure the efficacious implementation of the Government of India's reservation policies for admissions to various academic programs and to extend requisite assistance in addressing the academic and administrative challenges faced by students from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes communities.

Reservation

Reservation for students belonging to Scheduled Caste (SC) / Scheduled Tribe (ST) / Other Backward Class (OBC) / Economically Weaker Section (EWS) / Person with Disabilities (PWD) categories is given as per the reservation policy of the Government of India.

Reservation Table

Code	Category	%age
A	Other Backward Class*	27%
B	Scheduled Caste	15%
C	Scheduled Tribe	7.5%
D	Economically Weaker Section	10%
E	Person with Disabilities	5% (Horizontal)
F	GK(DU) Staff Ward	5% (Horizontal)

*Non-creamy layer

Note:

1. For Other Backward Class (O.B.C.) Category, Caste Certificate issued by the Govt. of India will be accepted only.
2. Reservation category A, D, E & F seats, if vacant, may be filled amongst general category candidates.
3. EWS & OBC (**Non-creamy layer**) certificate should be issued after 1 April, 2025.

Reservation for Other Backward Class (OBC) category shall be given as per The Central Educational Institution (Reservation in Admission) Act, 2006 No. 5 of 2007. The OBCs who are eligible for availing the benefits of reservation should be from the central list of Socially and Educationally Backward Classes (SEBCs) / Other Backward Classes (OBCs) as per Resolution No. 12011/68/93 DCC (C) of the Ministry of Welfare (now the Ministry of Social Justice and Empowerment) as modified from time to time and the rules/criteria of

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रभावी ढंग से लागू करना तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक और प्रशासनिक समस्याओं के समाधान में आवश्यक सहायता प्रदान करना है।

आरक्षण

अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / दिव्यांगजन (PWD) वर्गों के छात्रों के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाता है।

आरक्षण तालिका

कोड	श्रेणी	आरक्षण (%)
A	अन्य पिछड़ा वर्ग*	27%
B	अनुसूचित जाति	15%
C	अनुसूचित जनजाति	7.5%
D	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10%
E	दिव्यांगजन	5% (क्षैतिज)
F	गु. कां. (सवि.वि.) स्टाफ वार्ड	5% (क्षैतिज)

*गैर-क्रीमी लेयर

नोट:

1. अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के लिए केवल भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
2. आरक्षण वर्ग A, D, E एवं F की सीटें रिक्त रहने पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जा सकती हैं।
3. ईडब्ल्यूएस और ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र 1 अप्रैल, 2025 के बाद जारी किया जाना चाहिए।

अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में आरक्षण केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों (प्रवेश में आरक्षण) एक्ट, 2006 सं. 5 जनवरी 2007 के अनुसार प्रदान किया जायेगा। अन्य पिछड़े वर्ग के वे अभ्यर्थी जो कि रेजल्यूशन नं० 12011/68/93 DCC (C) कल्याण मंत्रालय (अब सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण) के तहत सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBCs) / अन्य पिछड़े वर्ग (OBCs) की केन्द्रीय सूची एवं समय-समय पर उसमें हुए संशोधनों तथा सामाजिक रूप से अगड़े (सम्पन्न) व्यक्ति/वर्ग को इससे अपवर्जित

exclusion of socially advanced persons/sections. For an updated list of state-wise OBCS eligible for availing benefits of reservation, see the list mentioned by the National Commission for Backward Classes (NCBC) at its website: <http://ncbc.nic.in>.

*Candidates belonging to the “**creamy layer**” (as per Resolution No. **1-1/2005-V, 1A/846 dated 20th April, 2008** of Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education and amended from time to time) **shall not be entitled** to avail the benefit of OBC reservation.

करने हेतु दिये गये नियमों/प्रक्रियाओं के अनुसार ही आरक्षण के पात्र होंगे। राज्यवार अन्य पिछड़े वर्ग के जातियों की नवीनतम सूची के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) की वेबसाइट: <http://ncbc.nic.in> का अवलोकन करें।

*क्रीमीलेयर के अन्तर्गत (रेजल्यूशन नं० 1-1/200 5-V, 1A/846 Dated 20th April, 2008 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार एवं समय-समय पर उसमें हुए संशोधनों सहित) आने वाले अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

e-Samadhaan / Anti Ragging

24x7 Helpline Number
1800-180-5522 (Toll Free)

**SAMADHAAN**
समाधान
A Step Forward: Service to Stakeholders

Ragging-Free Campus

WARNING
Ragging is a crime

SAY NO TO RAGGING


ADMISSION CRITERIA

(Full Time/Part Time Ph.D. Programme)

How to Apply

For session 2026-2027, an applicant seeking admission in Full Time/Part Time Ph.D. Programme run by Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar can apply for admission by filling Application Form either in

- Online mode, or
- Offline mode.

The applicant is advised to follow the instructions for filling Application Form accordingly.

Instructions for applicants filling Application Form in **Online** mode

1. Click on “**Admissions**” or click on “**Admissions 2026-27**” on the Home Page of website www.gkv.ac.in of Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar.
2. Select the programme you want to apply for admission. Click on “**Apply Now**”.

Instructions for candidates filling Application Form in **Offline** mode

1. An applicant can get an Application Form by paying ₹ 200/- in cash from Fee Counter (Room No. 111), Administrative Building-2, Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar from 10.00 AM to 5.00 PM on any working day **or** by downloading the Application Form from the website www.gkv.ac.in of Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar.

If Application Form is downloaded from the website then Application Fee ₹ 200/- can be paid in cash at Fee Counter (Room No. 111) or by a Demand Draft of ₹ 200/- in favour of Registrar, Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar.

प्रवेश प्रक्रिया

(पूर्णकालिक/अंशकालिक पी-एच.डी. पाठ्यक्रम)

आवेदन कैसे करें

सत्र 2026-2027 के लिए, हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) द्वारा संचालित पूर्णकालिक/अंशकालिक पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी नीचे दिए गए किसी एक माध्यम से आवेदन पत्र भरकर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं:

- ऑनलाईन माध्यम से, या
- ऑफ़लाईन माध्यम से।

अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें।

ऑनलाईन मोड में आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों के लिए निर्देश

1. गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार की वेबसाइट www.gkv.ac.in के होम पेज पर “**Admissions**” पर क्लिक करें या “**Admissions 2026-27**” पर क्लिक करें।
2. वह पाठ्यक्रम चुनें जिसके लिए आप प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते हैं। “**Apply Now**” पर क्लिक करें।

ऑफ़लाईन मोड में आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

1. आवेदक किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक फीस काउंटर (कक्ष संख्या 111), प्रशासनिक भवन-2, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार से ₹ 200/- का नकद भुगतान करके आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं अथवा गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार की वेबसाइट www.gkv.ac.in से आवेदन पत्र डाउनलोड करके आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है तो आवेदन शुल्क ₹ 200/- का भुगतान फीस काउंटर (कक्ष संख्या 111) पर नकद अथवा रजिस्ट्रार, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार के पक्ष में ₹ 200/- का डिमांड ड्राफ्ट देकर किया जा सकता है।

2. Before filling out the Application Form, carefully select the subject name and code number.

The duly filled Application Form may be submitted by hand at Room No. 110, Administrative Building-2, Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar till 5.00 PM on or before the last date of submission of Application Form. The duly filled Application Form, along with Demand Draft for Application Fee (if not paid earlier), may be submitted in a sealed envelope by Speed Post/Registered Post addressed to the Registrar, Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar (Uttarakhand) - 249404. The sealed envelope containing Application Form must have written "**Application Form for PhD Programme in Session 2026-27**". For consideration the Application Form must reach to the destination on or before the last date of Form submission.

The candidates appearing in the final year of qualifying examination are also eligible to apply. Such candidates will have to submit compulsorily their complete final result of qualifying examination up to **30th November, 2026** failing which their candidature shall stand cancelled.

Admission Procedure

Admissions and registration to programmes leading to Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) in various subjects/ disciplines (Table-1) shall be done as per UGC norms and as approved by the Academic Council of the University from time to time. The admission to the said programme shall be Direct admission for those candidates who have qualified NET-JRF/NET/GATE/CEED and similar level national test.

The Ph.D. programme will be allowed in those subjects in which permission were given by the University Grants Commission, New Delhi/ Academic Council of Gurukula Kangri (Deemed to be University) will continue. The subjects approved by Academic Council for Ph.D. programme shall be covered by these rules and regulations. Number of seats in each subject has been shown in Table-1.

2. आवेदन पत्र भरने से पूर्व विषय का नाम और कोड संख्या ध्यानपूर्वक चुनें।

विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले शाम 5 बजे तक कमरा नंबर 110, प्रशासनिक भवन-2, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार में हाथ से जमा किया जा सकता है। विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क (यदि पहले जमा नहीं की गई हो) हेतु डिमांड ड्राफ्ट के साथ, कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार (उत्तराखंड)- 249404 को संबोधित करते हुए स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक द्वारा एक सीलबंद लिफाफे में जमा किया जा सकता है। आवेदन पत्र वाले सीलबंद लिफाफे पर "**सत्र 2026-27 में पी-एच.डी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन पत्र**" लिखा होना चाहिए। विचार के लिए आवेदन पत्र को फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले गंतव्य तक पहुंचना चाहिए।

अंतिम वर्ष की अर्हता परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी अर्हता परीक्षा का अन्तिम पूर्ण परीक्षा परिणाम **30 नवम्बर 2026** तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा जिसके अभाव में उसकी पात्रता निरस्त समझी जायेगी।

प्रवेश विधि

विभिन्न विषयों (सारणी-1) में पी-एच.डी. डिग्री के लिये पंजीयन तथा प्रवेश समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार एवं समविश्वविद्यालय की शिक्षा पटल द्वारा स्वीकृति नियमों से किये जायेंगे। पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश शोध उन अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जो NET-JRF/NET/GATE/CEED एवं इसी तरह ही राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होंगे।

पी-एच.डी. पाठ्यक्रम की अनुमति केवल उन्हीं विषयों में होगी जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली/ गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार की शिक्षा पटल द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। शिक्षा पटल द्वारा स्वीकृत विषय इन नियम-उपनियमों के अधीन होंगे। प्रत्येक विषय में पी-एच. डी. के लिये रिक्त सीटों की संख्या सारणी-1 में दर्शायी गयी है।

Eligibility

1. Candidates who have completed 1-year/ 2-semester master's degree programme after a 4-year/ 8-semester bachelor's degree programme or a 2-year/ 4-semester master's degree programme after a 3-year bachelor's degree programme or qualifications declared equivalent to the master's degree by the corresponding statutory regulatory body, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed or Equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standards of the educational institution.

A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/ Differently-Abled/ Economically Weaker Section (EWS).

Provided that a candidate seeking admission after a 4-year/8-semester bachelor's degree programme should have a minimum of 75% marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale wherever the grading system is followed. A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/ Differently-Abled/ Economically Weaker Section (EWS).

2. Candidates who have completed the M.Phil. programme with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed or equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other

अर्हताएँ

1. वे अभ्यर्थी जिन्होंने 4-वर्षीय/8-सेमेस्टर स्नातक डिग्री कार्यक्रम के बाद 1-वर्षीय/2-सेमेस्टर मास्टर डिग्री कार्यक्रम अथवा 3-वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम के बाद 2-वर्षीय/4-सेमेस्टर मास्टर डिग्री कार्यक्रम पूरा किया हो या संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष घोषित योग्यताएं, जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है अथवा एक मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता, जो किसी प्राधिकरण द्वारा स्थापित, मान्यता प्राप्त या अधिकृत है, में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड में एक बिंदु पैमाने पर अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)/ दिव्यांग व्यक्ति/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) को 5% प्रतिशत अंकों अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

बशर्ते, 4 - वर्षीय / 8-सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार के न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए या इसके समकक्ष ग्रेड एक पॉइंट स्केल में जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)/ दिव्यांग व्यक्ति/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 5 प्रतिशत अंकों अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

2. एम.फिल. पाठ्यक्रम को कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा जहाँ कहीं भी (ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन, प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है

statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standards of educational institutions, shall be eligible for admission to the Ph.D. programme.

Note:-

- i). A candidate holding Acharya Degree in allied subjects which are given in Table-1 with at least 55% marks in aggregate from a recognised University/ Institution shall also be eligible for registration in Ph.D. degree in Veda, Sanskrit, Philosophy, Jyotrivigyan & Yoga subjects.
- ii). Candidate must check carefully and ensure that he/ she fulfills the minimum eligibility mentioned in the Information Broucher and Rules & Regulations before submitting the application form. If the candidate's eligibility is found incomplete/ incorrect at any stage during admission process and after admission, his/her admission will be cancelled for which he/she will be solely responsible.

Direct Admission

Those candidates who have passed UGC/ CSIR (NET-JRF)/ NET/ GATE/ CEED and similar level national test may be considered for Direct Admission to Ph.D. programme without appearing in Research Entrance Test (RET). **Gurukula Kangri (Deemed to be University) may conduct RET, if required.**

Procedure

List of eligible candidates for admission to Ph.D. programme shall be provided by the examination controller to the concerned Head of the Department.

University may decide the number of eligible students to be called for an interview based on the number of Ph.D. seats available.

The eligibility of the candidates will be valid for current academic session only. The candidates will be called for interview to discuss their research interest/ area before the Departmental Research Committee (DRC) chaired by Head of the concerned department.

जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है, से समतुल्य योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र होंगे।

नोट:-

- i). वेद, संस्कृत, दर्शन, ज्योतिर्विज्ञान एवं योग विषयों में पी-एच. डी. उपाधि में पंजीयन हेतु वे अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से आचार्य की उपाधि उन एलाइड विषयों के साथ न्यूनतम 55% अंकों सहित उत्तीर्ण की हो जो सारिणी-1 में दिये गये हैं।
- ii). आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी अर्हता की सावधानी पूर्वक जाँच कर सुनिश्चित कर लें कि वे विवरणिका एवं नियमावली के अनुसार निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हैं। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान तथा प्रवेश के उपरान्त यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की अर्हता अपूर्ण/ असत्य पायी गयी तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

सीधे प्रवेश

उन अभ्यर्थियों को पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में शोध प्रवेश परीक्षा (आर.ई.टी.) में सम्मिलित हुये बिना सीधे प्रवेश दिया जायेगा जिन्होंने यू जी.सी./ सी.एस.आई.आर. (नेट-जे.आर.एफ.) / नेट / गेट/सीड एवं इसी तरह की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) आवश्यक होने पर आर.ई.टी. आयोजित कर सकता है।**

विधि

पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में अर्ह अभ्यर्थियों की सूची परीक्षा नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी।

विश्वविद्यालय साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या पी.एच-डी. पाठ्यक्रम में रिक्त स्थानों की संख्या के आधार पर निर्धारित कर सकता है।

अभ्यर्थियों की पात्रता केवल इसी शैक्षिक सत्र के लिए मान्य होगी। अभ्यर्थियों को उनके शोध क्षेत्र/ रुचि के बारे में विचार विमर्श हेतु विभागीय शोध समिति (DRC) जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित विभागाध्यक्ष होंगे के समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।

An interview/viva-voce test shall be organized by the University and the candidates are required to discuss their research interest/area through a presentation before a duly constituted Departmental Research Committee.

The interview/viva voce test shall also evaluate the following aspects, viz. whether:

- The candidate possesses the competence for the proposed research;
- The research work can be suitably undertaken at the department/Campus;
- The proposed area of research can contribute to new/ additional knowledge.

During the Interview, the candidates are required to discuss their research interest/area before the Departmental Committee. The seat shall remain vacant in the concerned subject, if any candidate is not found suitable even after the completion of the above process.

A supervisor shall be allocated to the selected candidate in the meeting of Departmental Research Committee subject to the availability of seats and supervisor's consent only, keeping in view the specialization of the supervisor as well as the research interest of the candidate during his/ her interview. The allocation/ allotment of supervisor shall not be left to an individual candidate or teacher. Preference will be given to NET-JRF qualified candidates.

List of Documents to be Submitted at the Time of Interview/ Discussion before DRC

Applicant must bring the following documents at the time of interview/ discussion before the Departmental Research Committee:

- Attested /self-attested copy of high school or equivalent examination certificate
- Attested/ self-attested copy of high school or equivalent examination marksheet.
- Attested/ self-attested copy of Intermediate (10+2) or equivalent examination marksheet
- Attested/ self-attested copies of marksheets of all years/ semesters of graduation
- Attested/self-attested copies of marksheets of all years/ semesters of post-graduation
- Attested/self-attested copies of NET-JRF/ NET/ GATE certificate
- Character certificate (original copy)

समविश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार/ मौखिकी परीक्षा ली जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के लिये उनके शोध रुचि / क्षेत्र पर विचार विमर्श एक विधिवत गठित विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण द्वारा किया जायेगा।

साक्षात्कार/ मौखिकी परीक्षा में निम्नवत पहलुओं पर भी विचार किया जायेगा:-

- अभ्यर्थी के पास प्रस्तावित शोध के लिए योग्यता है;
- शोध कार्य विभाग/ परिसर में उपयुक्त रूप से किया जा सकता है;
- प्रस्तावित शोध क्षेत्र नए/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान दे सकता है।

साक्षात्कार के दौरान, अभ्यर्थियों को विभागीय समिति के समक्ष अपनी शोध रुचि/क्षेत्र पर चर्चा करनी होगी। यदि उपरोक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो संबंधित विषय में सीट रिक्त रहेगी।

विभागीय शोध समिति की बैठक में चयनित अभ्यर्थी को एक निर्देशक आवंटित किया जाएगा, जो सीटों की उपलब्धता और निर्देशक की सहमति के अधीन होगा। निर्देशक की विशेषज्ञता और साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी की शोध रुचि को ध्यान में रखा जाएगा। निर्देशक का आवंटन/ आवंटन किसी एक अभ्यर्थी या शिक्षक पर नहीं छोड़ा जाएगा। नेट-जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।

विभागीय शोध समिति के समक्ष साक्षात्कार/ परिचर्चा के समय जमा किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची

अभ्यर्थियों को विभागीय शोध समिति के समक्ष साक्षात्कार/ परिचर्चा के समय निम्न प्रपत्रों सहित सम्बन्धित विभाग में आना होगा:-

- हाई स्कूल/समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र की सत्यापित/ स्व-सत्यापित प्रति
- हाई स्कूल/ समकक्ष परीक्षा अंकपत्र की सत्यापित/ स्व-सत्यापित प्रति।
- इंटरमीडिएट (10+2)/ समकक्ष परीक्षा अंकपत्र की सत्यापित/ स्व-सत्यापित प्रति।
- स्नातक के सभी वर्षों/ सेमेस्टर्स के अंकपत्रों की सत्यापित/स्व-सत्यापित प्रति।
- स्नातकोत्तर के सभी वर्षों/सेमेस्टर्स के अंकपत्रों की सत्यापित/स्व-सत्यापित प्रति।
- नेट-जेआरएफ/नेट/गेट प्रमाण पत्र की सत्यापित/स्व-सत्यापित प्रति।
- चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति)

- h) Reservation category certificate (attested/self-attested copy)
- i) Attested/self-attested copy of caste certificate issued by the competent authority.
- j) No objection certificate from the Employer (if applicable)
- k) Attested/self-attested copy of the certificate of physically disabled candidates issued by District CMO.
- l) Original copy of all the above certificates/documents (for verification).

Note:-For OBC category, the caste of the candidates should be in the central OBC list available on NCBC website and OBC certificate issued as per Govt. of India format only will be accepted. OBC certificate on the State Govt. format will not be accepted.

- h) आरक्षण श्रेणी प्रमाण पत्र (सत्यापित/स्व-सत्यापित प्रति)
- i) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित/स्व-सत्यापित प्रति ।
- j) नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- k) जिले के सीएमओ द्वारा जारी शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र की सत्यापित/स्व-सत्यापित प्रति ।
- l) उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रति (सत्यापन हेतु) ।

नोट:- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग की NCBC वेबसाइट पर उपलब्ध केन्द्रीय सूची में होनी चाहिये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का केन्द्रीय प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य होगा । राज्य सरकार के प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।

रैगिंग - एक दण्डनीय अपराध

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में रैगिंग पूर्णतः निषेध है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार यदि रैगिंग की कोई घटना विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित छात्र/छात्रा से स्पष्टीकरण देने को कहा जायेगा और यदि उसका स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न पाया गया तो उसे विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

Ragging - A Crime Liable to Punishment

Ragging is totally banned in Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar. As per direction of Hon'ble Supreme Court of India, if any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given liberty to explain and if his/her explanation is not found satisfactory, the authority would expel him/her from the University.

महत्वपूर्ण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार में छात्र कल्याण परिषद का चुनाव प्रतिबंधित है। छात्र-छात्राओं की समस्याओं के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय में यू.जी.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार शिकायत निस्तारण प्रकोष्ठों का गठन किया गया है।

Important Information

It is hereby informed that the election of Student Welfare Association in Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar is banned. For the redressal of student's grievances the **Student Grievance Redressal Cells** have been established in the Deemed University as per the guidelines of UGC.

RULES & REGULATIONS*

(A) Ph.D. Programme (Full Time)

As per University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degrees) Regulations, 2022 {In supersession of the UGC (Minimum Standards and Procedure for Awards of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation, 2016 and its amendments} No. F.No. 1-3/2021(QIP).

1. Duration of the Ph.D. Programme

- i). Ph.D. programme shall be for a minimum duration of 3 years, including course-work and a maximum of 6 years from the date of admission in the Ph.D. Programme.
- ii). A maximum of an additional two years can be given through a process of re-registration, provided, however, that the total period for completion of a Ph.D. programme should not exceed eight (8) years from the date of admission in the Ph.D. programme.

Provided further that, female Ph.D scholars and persons with Disabilities (having more than 40% disability) may be allowed an additional relaxation for two (2) years: however, the total period for completion of a Ph.D. programme in such case should not exceed ten (10) years from the date of admission in the Ph.D. programme.

- iii). The female Ph.D. scholars may be provided Maternity Leave/Child Care Leave once in the entire duration of Ph.D. for up to 240 days.

2. Ph.D. Course Work

- i). After being selected for Ph.D. programme a student shall be required to undertake Course Work for a minimum period of one semester. The course-work shall be of 14 credits. The course-work shall be treated as prerequisite for Ph.D. programme.

**The rules and regulations of the Ph.D. programme are subject to revision and/or amendment, if necessary, in accordance with the guidelines issued by the University Grants Commission and/or Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar.*

नियम-उपनियम*

(A) पी-एच.डी. पाठ्यक्रम (पूर्णकालिक)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया विनियम, 2022) (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम. फिल./ पीएचडी) उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम 2016 के प्रतिस्थापन में} No. F.No. 1-3/2021 (QIP).

1. पी-एच.डी. पाठ्यक्रम की अवधि

- i). पीएचडी पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम 3 वर्ष होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य भी शामिल है, तथा पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम 6 वर्ष होगी।
- ii). पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम अतिरिक्त 2 वर्ष दिये जा सकते हैं। बशर्ते कि पी-एच.डी. पाठ्यक्रम पूरी करने की कुल अवधि प्रवेश की तिथि से 8 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बशर्ते कि महिला शोधार्थी और निशक्त व्यक्ति (जिनकी निशक्तता 40% से अधिक हो) को दो वर्षों के लिये अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जा सकती है हालांकि पी-एच.डी. पाठ्यक्रम पूरी करने की अवधि ऐसे मामले में प्रवेश की तिथि से 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- iii). महिला शोधार्थियों को पी-एच.डी. की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश / शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जायेगा।

2. पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य

- i). पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में चयन होने के उपरान्त शोधार्थी को न्यूनतम एक सेमेस्टर अवधि का पाठ्यक्रम कार्य करना होगा। पाठ्यक्रम कार्य कुल 14 क्रेडिट का होगा। यह पाठ्यक्रम कार्य पी-एच.डी. पाठ्यक्रम की पूर्व तैयारी का माना की पूर्व तैयारी का माना जायेगा।

**पीएच.डी. पाठ्यक्रम के नियम एवं उपनियम, आवश्यकतानुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा/अथवा गुरुकुल कांगड़ी (सम विश्वविद्यालय), हरिद्वार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित और/या परिवर्तित किए जा सकते हैं।*

The Ph.D. Course work shall have following four papers:

Paper-1	Research Methodology	4 credits
Paper-2	Research and Publication Ethics (RPE)	2 credits
Paper-3	Course/Subject specific	4 credits
Paper-4	Literatures survey, review of Research papers and presentation	4 credits

- ii). It will be mandatory for each candidate to pass this course to be conducted by the University for each subject.
- iii). The Ph.D. course-work shall consist of four papers of 100 marks each. Paper-1, Paper-2, and Paper-3 shall be evaluated through an end-semester examination of 100 marks each, with no provision for internal assessment in these papers. Paper-4 (Literature survey, review of Research papers and presentation) shall be evaluated internally by the Research Advisory Committee (RAC) of the candidate on the basis of literature survey, report of the review of research papers, presentation & attendance etc. The minimum pass percentage in each paper of the Ph.D. course-work will be 55% or its equivalent Grade in the UGC 10 Point Grading System and candidates will have to pass all the four papers.
- iv). The Research Advisory Committee (RAC) can also recommend UGC recognized online courses as part of the credit requirement for Ph.D. Programme.
- v). The candidate shall be given maximum of two successive attempts to pass this course.
- vi). If a candidate fails to pass this course in two attempts, his/ her candidature for registration shall be cancelled.
- vii). This course-work shall be run by the concerned department in main campus, Kanya Gurukula Campus, Haridwar and Kanya Gurukula Campus, Dehradun.

3. Constitution and Function of Departmental Research Committee (DRC)

The Departmental of Research Committee shall be constituted as follows:-

- i). Head of the Department-Chairman & Convener
- ii). All Professors of the Department

पीएच.डी. पाठ्यक्रम में निम्न चार प्रश्नपत्र होंगे :

प्रश्नपत्र-1	शोध पद्धति	4 क्रेडिट
प्रश्नपत्र-2	शोध एवं प्रकाशन आचार-विचार (RPE)	2 क्रेडिट
प्रश्नपत्र-3	कोर्स / विषय विशेष	4 क्रेडिट
प्रश्नपत्र-4	साहित्य सर्वेक्षण, शोध पत्रों की समीक्षा एवं प्रस्तुतीकरण	4 क्रेडिट

- ii). प्रत्येक शोधार्थी को समविश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक विषय के लिये निर्धारित पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
- iii). पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य में 100-100 अंकों के चार प्रश्नपत्र होंगे। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्रों में प्रत्येक प्रश्नपत्र की 100 अंकों की परीक्षा सेमेस्टर के अन्त में होगी तथा इन प्रश्न पत्रों का सतत आन्तरिक मूल्यांकन नहीं होगा। चतुर्थ प्रश्न पत्र (साहित्य सर्वेक्षण, शोध पत्रों की समीक्षा एवं प्रस्तुतीकरण) का मूल्यांकन आन्तरिक रूप से साहित्य सर्वेक्षण, शोध पत्रों की समीक्षा रिपोर्ट, प्रस्तुतीकरण एवं उपस्थिति आदि के आधार पर शोधार्थी के शोध सलाहकार समिति के द्वारा किया जायेगा। पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 55% अथवा यूजीसी के 10 पाइंट ग्रेडिंग सिस्टम ग्रेड के समकक्ष होंगे तथा अभ्यर्थी को सभी प्रश्न पत्र उत्तीर्ण करने होंगे।
- iv). शोध सलाहकार समिति पीएचडी पाठ्यक्रम कार्यक्रम के लिए क्रेडिट आवश्यकता के हिस्से के रूप में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की भी संस्तुति कर सकती है।
- v). शोधार्थी को इस पाठ्यक्रम कार्य को उत्तीर्ण करने के लिए लगातार अधिकतम दो अवसर प्रदान किए जायेंगे।
- vi). यदि शोधार्थी लगातार दो अवसरों में भी इस पाठ्यक्रम कार्य को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो उसकी पंजीकरण हेतु पात्रता निरस्त मानी जायेगी।
- vii). यह पाठ्यक्रम कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा मुख्य परिसर, कन्या गुरुकुल परिसर हरिद्वार तथा कन्या गुरुकुल परिसर देहरादून में चलाया जायेगा।

3. विभागीय शोध समिति (DRC) का गठन एवं कार्य

विभागीय शोध समितिका गठन निम्न प्रकार किया जायेगा:-

- i). विभागाध्यक्ष-चेयरमैन एवं संयोजक
- ii). विभाग के समस्त प्रोफेसर

- iii). All Associate Professors of the Department
- iv). All Assistant Professors of the Department who are eligible to be a research guide.

The DRC will make a final selection of the candidates against the available seats in the Department after assessing the presentations of all the candidates regarding their research proposal/areas given before it. It will then nominate research advisory committee for each selected candidate for helping him/her in preparing Synopsis to be presented in the RDC.

The DRC also will monitor the research activities and research projects of the concerned department.

4. Procedure for Registration and Function of The Research Degree Committee (RDC)

- i). The eligible candidates for Ph.D. degree shall submit their application/registration form along with a synopsis of the proposed topic in ten copies (typed/printed) recommended by his/her supervisor and R.A.C., forwarded by head of department to the office of Registrar.
- ii). The candidate must clearly mention his/her name, complete postal address, and contact number on the front page of the synopsis.
- iii). The application form and synopsis for Ph.D. registration, complete in all respects shall be placed before the RDC of the concerned subject. The notice of the meeting of RDC shall be given to the candidate and the supervisor well in advance by the convener of RDC so that the candidate may defend the proposed topic in the meeting. It will be compulsory for the candidate to be present before the RDC.
- iv). The RDC shall be constituted as follows:-
 - a) Vice Chancellor - Chairman
 - b) Dean of the Faculty
 - c) Two subject experts appointed by the Vice-Chancellor (tenure 3 years)
 - d) Head of the Department - Convener
 - e) All Professors of the Department
 - f) One Associate Professor of the Department in order of seniority (tenure 3 years)

- iii). विभाग के समस्त एसोसिएट प्रोफेसर
- iv). विभाग के समस्त असिस्टेंट प्रोफेसर जो शोध निर्देशक बनने के लिये अर्ह हो।

विभागीय शोध समिति (डी.आर.सी.) सभी अर्ह अभ्यर्थियों के द्वारा उसके समक्ष शोध प्रस्ताव / क्षेत्रों पर दिये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर विभाग में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष शोध छात्र/ छात्राओं का अन्तिम चयन करेगी। इसके उपरान्त यह प्रत्येक चयनित शोधार्थी के लिये एक शोध सलाहकार समिति (आर.ए.सी.) मनोनीत करेगी जो शोधार्थी के द्वारा आर.डी. सी. में प्रस्तुत करने हेतु शोध रूप रेखा (सिनोपसिस) तैयार करने में उसकी सहायता करेगी।

विभागीय शोध समिति विभाग की शोध परियोजनाओं एवं शोध क्रिया कलापों की देखरेख भी करेगी।

4. पंजीयन प्रक्रिया एवं शोध उपाधि समिति के कार्य

- i). शोध उपाधि हेतु अर्ह अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र प्रस्तावित विषय की प्रस्तावना एवं रूपरेखा की टंकित या मुद्रित 10-10 प्रतियों सहित अपने निर्देशक तथा शोध सलाहकार समिति की संस्तुति के साथ विभागाध्यक्ष से अग्रसारित करवाकर कुलसचिव कार्यालय में प्रेषित करेगा/ करेगी।
- ii). रूपरेखा के प्रथम पृष्ठ पर शोधार्थी द्वारा अपना नाम, पूर्ण डाक पता एवं संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है।
- iii). शोध उपाधि पंजीयन हेतु प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण आवेदन पत्र एवं रूपरेखा सम्बन्धित विषय की शोध उपाधि समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। शोध उपाधि समिति की बैठक की सूचना संयोजक द्वारा शोधार्थी एवं निर्देशक को यथा समय दे दी जायेगी ताकि वे प्रस्तावित विषय के बचाव/ स्पष्टीकरण करने हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित रह सकें। शोधार्थी के लिए शोध उपाधि समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- iv). शोध उपाधि समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा:
 - a) कुलपति-अध्यक्ष
 - b) संकाय के संकायाध्यक्ष
 - c) कुलपति द्वारा मनोनीत दो विषय विशेषज्ञ (कार्यकाल 3 वर्ष)
 - d) विभाग के विभागाध्यक्ष-संयोजक
 - e) विभाग के समस्त प्रोफेसर
 - f) विभाग का वरिष्ठता क्रम में एक एसोसियेट प्रोफेसर (कार्यकाल 3 वर्ष)

- g) One Assistant Professor of the Department who is eligible to be research guide in order of seniority (tenure 3 years)
- v). The meeting of RDC shall be held twice a year arranged by the Convener. Vice-Chancellor shall be the Chairperson of this meeting.
- vi). The candidate shall have to submit the migration certificate within three months from the date of admission in Ph.D. course work. In case he/she fails to do so, he/she shall not be permitted to appear in the Ph.D. course-work examination.

5. Research Advisory Committee and its Functions

- i). There shall be a Research Advisory Committee (RAC) for each Ph.D. scholar. The Research Supervisor of the scholar shall be the Convener of this Committee. The RAC shall be constituted as follows:
- a) One Professor - Chairman
 - b) One Professor/Associate Professor/ Assistant Professor - Member (In case there are less than three regular faculty members in the concerned Department, Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor of other Departments can be nominated as a member of RAC with the prior approval of the Vice-Chancellor).
 - c) Co-supervisor of the Research Scholar (if any)-Member
 - d) Supervisor – Convenor

This Committee shall have the following responsibilities: -

- To review the research proposal and finalize the topic of research.
 - To guide the research scholar to develop the study design and methodology of research and identify the course(s) that he/she may have to do.
 - To periodically review and assist in the progress of the research work of the research scholar.
- ii). A research scholar shall appear before the Research Advisory Committee once in six months to make a presentation of the progress

- g) विभाग का वरिष्ठता क्रम में एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो निर्देशक बनने के लिये अर्ह हो (कार्यकाल 3 वर्ष)

- v). शोध उपाधि समिति की बैठक वर्ष में दो बार संयोजक द्वारा आहूत की जायेगी। कुलपति इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
- vi). अभ्यर्थी को पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य में प्रवेश की तिथि से तीन माह के अंदर प्रवजन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता/ रहती है तो ऐसे अभ्यर्थी को पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5. शोध सलाहकार समिति और उसके कार्य

- i). प्रत्येक पी-एच.डी. शोधार्थी के लिये इसी प्रयोजनार्थ एक शोध सलाहकार समिति (RAC) होगी। शोधार्थी का शोध निर्देशक इस समिति का समन्वयकर्ता होगा। शोध सलाहकार समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा:-
- a) एक प्रोफेसर-अध्यक्ष
 - b) एक प्रोफेसर/ एसो. प्रोफेसर/ असि. प्रोफेसर-सदस्य (सम्बंधित विभाग में नियमित रूप से कार्य कर रहे शिक्षकों की संख्या 3 से कम होने की स्थिति में किसी अन्य विभाग के प्रोफेसर/ एसोसिएट प्रोफेसर/ असिस्टेंट प्रोफेसर को कुलपति की पूर्व स्वीकृति के उपरांत शोध सलाहकार समिति का सदस्य नामित किया जा सकता है।)
 - c) शोधार्थी का सह-निर्देशक (यदि कोई हो)-सदस्य
 - d) निर्देशक-समन्वयक

इस समिति के उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगे:-

- शोध प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना।
 - शोधार्थी को अध्ययन ढाँचे तथा पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की पहचान कराना।
 - शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता प्रदान करना।
- ii). शोधार्थी छह माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा

of his/her work for evaluation and further guidance. The six-monthly progress reports of the scholar shall be submitted by the Research Advisory Committee to the Registrar through the Head of the Department with a copy to the research scholar by 31st December/30th June every year.

- iii). In case the progress of the research scholar is unsatisfactory, the Research Advisory Committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the research scholar fails to implement these corrective measures, the Research Advisory Committee may recommend with the approval of the DRC to the University with specific reasons for cancellation of the registration of the research scholar.

6. Eligibility Criteria for Ph.D. Supervisor and Co-Supervisor

- i). Only permanent faculty members of the University shall act as a supervisor. The external supervisors will not be allowed. However, Co-supervisor can be allowed in inter-disciplinary areas from within the same department or other departments of the University with the approval of the RDC.

- ii). Any permanent Professor/ Asso. Professor of the University with at least five research publications in Peer-Reviewed/ Refereed/ UGC CARE Listed Journals shall act as Research Supervisor/ Co-supervisor.

Any permanent Assistant Professor of the University with at least three research publications in Peer-Reviewed/ Refereed/ UGC CARE Listed Journals shall act as Research Supervisor/ Co-supervisor.

Furthermore, faculty members on probation will not be eligible to supervise PhD scholars.

- iii). In case of topics which are of inter-disciplinary nature where the Department concerned feels that the expertise in the

आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के संबंध में एक प्रस्तुति देगा। शोध सलाहकार समिति द्वारा शोधार्थी की षड्मासिक प्रगति रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से कुलसचिव को 30 जून/31 दिसम्बर तक जमा की जाएगी जिसकी एक प्रति शोधार्थी को दी जायेगी।

- iii). यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, शोध सलाहकार समिति इसके कारण दर्ज करेगी तथा उपचारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने में असफल बना रहता है तो शोध सलाहकार समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट कारण दर्ज कर विभागीय शोध समिति की स्वीकृति के उपरान्त विश्वविद्यालय को इसकी सिफारिश कर सकती है।

6. शोध निर्देशक एवं सह-निर्देशक के लिए पात्रता मापदण्ड

- i). समविश्वविद्यालय के स्थाई शिक्षक ही निर्देशक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाह्य निर्देशकों को अनुमति नहीं होगी। तथापि समविश्वविद्यालय के सम्बन्धित/ अन्य विभागों से अंतर-विषयी क्षेत्रों में सह-निर्देशकों को शोध उपाधि समिति के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है।

- ii). समविश्वविद्यालय का कोई भी स्थाई रूप से नियुक्त प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर जिन्होंने किसी पीर रिव्यूड/ रेफरीड/ यू.जी.सी. की केयर सूची में दिए गए शोध पत्रिकाओं में कम से कम पांच शोध पत्र प्रकाशित किये हों वे शोध निर्देशक / सह-निर्देशक के रूप में कार्य करेंगे।

समविश्वविद्यालय का कोई भी स्थाई रूप से नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्होंने किसी पीअर रिव्यूड/ रेफरीड/ यू.जी.सी. की केयर सूची में दिए गए शोध पत्रिकाओं में कम से कम तीन शोध पत्र प्रकाशित किये हों वे शोध निर्देशक/ सह-निर्देशक के रूप में कार्य करेंगे।

इसके अलावा परीक्षण काल पर नियुक्त शिक्षक पी-एच.डी. शोध छात्रों के निर्देशन के लिए पात्र नहीं होंगे।

- iii). ऐसे शोध शीर्षक जो अंतर विषयी स्वरूप के हैं जहां संबंधित विभाग यह महसूस करता है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता की बाहर से अनुपूर्ति की जानी

Department has to be supplemented from outside, the Department may appoint a Co-Supervisor from within the same/outside the concerned Department of the University.

- iv). A co-supervisor with the above qualifications may be appointed on the request of research scholar with the recommendation of research advisory committee and approval of RDC. Co-supervisor shall have to take prior permission from the Universities.

Note:-

As per Supplementary Proposal No. 02 of the meeting of the Academic Council held on 22.04.2026, it was decided that faculty members working in the University shall not be appointed as Co-Supervisors in other Institutions/Universities. Further, faculty members of other universities/institutions shall also not be permitted by Gurukula Kangri University to become Research Supervisors. Only faculty members of the University may be appointed as Co-supervisors for undertaking work in the field of Interdisciplinary Research.

- v). Adjunct faculty members shall not act as Research Supervisors and can only act as Co-supervisor subject to the fulfilling the prescribed qualifications and terms & conditions laid down by the University for such Teachers on the recommendation of RAC & approval of RDC.

Note: *In areas/disciplines where there is no or only a limited number of Peer-reviewed /Refereed/ UGC CARE Listed Journals, University may relax the above condition for recognition of a Teacher as Research Supervisor with reasons recorded in writing.*

- vi). In case of relocation of a Ph.D. woman scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the University to which the scholar intends to relocate provided all the other conditions in these rules and regulations are followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the project secured by the parent institution/ supervisor from any funding agency. However, the scholar will give due credit to the parent guide and the institution for the part of research already done.

चाहिए उस स्थिति में विभाग द्वारा सह-निर्देशक नियुक्त किया जा सकता है जो कि समविश्वविद्यालय के संबंधित/ अन्य विभाग से हो सकते हैं।

- iv). शोधार्थी की प्रार्थना पर उपरोक्त योग्यताधारक शिक्षक शोध सलाहकार समिति द्वारा संस्तुत किये जाने एवं शोध उपाधि समिति की स्वीकृति पर किये जाने पर सह-निर्देशक नियुक्त किया जा सकता है। सह-निर्देशक को विश्वविद्यालय से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

नोट:-

दिनांक 22.04.2026 को आहूत शिक्षा पटल की बैठक के पूरक प्रस्ताव संख्या 02 में निर्णय लिया गया कि समविश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों को अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों में सह-निर्देशक नहीं बनाया जायेगा तथा अन्यविश्वविद्यालयों/संस्थानों के प्राध्यापकों को भी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा सह-निर्देशक बनने की अनुमति नहीं दी जायेगी। सह-निर्देशक केवल विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को ही अन्तर्विषयी शोधक्षेत्र के कार्य करने हेतु बनाया जा सकता है।

- v). सहायक संकाय सदस्य शोध निर्देशक के रूप में कार्य नहीं करेंगे और केवल सह-निर्देशक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसे शिक्षक समविश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता एवं शर्तें पूर्ण होने के उपरान्त शोध सलाहकार समिति की संस्तुति पर शोध उपाधि समिति की पूर्व स्वीकृति के आधार पर सह-शोध निर्देशक बन सकते हैं।

नोट:- उन क्षेत्रों/ विधाओं में जहां पीअर रिव्यूड/ रेफरीड/ यू.जी.सी. की केयर सूची में दिये गये शोध पत्रिकाओं में दी गयी शोध पत्रिकायें नहीं हों अथवा केवल सीमित संख्या में हों तो विश्वविद्यालय किसी शिक्षक को शोध निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तों में लिखित रूप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान कर सकता है।

- vi). विवाह अथवा अन्य किसी कारण से किसी पी-एच.डी. महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहां शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन नियमों-उपनियमों की अन्य समिति निबंधन और शर्तों का शब्दांश: पालन किया जाये तथा शोध कार्य मूल विश्वविद्यालय/ निर्देशक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी मूल विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन तथा संस्थान को पूर्व में किये गये शोध कार्य के अंकों के लिये उसे पूर्ण श्रेय देगा।

- vii). Faculty members with less than three years of service before superannuation shall not be allowed to take new research scholars under their supervision. However, such faculty members can continue to supervise Ph.D. scholars who are already registered until superannuation and as a Co-supervisor after superannuation, but not after attaining the age of 70 years.
- viii). If a faculty member is on a long leave of one year or more, the DRC shall not recommend him/her as supervisor/co-supervisor.
- ix). The maximum number of research scholars under a Supervisor/ Co-supervisor shall be as follows:-

Professor	8
Associate Professor	6
Assistant Professor	4

Note:-

- To become a co-supervisor of a student of Gurukula Kangri (Deemed to be University) a prior permission from Gurukula Kangri (Deemed to be University) authorities shall be mandatory.
- Reservation policy in case of seat allotment will be implemented teacher wise.
- After submission of Ph.D. thesis by a research scholar, the seat shall be treated as vacant under the concerned supervisor.

7. Submission of Progress Report

- It shall be mandatory for each research scholar to submit his/ her quarterly research progress report in the prescribed format certified by his/ her supervisor through the Head in the office of the Registrar.
- Each research scholar shall have to deposit the prescribed monthly fee in the office of the Registrar along with the progress report in the prescribed format.

- vii). सेवानिवृत्ति से पहले तीन साल से कम सेवा वाले शिक्षकों को नए शोधार्थियों को अपने निर्देशन में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, ऐसे शिक्षक उन पी.एच-डी. शोधार्थियों का निर्देशन जो सेवानिवृत्ति तक पहले से ही पंजीकृत हैं, सेवानिवृत्ति के बाद 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सह-निर्देशक के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- viii). यदि कोई शिक्षक एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के अवकाश पर है, तो विभागीय शोध समिति उसे निर्देशक/ सह-निर्देशक के रूप में अनुशंसित नहीं करेगा।
- ix). एक निर्देशक/ सह-निर्देशक के अन्तर्गत शोधार्थियों की अधिकतम संख्या निम्न प्रकार होगी:-

प्रोफेसर	8
एसोसिएट प्रोफेसर	6
असिस्टेंट प्रोफेसर	4

नोट:-

- गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) के किसी शोधार्थी का सह-निर्देशक होने के लिये गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) के अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
- सीट विनियोजन के समय आरक्षण शिक्षकवार लागू होगा।
- शोधार्थी द्वारा शोध ग्रन्थ (Ph.D. Thesis) जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित निर्देशक की वह सीट रिक्त मानी जायेगी।

7. प्रगति विवरण का प्रस्तुतीकरण

- प्रत्येक शोधार्थी के लिए अपना त्रैमासिक शोध प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप में अपने निर्देशक से प्रमाणित करवाकर विभागाध्यक्ष के माध्यम से कुलसचिव कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा।
- प्रत्येक शोधार्थी को निर्धारित प्रारूप में प्रगति विवरण के साथ मासिक शुल्क कुलसचिव कार्यालय में जमा करना होगा।

8. Cancellation of Registration

- i). The Ph.D. registration shall automatically be treated as cancelled after maximum period for submitting the thesis. This period shall be counted from the date of admission to the Ph.D. programme.
- ii). If two successive quarterly research progress reports of the research scholar along with monthly fee are not submitted in the University office, the registration of the research scholar shall be cancelled. However, on the written request of the research scholar within 30 days after cancellation with the recommendation of the research advisory committee (RAC), his/her case shall be referred to the DRC for final decision. This opportunity shall be provided only once during the entire period of Ph.D. programme.
- iii). The Ph.D. registration shall be cancelled on the recommendation of RAC as per clause 5 (iii) above.

9. Layout of the Thesis

The layout of Ph.D. thesis shall be as follows:-

- i). Candidate's declaration
- ii). Supervisor's certificate
- iii). Co-supervisor's certificate (If any)
- iv). Certificate of HOD.
- v). Certificate of Ph.D. course-work examination (issued by Controller of Examinations)
- vi). Acknowledgement by the candidate
- vii). Contents
- viii). Main body of the thesis alongwith references/ bibliography, notes and appendices etc.

10. Evaluation of the Thesis

- i). Upon satisfactory completion of Ph.D. course work, and obtaining the marks/grade prescribed above, the Ph.D. scholar shall be required to undertake research work and produce a draft dissertation/thesis within a reasonable time, as stipulated by the University in these Rules & Regulations.

8. पंजीयन निरस्तीकरण

- i). शोध कार्य की अधिकतम अवधि, जो कि पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि से मानी जायेगी, के पश्चात् पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- ii). यदि शोधार्थी के लगातार दो शोध प्रगति विवरण तथा मासिक शुल्क समविश्वविद्यालय कार्यालय में जमा न हो तो उसका पंजीकरण निरस्त किया जायेगा। पंजीकरण निरस्तीकरण पर विचार हेतु शोधार्थी के द्वारा पंजीकरण निरस्तीकरण के पश्चात् 30 दिनों के अन्तर्गत लिखित प्रार्थना पत्र पर जो कि उसके शोध सलाहकार समिति द्वारा संस्तुत हो, विभागीय शोध समिति में अंतिम निर्णय हेतु प्रेषित किया जायेगा। यह अवसर शोधार्थी को पी-एच.डी. पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के दौरान केवल एक बार ही दिया जायेगा।
- iii). शोध सलाहकार समिति की संस्तुति पर उपरोक्त बिंदु 5 (iii) के अनुसार पी-एच.डी. पाठ्यक्रम का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

9. शोध ग्रन्थ का अभिन्यास

शोध ग्रन्थ का अभिन्यास (खाका) निम्न प्रकार होगा:-

- i). शोधार्थी का घोषणा पत्र
- ii). निर्देशक का प्रमाण पत्र
- iii). सह-निर्देशक का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)
- iv). विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र।
- v). पी-एच.डी. कोर्स वर्क का प्रमाण पत्र (परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्गत)
- vi). शोधार्थी द्वारा धन्यवाद पत्र
- vii). विषय सूची
- viii). शोध ग्रन्थ का मुख्य भाग, सन्दर्भ सूची/ परिशिष्टियों, टिप्पणी, ग्रन्थ सूची आदि सहित।

10. शोध ग्रन्थ का मूल्यांकन

- i). शोधार्थी द्वारा पी-एच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त निर्धारित अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर शोध कार्य आरम्भ किया जायेगा तथा इन नियमों के आधार पर समविश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय में शोध ग्रंथ थीसिस जमा करना होगा।

-
- ii). A Ph.D. student shall publish at least one research paper in a peer-reviewed/ refereed/ UGC CARE Listed Journals and must present two research papers at national or international conferences/ seminars before submitting the Ph.D. thesis. The candidate must provide evidence of these activities in the form of reprints of the published paper and certificates of presentation at the conferences/ seminars.
 - iii). Prior to the submission of the dissertation/ thesis, the scholar shall make a presentation in the Department before the Research Advisory Committee & DRC which shall also be open to all faculty members and other Research Scholars/ Students. The feedback and comments obtained from them shall be suitably incorporated into the draft dissertation/thesis in consultation with the Research Advisory Committee. For the above presentation, research scholar shall inform to Head of the Department through his/her supervisor. Ph.D. thesis shall have to be submitted within 30 days from the date of Pre-submission presentation.
 - iv). The Academic Council of the University shall evolve a mechanism using well developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of academic dishonesty in the thesis.
 - v). While submitting for evaluation, the dissertation/ thesis shall have an undertaking from the research scholar and a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the work, vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other degree/diploma of the University where the work was carried out, or to any other Institution.
 - vi). After completion of the research work the research scholar shall submit four typed copies (on both sides of the page) of the thesis (soft bound) with the certificate of the supervisor alongwith candidate's by declaration and forwarded Head/Convenor of the RDC to the office of the Registrar alongwith summary and synopsis
 - ii). शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने से पूर्व शोधार्थी न्यूनतम एक शोध पत्र पीयर रिव्यूड/ रेफरीड/ यू.जी.सी. की केयर सूची में दिये गये शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करायेगा तथा न्यूनतम दो शोध पत्र राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस सेमिनार में प्रस्तुत करेगा। शोधार्थी इन शोध पत्रों के रीप्रिंट तथा कांफ्रेंस सेमिनार में प्रस्तुत किये गये शोध पत्रों के प्रमाणपत्र प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करेगा।
 - iii). शोध प्रबंध/थीसिस को जमा करने से पूर्व, शोधार्थी शोध सलाहकार समिति एवं विभागीय शोध समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्यगण/छात्र तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित होंगे। उनसे प्राप्त हुई प्रति पुष्टि तथा टिप्पणियों को शोध सलाहकार समिति के परामर्श से मसौदा शोध प्रबंध थीसिस में उपयुक्त रूप से शामिल किया जायेगा। उक्त प्रस्तुतीकरण हेतु शोधार्थी अपने निर्देशक के माध्यम से विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा। शोध ग्रंथ उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के तीस दिनों के अन्तर्गत जमा करना होगा।
 - iv). समविश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद् सुविकसित सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों के विकास द्वारा शोध ग्रंथ में साहित्यिक चोरी (Plagiarism) तथा शिक्षा संबंधी छल-कपट (Academic dishonesty) का पता लगायेगी।
 - v). शोध प्रबंध थीसिस को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी तथा शोध निर्देशक द्वारा कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाण जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य विश्वविद्यालय में जहां यह शोध कार्य किया गया था अथवा किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवार्ड करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 - vi). शोध कार्य पूर्ण होने पर शोधार्थी को शोध ग्रन्थ की चार टाइप (पृष्ठ के दोनों ओर) की हुई प्रतियाँ (सॉफ्ट बाउंड) निर्देशक के प्रमाण पत्र एवं शोधार्थी के घोषणा पत्र सहित विभागाध्यक्ष शोध उपाधि समिति के संयोजक द्वारा अग्रसारित करवाकर कुलसचिव कार्यालय में शोध ग्रन्थ का सारांश और रूपरेखा (Synopsis) एवं शुल्कादि सहित जमा करनी होगी। जिस शोधार्थी का सह-निर्देशक नियुक्त हो,
-

approved by RDC and fee etc. The certificate duly signed by co-supervisor is essential wherever co-supervisor has been appointed.

Note: Candidate shall be submitted two typed copies (both sides of the page) of the thesis with hard bound brown cover within seven days after the viva-voc examination. In addition to above the candidate will also submit two soft copies of the thesis in CD one for Registrar office and the other for INFLIBNET/UGC.

- vii). The research scholar shall submit a summary of Ph.D. thesis of about 10 pages and approved synopsis along with the thesis (four copies each).
- viii). The language of the thesis shall be Hindi/ English. But the thesis related to Hindi/ English/ Sanskrit literature shall essentially be written in the respective language only.
- ix). The Ph.D. thesis must satisfy the following requirements:-
 - a) The thesis must be characterized by discovery of facts or by new interpretation of facts and it must be also based on critical examination and sound judgement.
 - b) The work must be original, not just imitation and should reflect the candidate's capacity for critical examination and sound judgement.
- x). The Ph.D. thesis submitted by a Ph.D. scholar shall be evaluated by his/ her research supervisor and at least two external examiners who are experts in the field and not in the employment of Gurukula Kangri. Such examiner(s) should be academics with a good record of scholarly publication in the field wherever possible, one of the external examiners should be chosen from outside India. The viva-voce board shall consist of the Research Supervisor and at least one of the external examiners and may be conducted online. The viva-voce shall be open to the members of Research Advisory Committee/ Faculty members/ research scholars, and students.

उसे शोध ग्रन्थ में उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

नोट:- अभ्यर्थी मौखिकी परीक्षा होने के सात दिन के अन्तर्गत शोध ग्रन्थ की दो टाइप प्रतियाँ (पृष्ठ के दोनों ओर) ब्राउन कलर के आवरण पृष्ठ के साथ सजिल्द जमा करेंगे। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को शोध ग्रन्थ की दो सॉफ्ट प्रतियाँ सीडी में जमा करनी होंगी जिनमें से एक कुलसचिव कार्यालय तथा दूसरी इन्फ्लिबनेट / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये होगी।

- vii). शोध ग्रन्थ के साथ शोधार्थी को लगभग 10 पृष्ठों में सार-संक्षेप (Summary) एवं स्वीकृत रूप रेखा जमा करनी होगी (प्रत्येक 4 प्रतियों में)।
- viii). शोध ग्रन्थ की भाषा हिन्दी/ अंग्रेजी होगी, किन्तु हिन्दी/ अंग्रेजी/ संस्कृत साहित्य विषयक शोध ग्रन्थ अपनी-अपनी भाषा में ही लिखे जायेंगे।
- ix). शोध ग्रन्थ में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी आवश्यक हैं :-
 - a) शोध ग्रन्थ अन्वेषणात्मक हो, जिसमें तथ्यों एवं विषयों का समावेश हो तथा वह आलोचनात्मक एवं तर्कसंगत निर्णयों पर आधारित होना चाहिए।
 - b) कार्य मौलिक हो, अनुकरण न हो, उसमें शोधार्थी की समीक्षात्मक प्रतिभा तथा निर्णय करने की क्षमता का प्रदर्शन होना चाहिए।
- x). शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत पी-एच.डी. थीसिस का मूल्यांकन उसके निर्देशक और कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हों एवं गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में नियोजित न हों। ऐसे परीक्षकों को क्षेत्र में विद्वतापूर्ण प्रकाशन के अच्छे रिकॉर्ड वाला शिक्षाविद होना चाहिए, जहां भी संभव हो बाहरी परीक्षकों में से एक को भारत के बाहर से चुना जाना चाहिए। मौखिक परीक्षा में शोध-निर्देशक और कम से कम एक बाहरी परीक्षक शामिल होगा और इसे ऑनलाइन भी आयोजित किया जा सकता है। मौखिक परीक्षा शोध सलाहकार समिति के सदस्यों/ संकाय सदस्यों/ शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए खुली होगी।

-
- xi). The external examiners will be appointed from a list approved by the Board of Studies. The list will contain the names of at least 10 external examiners in each specialization. Panels of examiners shall consist of Professors, Associate Professors, Scientist-F & above only. In the list of examiners, name of foreign examiners may also be given. The list will be reviewed each year.
- xii). For the evaluation of Ph.D. thesis, the Vice-Chancellor shall appoint two examiners (at least one shall be from outside the state) from the approved list by the Board of studies of the concerned department for evaluation of the thesis. These examiners shall send their reports of the thesis within a period of two months from the date of receipt of the thesis confidentially to the Registrar.
- xiii). The viva-voce examination, based among other things, on the critiques given in the evaluation report of the Ph.D. thesis, shall be conducted by the Research Supervisor and at least one of the two external examiners, and shall be open to be attended by Members of the Research Advisory Committee, all faculty members of the Department, other research scholars and other interested experts/ researchers. Viva-voce Examination may also be conducted online as per procedure laid down by the University for the same.
- xiv). The research scholar shall be declared fail in case both the examiners reject the thesis. If one of them recommends (accepts) the thesis and the other rejects it, the thesis shall be sent to the third examiner out of the approved panel of examiners and his report shall be treated as final. However, the reports of both the above examiners will not be sent to the third examiner.
- xv). The public viva-voce of the research scholar to defend the dissertation/thesis shall be conducted only if the evaluation report(s) of the external examiner(s) on the dissertation/thesis is/are satisfactory and include a specific recommendation for conducting the viva-voce examination. If the
- xi). बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ स्टडीज़ द्वारा स्वीकृत की गई पर्यवेक्षकों की सूची से की जाएगी। सूची में प्रत्येक विशेषज्ञता में कम से कम 10 बाहरी परीक्षकों के नाम होंगे। परीक्षकों की सूची में केवल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वैज्ञानिक-एफ एवं उससे ऊपर के नाम भी दिये जा सकते हैं। परीक्षकों की सूची में विदेशी विशेषज्ञों के नाम भी दिये जा सकते हैं। प्रत्येक वर्ष सूची की समीक्षा की जाएगी।
- xii). शोध ग्रन्थ के मूल्यांकन हेतु कुलपति संबंधित विभाग के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ द्वारा स्वीकृत परीक्षकों की सूची से दो बाह्य परीक्षक (जिनमें कम से कम एक राज्य से बाहर का हो) नियुक्त करेंगे। परीक्षक शोध ग्रन्थ का मूल्यांकन सम्बन्धी अपना प्रतिवेदन (Report) शोध ग्रन्थ प्राप्त होने के दो माह के अन्दर गोपनीय रूप से कुलसचिव को भेजेंगे।
- xiii). पी-एच.डी. शोध प्रबंध के मूल्यांकन अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई आलोचना पर मौखिक परीक्षा, शोध निर्देशक तथा दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक बाह्य परीक्षक द्वारा की जाएगी, इसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग में संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी और इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं। मौखिकी परीक्षा को समविश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑनलाइन भी आयोजित किया जा सकता है।
- xiv). दोनों परीक्षकों द्वारा शोध ग्रन्थ अस्वीकृत कर दिए जाने की अवस्था में शोधार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। यदि एक परीक्षक शोध ग्रन्थ को स्वीकृत करे तथा दूसरा अस्वीकृत करे, तो शोध ग्रन्थ को तीसरे परीक्षक के पास भेजा जाएगा तथा उसके प्रतिवेदन (Report) को अन्तिम माना जाएगा। परन्तु दोनों परीक्षकों के प्रतिवेदन तीसरे परीक्षक को नहीं भेजे जायेंगे।
- xv). शोध प्रबंध थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिकी परीक्षा केवल उस स्थिति में ली जाएगी जब शोध प्रबंध थीसिस पर बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो तथा उसमें मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिये विशिष्ट सिफारिश शामिल हो। पी -एच.डी. शोध
-

evaluation report of the external examiner of Ph.D. thesis, is unsatisfactory and does not recommend viva-voce, the University shall send the dissertation/ thesis to another external examiner out of the approved panel of examiners and the viva-voce examination shall be held only if the report of the third examiner is satisfactory. If the report of the third examiner is also unsatisfactory, the dissertation/thesis shall be rejected and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the Ph.D. degree.

- xvi). After having been asked for correction in the thesis, the research scholar shall have to submit his/her thesis within six months from the date of receipt of such intimation, but not before three months. The prescribed fee shall also be deposited alongwith this modified thesis. The examiner for this modified thesis shall be the same who had been appointed earlier. No research scholar shall be permitted to submit his/ her modified thesis more than once.
- xvii). After appointment of examiners for viva-voce examination, the information shall also be given to the head of department and the concerned supervisor in addition to the examiner so that the head of the department in consultation with the supervisor shall fix the date of viva-voce examination with the examiner and inform the same to the Examination controllers' office.
- xviii). The notice of the conducting viva-voce examination shall be circulated by the Controller of Examinations. The viva-voce examination will be held in the concerned department of main campus or any other place fixed by the University only.
- xix). The entire process of evaluation of the Ph.D. thesis shall be completed within a period of six months from the date of submission of the thesis.
- xx). If there is no unanimous decision in the viva-voce examination, the candidate shall be given one more chance after six months, if any of the examiners fails the student in the viva-voce examination second time, he/she shall be declared fail.

प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षक की कोई एक मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर तथा उसमें मौखिक परीक्षा की सिफारिश नहीं किए जाने पर समविश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से किसी अन्य बाह्य परीक्षक को शोध प्रबंध थीसिस भेजेगा तथा तीसरे परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर ही मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि तीसरे परीक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक हो तो, शोध प्रबंध थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी को पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

- xvi). शोध ग्रन्थ में संशोधन का आदेश मिलने पर शोधार्थी को अपना संशोधित शोध ग्रन्थ इस आदेश की तिथि से अधिकतम छः माह के अन्दर जमा करना होगा, परन्तु तीन माह से पूर्व नहीं। संशोधित शोध ग्रन्थ के साथ निर्धारित शुल्क भी देना होगा। पूर्व में नियुक्त परीक्षक ही संशोधित शोध ग्रन्थ के परीक्षक होंगे। किसी भी शोधार्थी को एक बार से अधिक संशोधित शोध ग्रन्थ जमा करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- xvii). मौखिकी परीक्षा के लिए परीक्षक नियुक्त होने के पश्चात् सम्बन्धित सूचना मौखिकी परीक्षक के साथ-साथ विभागाध्यक्ष एवं सम्बन्धित निर्देशक को भी दी जाएगी, ताकि विभागाध्यक्ष शोधार्थी के निर्देशक से सम्पर्क कर परीक्षक से परीक्षा तिथि निर्धारित कर तत्सम्बन्धी सूचना से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को अवगत करेंगे।
- xviii). मौखिकी परीक्षा परीक्षा सम्बन्धी सूचना परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रसारित की जाएगी। मौखिकी परीक्षा मुख्य परिसर के सम्बन्धित विभाग अथवा समविश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थान पर ही आयोजित की जायेगी।
- xix). पी-एच.डी. शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन की समग्र प्रक्रिया शोध प्रबन्ध जमा करने की तिथि से छः माह के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।
- xx). मौखिकी परीक्षा में सर्वसम्मत निर्णय न होने पर, शोधार्थी को छः माह के पश्चात् पुनः एक अवसर दिया जाएगा। पुनः मौखिकी परीक्षा में एक भी परीक्षक यदि शोधार्थी को अनुत्तीर्ण करता है तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

11. Depository with INFLIBNET

- i). Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the Ph.D. degree(s), University shall submit an electronic copy of the Ph.D. thesis to the INFLIBNET, within a period of thirty days, for hosting the same so as to make it accessible to all Institutions/ Colleges.
- ii). Prior to the actual award of the degree, University shall issue a provisional Certificate to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions of these UGC Regulations, 2022.

12. Other Information about Ph.D. Programme

- i). The University shall maintain the list of all the Ph.D. registered students on its website on year-wise basis. The list shall include the name of the registered candidate, topic of his/ her research, name of his/her supervisor/ co-supervisor, date of enrolment/ registration.
- ii). The Ph.D. programme in Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar is a Regular (full time/part time) programme. There is no provision of distance mode Ph.D. programme in any subject/discipline.
- iii). If a candidate pursuing Full Time Ph.D. programme in this University is working in any Institution, he/she will have to submit a NOC (No Objection Certificate) & acceptance letter of leave from Head of Department/ Institution at the time of admission to Ph.D. course work.
- iv). Employee of Gurukula Kangri (DU) shall have to apply through proper channel.
- v). Each research scholar (including those who are getting scholarship/stipend) shall have to sign in the office of the concerned Head of Department/ Co-ordinator Kanya Gurukula Campus daily. If the research scholar has to

11. इन्फ्लिबनेट के साथ डिपोजिटरी

- i). पी-एच.डी. उपाधियों को अवाई करने हेतु सफलतापूर्वक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् तथा पी-एच.डी. उपाधि को प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व समविश्वविद्यालय 30 दिनों के अन्तर्गत पी-एच.डी. शोध प्रबंध की एक इलैक्ट्रॉनिक प्रति इन्फ्लिबनेट के पास प्रदर्शित (होस्ट) करने के लिए जमा करेगा ताकि सभी संस्थानों/ महाविद्यालयों तक इनकी पहुँच बनाई जा सके।
- ii). उपाधि को वास्तव में प्रदान करने से पूर्व समविश्वविद्यालय इस आशय का एक अनंतिम प्रामाणपत्र जमा करेगा कि उपाधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2022 के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई है।

12. पी-एच.डी. पाठ्यक्रम सम्बन्धी अन्य सूचनाएँ

- i). समविश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर वर्षवार आधार पर सभी पीएच.डी. पंजीकृत छात्रों की सूची बनाए रखेगा। इस सूची में पंजीकृत छात्र का नाम, उसके शोध का विषय, उसके निर्देशक/सह-निर्देशक का नाम, नामांकन/पंजीकरण की तिथि शामिल होगी।
- ii). गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार में पी-एच.डी. पाठ्यक्रम एक नियमित (पूर्णकालिक/अंशकालिक) पाठ्यक्रम है। अतः किसी भी विषय/क्षेत्र में दूरस्थ प्रणाली में पी-एच.डी. पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं है।
- iii). गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में पूर्णकालिक शोध कार्य करने वाला शोधार्थी यदि किसी भी संस्थान में कार्यरत हो तो उसे सम्बन्धित विभाग/ संस्थान के अध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अवकाश का स्वीकृति पत्र पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य में प्रवेश लेने के समय जमा करना होगा।
- iv). गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) के शिक्षक/कर्मचारी को उचित माध्यम द्वारा आवेदन करना होगा।
- v). प्रत्येक शोधार्थी (छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले शोधार्थी सहित) को प्रतिदिन संबंधित विभागाध्यक्ष/कन्या गुरुकुल परिसर के समन्वयक कार्यालय में हस्ताक्षर करने होंगे। यदि शोधार्थी को

go outside for some personal or research-related work, the supervisor may give permission for it. But the candidate will inform through supervisor to the office of the concerned Department/ Faculty/ Kanya Gurukula Campus. All the documents related to the scholarship of the research scholar shall be sent to the office of the Registrar for further action through the head of the department.

- vi). If a registered candidate wants to change his/her approved Ph.D. topic, he/she will have to apply a fresh in the next RDC. He/she shall have to submit a new topic/modified topic (synopsis) with the recommendation of the RAC and forwarded by head of the department again to the office of the Registrar. He/she will have to pay the registration fee once again for it. However, he/she will not have to appear in the RET again.
- vii). On the written request of the candidate who has been registered for Ph.D. programme, only minor changes/ modifications are allowed in his/ her approved Ph.D. topic/synopsis with the recommendation of the RAC and forwarded by HOD after the approval of the RDC. The modification in the approved synopsis shall be allowed once only. After the approval of the RDC the Registrar office shall inform the candidate accordingly.
- viii). No research scholar shall be permitted to appear in any examination of this University or any other university after getting registered for Ph.D. in this University.
- ix). If the knowledge/ understanding of any specific language or script is needed for the thesis he/she shall have to submit a certificate of having acquired the desired qualification/skill within one year.
- x). After awarding the degree, one copy of the thesis shall be returned to the research scholar alongwith the copy of the reports of the examiners on request within one

किसी व्यक्तिगत या शोध संबंधी कार्य हेतु बाहर जाना हो, तो पर्यवेक्षक इसकी अनुमति दे सकता है। किन्तु अभ्यर्थी को निर्देशक के माध्यम से संबंधित विभाग/ संकाय/ कन्या गुरुकुल परिसर के कार्यालय को सूचित करना होगा। शोधार्थी की छात्रवृत्ति से संबंधित समस्त प्रपत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से आगे की कार्रवाई हेतु कुलसचिव कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे।

- vi). यदि शोधार्थी स्वीकृत पी-एच.डी. विषय को बदलना चाहता/चाहती है, तो उसे नया आवेदन शोध उपाधि समिति (RDC) के समक्ष पुनः प्रस्तुत करना होगा। परन्तु उसे (नए विषय/संशोधित विषय/रूपरेखा को) जिसे शोध सलाहकार समिति (RAC) द्वारा अनुमोदित तथा अध्यक्ष द्वारा अग्रसारित किया गया हो, कुलसचिव कार्यालय में जमा करना होगा। इस हेतु उसे नामांकन शुल्क पुनः जमा करना होगा। उसे शोध प्रवेश परीक्षा में पुनः नहीं बैठना होगा।
- vii). पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में पंजीकृत शोधार्थी की लिखित प्रार्थना पर उसके स्वीकृत शोध विषय/ रूपरेखा में आंशिक संशोधन उसके शोध सलाहकार समिति (RAC) के अनुमोदन तथा विभागाध्यक्ष के अग्रसारण और शोध उपाधि समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही किया जायेगा। रूपरेखा में इस प्रकार का आंशिक संशोधन केवल एक बार ही मान्य होगा। तत्पश्चात् शोध उपाधि समिति (RDC) के अनुमोदन के उपरान्त कुलसचिव कार्यालय द्वारा शोधार्थी को इसकी सूचना दी जाएगी।
- viii). जिस शोधार्थी ने शोध के लिए इस विश्वविद्यालय में अपना पंजीकरण करा लिया है उसे इस विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय की किसी भी प्रकार की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ix). यदि किसी विषय में शोधार्थी के लिए किसी विशिष्ट भाषा या लिपि का ज्ञान अपेक्षित है तो उसे एक वर्ष के अन्दर तत्सम्बन्धी योग्यता प्राप्त कर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
- x). उपाधि प्रदान किए जाने के उपरान्त एक माह के अन्दर, शोध ग्रन्थ की एक प्रति शोधकर्ता को वापस कर दी जाएगी तथा उसके साथ शोधार्थी की प्रार्थना पर परीक्षकों की रिपोर्ट की भी एक-

- month, but the name of the external examiners shall not be disclosed in any case.
- xi). If the examiner appointed for the viva-voce examination does not turn up, the Vice-Chancellor has the right to appoint another examiner from the proposed panel of examiners.
- xii). The student who has already obtained Ph.D. degree from this University shall not be permitted to register himself/herself for Ph.D. degree in the same or in any other subject of this University.
- xiii). The tenure of subject experts of RDC shall be of three years.
- xiv). Number of vacant seats in each subject shall be advertised by the Registrar office on the position of the date of advertisement of admission notice in each academic session.
- xv). If a full time registered Ph.D. scholar who have completed research work continuously for 1 year, he/she can be facilitated to join regular employment in other Institutions/ Organisation by converting full time Ph.D. Programme into part-time Ph.D. Programme as per following:
- The candidate must have successfully completed the prescribed Ph.D. course work.
 - The candidate's research topic must have been duly approved by the Research Degree Committee (RDC).
 - The candidate must have obtained a No Objection Certificate (NOC) from the institution/ organisation where he/she has joined employment.
 - The candidate shall be required to deposit ₹3,000/- (Rupees Three Thousand only) as the prescribed Migration/Transfer Fee.
 - The above-mentioned conditions shall be applicable uniformly to all research scholars/candidates seeking conversion from Full Time Ph.D. to Part-Time Ph.D.
- xvi). A researcher may use his/her previously published material in his/her thesis provided that he/she has not used it earlier for obtaining any degree of this University or any other University.
- xvii). The supervisor of a candidate may be changed on the following grounds:-
- If the supervisor dies after the registration of the candidate.
 - If the supervisor is on leave (except maternity/paternity/child care leave) from the University for a period of more than one year or resigns from the University.
- एक प्रति प्रेषित कर दी जाएगी, परन्तु परीक्षकों के नाम किसी भी दशा में प्रकट नहीं किए जायेंगे।
- xi). मौखिकी परीक्षा हेतु नियुक्त परीक्षक यदि उपस्थित नहीं होता तो कुलपति को प्रस्तावित परीक्षकों की सूची में से अन्य परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार होगा।
- xii). जिस छात्र/छात्रा ने इस विश्वविद्यालय से पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त कर ली हो वह पुनः इस संस्थान में उसी विषय अथवा किसी अन्य विषय में पी-एच.डी. उपाधि हेतु आवेदन नहीं कर सकेगा।
- xiii). समिति के विषय विशेषज्ञों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
- xiv). प्रत्येक विषय में रिक्त स्थानों की संख्या कुलसचिव कार्यालय द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु विज्ञापन की तिथि के दिन की स्थिति अनुसार विज्ञापित की जायेंगी।
- xv). यदि कोई पूर्णकालिक पंजीकृत शोधार्थी समविश्वविद्यालय में 1 वर्ष तक निरन्तर शोध कार्य कर चुका हो तो उसे अन्यत्र संस्थानों में नियमित सेवा करने की सुविधा प्रदान करने हेतु पूर्णकालिक से अंशकालिक व्यवस्था में परिवर्तन निम्न प्रकार से किया जा सकता है:-
- अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित पी-एच.डी. कोर्स वर्क सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया हो।
 - अभ्यर्थी का शोध विषय शोध उपाधि समिति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया गया हो।
 - अभ्यर्थी ने जिस संस्था/संगठन में सेवाग्रहण की है, उस संस्था/संगठन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया हो।
 - अभ्यर्थी को निर्धारित स्थानान्तरण शुल्क के रूप में रु. 3,000/- जमा करना अनिवार्य होगा।
 - उपर्युक्त सभी शर्तें पूर्णकालिक पी-एच.डी. से पार्ट-टाइम पी-एच.डी. में परिवर्तन हेतु आवेदन करने वाले सभी शोधार्थियों/अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होंगी।
- xvi). शोधार्थी अपने शोध ग्रन्थ में अपनी पूर्व प्रकाशित सामग्री का उपयोग कर सकेगा, बशर्ते कि उसने इसका उपयोग इस विश्वविद्यालय की अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय की किसी उपाधि को प्राप्त करने के लिए पहले न किया हो।
- xvii). शोधार्थी के निर्देशक को निम्न प्रकार से बदला जा सकता है:-
- यदि निर्देशक की शोधार्थी के पंजीकरण के पश्चात् मृत्यु हो गयी हो।
 - यदि निर्देशक 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए समविश्वविद्यालय से अवकाश (मातृत्व/पितृत्व/चाइल्ड केयर लीव को छोड़कर) लेता है या समविश्वविद्यालय से कार्यमुक्त होता है।

- c) If the supervisor is suffering from a serious illness and is not, under any circumstances, in a position to guide the researcher for a period longer than the prescribed six months.
- d) If there is mutual agreement between the researcher and the research supervisor (present and incumbent) (valid only for 01 year from the date of admission).
- e) If there is a dispute between the research scholar and his/her supervisor the following committee shall examine the matter and report to the Vice-Chancellor, whose decision shall be final:-
 - i. Dean of the concerned faculty
 - ii. Nominee of the Vice-Chancellor
 - iii. Head of the concerned department – convenor

(If complaint is against the Head/Dean, he shall not participate in the proceedings of the meeting. In that case, another faculty member of the department may be appointed by the Vice-Chancellor).

Note:-The candidate may request for the change of supervisor with the recommendation of the Head of the Department to the Registrar. If there is no vacant seat under a teacher of the department, the Vice-Chancellor may grant permission to work under a supervisor as an additional candidate decided by the Departmental Research Committee till a seat falls vacant under that teacher.

- (viii). All Ph.D. scholars, irrespective of discipline shall be required to train in teaching/ education/ pedagogy/ writing related to their chosen Ph.D. subject during their doctoral period. Ph.D., scholars may also be assigned 4-6 hours per week of teaching/research assistantship for conducting tutorial or laboratory work and evaluations.
- xix). Research scholar having less than 75% attendance in Ph.D. course work, shall have to take re-admission in Ph.D. course work.
- xx). If the research scholar does not appear in the examination after completing Ph.D. course work, he/she shall be given another chance to appear in the next Ph.D. course-work

- c) यदि निर्देशक गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हो तथा किसी भी अवस्था में शोधार्थी को निर्धारित छः महीने से अधिक की समयावधि में निर्देशित कर सकने की स्थिति में न हो।
- d) यदि शोधार्थी एवं शोध निर्देशकों (वर्तमान एवं पदस्थ) में पारस्परिक सहमति हो (प्रवेश तिथि के 01 वर्ष तक ही मान्य)।
- e) यदि शोधार्थी एवं उसके निर्देशक के मध्य विवाद हो तो निम्न समिति विचार करेगी। यह समिति कुलपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा कुलपति का निर्णय अंतिम होगा:-
 - i. सम्बन्धित संकाय के संकायाध्यक्ष
 - ii. कुलपति के प्रतिनिधि
 - iii. सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष-संयोजक

(यदि विभागाध्यक्ष/ संकायाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत हो तो वह समिति की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कुलपति द्वारा विभाग का अन्य शिक्षक नियुक्त किया जा सकता है।)

नोट:- शोधार्थी विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर कुलसचिव को निर्देशक बदलने के लिये प्रार्थना कर सकता है। यदि विभाग के किसी शिक्षक के अन्तर्गत कोई स्थान रिक्त न हो तो विभागीय शोध समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा किसी भी शिक्षक को अतिरिक्त शोधार्थी के रूप में शोध करने हेतु अनुमति दी जा सकती है जब तक की उस शिक्षक के अन्तर्गत सीट रिक्त न हो जाये।

- xviii). समस्त शोधार्थियों को उनके डॉक्टरेट अवधि के दौरान अपने चुने हुए पी-एच.डी. से संबंधित विषय में शिक्षण/ शिक्षा/ शिक्षाशास्त्र/ लेखन में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। शोधार्थियों को ट्यूटोरियल या प्रयोगशाला कार्य और मूल्यांकन आयोजित करने के लिए प्रति सप्ताह 4-6 घंटे शिक्षण/ अनुसंधान सहायता भी सौंपी जा सकती है।
- xix). पी-एच.डी. में पाठ्यक्रम कार्य शोधार्थी की उपस्थिति न्यूनतम 75% से कम रहने पर उसे पी-एच.डी. कोर्स वर्क में पुनः प्रवेश लेना होगा।
- xx). यदि किसी शोधार्थी ने कोर्स वर्क पूर्ण करने के उपरान्त परीक्षा नहीं दी हो तो उसे निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कर आगामी पी-एच.डी. कोर्स वर्क की

examination after depositing the prescribed examination fee. However, examination fee deposited earlier shall be retained on medical grounds only.

परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। पूर्व में जमा किया गया परीक्षा शुल्क केवल मेडिकल के आधार पर ही सुरक्षित किया जा सकेगा।

xxi). If the synopsis of the candidate is rejected in the RDC meeting, on the recommendation of RAC the new synopsis can be re-submitted for discussion in the next RDC meeting on the request of the candidate and the recommendation of RAC.

xxi). यदि शोध उपाधि समिति की बैठक में किसी अभ्यर्थी की शोध रूपरेखा को निरस्त कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी की प्रार्थना एवं शोध सलाहकार समिति की संस्तुति पर नई शोध रूपरेखा को आगामी शोध उपाधि समिति की बैठक में विचारार्थ पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।

xxii). After completion of Ph.D. course-work and approval of the research topic, the research scholar shall give his/her attendance to the office of concerned Department/ Faculty/ Kanya Gurukula Campus.

xxii). पी-एच.डी. कोर्स वर्क पूर्ण करने एवं शोध विषय की स्वीकृति के पश्चात् शोधार्थी अपनी उपस्थिति सम्बन्धित विभाग/सं काय/ सम्बद्ध कन्या गुरुकुल परिसर कार्यालय में अंकित करावेंगे।

xxiii). The rules and regulations for Ph.D. are applicable from the academic session 2023-24 as per the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2022.

xxiii). पी-एच.डी. हेतु नियम-उपनियम समविश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी-एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियुक्त, 2022 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू हैं।

xxiv). In case any candidate/ Ph.D. scholar is found to have furnished any false information or documents, he/she shall be debarred from continuing the course.

xxiv). यदि अभ्यर्थी/ शोधार्थी किसी गलत सूचना अथवा प्रमाण पत्र देते हुए पाया गया तो उसे पाठ्यक्रम को जारी रखने से प्रतिबन्धित कर दिया जाएगा।

xxv). The controller of examinations shall issue a certificate for the course completed by the Ph.D. scholars.

xxv). परीक्षा नियंत्रक, पी-एच.डी. शोधार्थियों द्वारा पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम के लिए प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

xxvi). Prior to award of actual degree, the candidate can obtain a provisional certificate after two weeks from the date of viva-voce examination mentioning that the "Degree has been awarded in accordance with the Provisions of the UGC (Minimum Standards and procedures for the award of Ph.D. degree) Regulation, 2022".

xxvi). वास्तविक डिग्री प्रदान किए जाने से पहले, शोधार्थी मौखिक परीक्षा की तिथि से दो सप्ताह बाद एक अनंतिम प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है जिसमें यह उल्लेख हो कि "डिग्री यूजीसी (पी-एच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियमन, 2022 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई है।"

13. Leave Rules for the Research Scholar

For each research scholar getting scholarship/ stipend, the leave rules and other terms and conditions shall be as prescribed by the concerned funding agency awarding the scholarship/stipend. In the absence of well-defined rules, UGC-JRF leave rules shall be applicable. The same leave rules shall also be applicable for research scholars who are non-

13. शोधार्थी के लिए अवकाश के नियम

छात्रवृत्ति/ वजीफा प्राप्त करने वाले प्रत्येक शोधार्थी के लिए, अवकाश नियम और अन्य नियम व शर्तें छात्रवृत्ति/ वजीफा प्रदान करने वाली संबंधित वित्त पोषण एजेंसी द्वारा निर्धारित की जाएंगी। स्पष्ट नियमों के अभाव में, यूजीसी-जेआरएफ अवकाश नियम लागू होंगे। यही अवकाश नियम उन शोधार्थियों पर भी लागू

scholarship holders. Leave shall be granted by the HOD on the recommendation of supervisor of the research scholar.

14. Library Facility for the Research Scholar

- i). Registered research scholar will have to deposit the library fee each year and prescribed library caution money at the time of admission in Ph.D. The library caution money is refundable after the award of the Ph.D. degree/cancellation of the registration as per rules.
- ii). Each research scholar shall be issued eight books at one time as per rules.

15. Jurisdiction

All matters of dispute during and after the admission/registration in Ph.D. programme shall be subject to the exclusive jurisdiction of Haridwar District Court.

Note: In case of any doubt in Rules & Regulations, the English version shall be valid.

होंगे जो छात्रवृत्ति धारक नहीं हैं। अवकाश विभागाध्यक्ष द्वारा शोधार्थी के निर्देशक की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जाएगा।

14. शोधार्थी के लिए पुस्तकालय की सुविधा

- i). पंजीकृत शोधार्थी को प्रतिवर्ष पुस्तकालय शुल्क एवं पी-एच.डी. में प्रवेश के समय निर्धारित पुस्तकालय सुरक्षाधन जमा करना होगा। पुस्तकालय सुरक्षाधन शोधार्थी को पी-एच.डी. उपाधि मिलने अथवा नामांकन निरस्त होने के उपरान्त नियमानुसार लौटा दिया जाएगा।
- ii). प्रत्येक शोधार्थी को एक समय में नियमानुसार 08 पुस्तकें मिल सकेंगी।

15. न्यायाधिकार

पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश व प्रवेशोपरान्त अन्य सभी प्रकरणों पर विवाद होने पर न्याय क्षेत्र हरिद्वार जिला न्यायालय परिसर होगा।

नोट: नियमों एवं उपनियमों में संशय की स्थिति में केवल अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

(B) Ph.D. Programme (Part-Time)

In part-time Ph.D. programme all the conditions mentioned in the extant Ph.D. Rules & Regulations for full-time Ph.D. programme of the University will be followed. Part-time Ph.D. students will be required to complete the course-work and appear for all evaluation components in order to complete the courses as required for full-time Ph.D. programme. All existing academic regulations of full-time Ph.D. programme will be applicable to part-time Ph.D. students, unless specifically mentioned otherwise.

1. Eligibility

The eligibility criteria for part-time Ph.D. programme shall be the same as that for full-time Ph.D. Programme. Additionally, the candidates seeking admission in part-time Ph.D. programme need to fulfill the following conditions and provide the relevant documents along with the application: -

- i). Candidate working as a regular employee in any Academic/ Research Institutions or Government Department (State Govt./ Centre Govt./ Autonomous) or Public Sector Undertaking/Registered Industry will be eligible for admission to Part Time Ph.D. Programme.
- ii). The applicant must have been in continues service for at least Three years at the time of submitting the application form for admission and he/she must submit a 'No Objection Certificate' from the present employer stating that:
 - a) He/she is on the regular payroll of the organization. He/She shall submit salary slips of last 3 years at the time of counselling.
 - b) He/she is permitted to pursue studies for part-time Ph.D. programme.

The Departmental Research Committee (DRC) shall ensure the fulfillment of the above mentioned conditions at the time of interview/counselling with all requisite documentary evidences.

(B) पी-एच.डी. पाठ्यक्रम (अंशकालिक)

अंशकालिक पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी को समविश्वविद्यालय की उन सभी अर्हताओं को नियमानुसार पूर्ण करना होगा जो कि पूर्णकालिक पी-एच.डी. हेतु निर्धारित की गई हैं। अंशकालिक पी-एच.डी. पाठ्यक्रम के अभ्यर्थी को पूर्णकालिक पी-एच.डी. पाठ्यक्रम के अनुसार ही पी-एच.डी. पाठ्यक्रम-कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करना होगा और यथा समय निर्धारित मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अंशकालिक पी-एच.डी. पाठ्यक्रम के लिये समविश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में चल रहे पूर्णकालिक पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित सभी नियम-उपनियम यथावत् लागू होंगे जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

1. अर्हता

अंशकालिक पी-एच.डी. पाठ्यक्रम हेतु अर्हता के मापदण्ड पूर्णकालिक पी-एच.डी. पाठ्यक्रम के समान ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त अंशकालिक पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे-

- i). कोई भी अभ्यर्थी जो किसी भी शैक्षणिक/शोध संस्थान अथवा सरकारी विभाग (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थान) अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पंजीकृत औद्योगिक संस्थान का नियमित कर्मचारी है, अंशकालिक पी-एच.डी. पाठ्यक्रम के लिए अर्ह है।
- ii). आवेदक को आवेदन करते समय कम से कम तीन वर्ष तक निरन्तर सेवारत होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' लेना आवश्यक है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि:-
 - a) अभ्यर्थी संस्थान में नियमित वेतन पर कार्यरत है। अभ्यर्थी पिछले 3 वर्षों की वेतन स्लिप काउंसिलिंग के समय जमा करेगा।
 - b) अभ्यर्थी को अंशकालिक पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में अध्ययन करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

साक्षात्कार/परामर्श के समय विभागीय शोध समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्थी उपर्युक्त सभी शर्तें पूर्ण करता हो तथा वह साक्ष्य के रूप में सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रों को जमा करेगा।

2. Other Terms & Conditions

- i). A faculty may be permitted to take maximum number of Part time Ph.D. students under his/her supervision in the following manner.
- | | | |
|---------------------|---|---|
| Professor | - | 2 |
| Associate Professor | - | 1 |
| Assistant Professor | - | 1 |
- These seats shall be including those of maximum full-time Ph.D. students. However, only one student shall be allotted to a supervisor at a time.
- ii). Part time Ph.D. programme shall be for a Minimum 3 year's duration including course-work and maximum of 6 years. This period shall be counted from the date of commencement of Ph.D. course-work classes. Extension beyond the above limits will not be permissible.
- iii). Part-time Ph.D. scholar will be required to meet his/her supervisor at least once in a month on working days of the University throughout the duration of programme. Attendance record shall be maintained by the supervisor and office of the concerned Department.
- iv). The Ph.D. course-work for part-time Ph.D. Programme shall be of one full semester's duration and the classes will be held as per the the schedule notified by the University. It is be mandatory for the research scholar to attend the above classes with minimum 75% attendance as per rules.
- v). Part-time research scholar must give an undertaking that he/she will take leave from his/her employer for Ph.D. course-work as per schedule.
- vi). During the period of research, the candidates are required to be present in the department for a minimum of 240 days (Including course work) in a single spell or in different spells. It could be at Gurukula Kangri (Deemed to be

2. अन्य नियम एवं शर्तें

- i). किसी भी विभाग में एक निर्देशक के अन्तर्गत अंशकालिक पी-एच.डी. शोधार्थियों की अधिकतम सीट संख्या निम्न प्रकार होगी-
- | | | |
|--------------------|---|---|
| प्रोफेसर | - | 2 |
| एसोसिएट प्रोफेसर | - | 1 |
| असिस्टेंट प्रोफेसर | - | 1 |
- इनकी गणना पूर्णकालिक पी-एच.डी. शोधार्थियों की अधिकतम संख्या के अन्तर्गत ही की जायेगी। हालांकि, शोध निर्देशक को एक समय में केवल 01 शोधार्थी ही आवंटित किया जायेगा।
- ii). अंशकालिक पी-एच.डी. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शोध कार्य की अवधि पाठ्यक्रम कार्य सहित न्यूनतम 3 वर्ष तथा अधिकतम 6 वर्ष होगी। यह अवधि पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की कक्षाएँ प्रारंभ होने की तिथि से मानी जायेगी। उक्त अवधि के अतिरिक्त समय-विस्तारण नहीं किया जा सकेगा।
- iii). अंशकालिक पी-एच.डी. के शोधार्थी को शोधकार्य के दौरान अपने निर्देशक से समविश्वविद्यालय के कार्य दिवसों में प्रत्येक माह में कम से कम एक बार दिशा-निर्देश हेतु उपस्थित होना होगा। उपस्थिति का रिकार्ड शोध निर्देशक एवं संबंधित विभाग द्वारा रखा जायेगा।
- iv). अंशकालिक पी-एच.डी. शोधार्थियों के लिए पी-एच.डी. पाठ्यक्रम-कार्य की कक्षाएँ एक सेमेस्टर की अवधि के लिए समविश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संचालित होंगी। शोधार्थियों की उक्त कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है
- v). अंशकालिक पी-एच.डी. शोधार्थियों को पाठ्यक्रम कार्य के लिए नियोक्ता द्वारा अवकाश की स्वीकृति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- vi). शोधकार्य के दौरान अभ्यर्थी को संबन्धित विभाग में न्यूनतम 240 दिन (पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की अवधि सहित) की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। ये 240 दिन एक साथ अथवा अलग-अलग समयावधि में पूरे किये जा सकते हैं। यह उपस्थिति गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में उपस्थित

University) or partly in the organisation of co-supervisor (if any).

- vii). The research supervisor, at the time of submission of thesis by the candidate shall furnish a certificate that the candidate has fulfilled the minimum residential requirement for Ph.D. research work. This shall be verified by the concerned department on the basis of attendance record of the research scholar.
- viii). Candidates who are pursuing Ph.D. as a part-time research scholar are not allowed to take admission in any other degree course (either distance or regular). If this rule is violated, the enrolment of the candidate from the course will be treated as cancelled.
- ix). Fee structure of the Part-time Ph.D. Programme shall be as per the fee structure prescribed by the University for the same.
- x). For staff ward and Regular/Temporary Teaching & Non-teaching employees of the University, fee of part-time Ph.D. programme under self-finance departments shall be same as that of maintenance departments.

(C) Admission of International Students in Ph.D. Programme

- Each supervisor can guide up to two international research scholars on a supernumerary basis over and above the permitted number of Ph.D. scholars.
- The University shall decide selection procedures for Ph.D. admission of international students keeping in view the guidelines/ norms in this regard issued by statutory/regulatory bodies concerned from time to time.

International students are recruited via two streams:

- Direct admission in Gurukula Kangri (Deemed to be University)
- Through the Ministry of Education-supported 'Study in India' Programme

होकर या सह-निर्देशक (यदि कोई हो) के अधीन अन्य संस्थान की भी मानी जा सकती है।

- vii). शोध प्रबंध जमा करते समय शोध निर्देशक के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अभ्यर्थी ने पी-एच.डी. शोध कार्य में समविश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति दर्ज कराई है। इस हेतु शोधार्थी की उपस्थिति का सत्यापन संबंधित विभाग की उपस्थिति पंजिका से किया जायेगा।
- viii). जो अभ्यर्थी अंशकालिक पी-एच.डी. कार्यक्रम में शोधार्थी हैं वे किसी भी प्रकार के दूरस्थ या संस्थागत अन्य पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत नहीं हो सकते हैं। यदि कोई शोधार्थी उक्त नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसका पंजीकरण निरस्त माना जायेगा।
- ix). अंशकालिक पी-एच.डी. पाठ्यक्रम के लिए शुल्क समविश्वविद्यालय द्वारा इस हेतु निर्धारित शुल्क तालिका के अनुसार देय होगा
- x). समविश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित विभागों में पार्ट टाइम पी-एच.डी. हेतु स्टाफ वार्ड व स्थाई/अस्थायी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिये शुल्क अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत विभागों की भांति लिया जायेगा।

(C) पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों का प्रवेश

- प्रत्येक निर्देशक पी-एच.डी. की अनुमत संख्या से अधिक संख्या में दो अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर सकता है।
- समविश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय छात्रों का पी-एच.डी. के लिए प्रवेश हेतु अपनी चयन प्रक्रिया समय-समय पर संबंधित वैधानिक/नियामक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए तय करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की भर्ती दो धाराओं के माध्यम से की जायेगी:

- गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में सीधा प्रवेश
- शिक्षा मंत्रालय समर्थित 'स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम' के माध्यम से।

Eligibility

- Only nationals of countries other than India can apply for the Ph.D. programme. At the time of admission, the applicants for the PhD programme must have completed a 4-year undergraduate degree or a master's degree from an institution located outside India.
- Overseas Citizen of India (OCI) students who have obtained their qualifying degrees (10+2 or equivalent, Bachelors, and Masters) in India can apply through the regular departmental admission.

Selection

- Selection will be based on pre-screening, followed by an interview process.

पात्रता

- पी-एच.डी. पाठ्यक्रम के लिये केवल भारत के अलावा अन्य देशों के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के समय, पी-एच.डी. कार्यक्रम के लिए आवेदकों को भारत के बाहर स्थित संस्थान से 4 साल की स्नातक डिग्री या मास्टर डिग्री पूरी करनी होगी।
- भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) छात्र जिन्होंने भारत में अपनी योग्यता डिग्री (10 +2 या समकक्ष, स्नातक और परास्नातक) प्राप्त की है, वे नियमित विभागीय प्रवेश के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

चयन

- चयन प्री-स्क्रीनिंग और उसके बाद साक्षात्कार प्रक्रिया पर आधारित होगा।

CANDIDATE'S DECLARATION

I hereby declare that the work which is being presented in the thesis entitled ".....", in fulfilment of requirement for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in of Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar is an original work carried out by me during a period from.....to....., under the supervision of Dr./Prof..... Department ofGurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar.

The matter presented in the thesis has not been submitted by me for the award of any other degree /diploma of this University or any other University/Institute. I have properly acknowledged the material collected from the secondary sources wherever required. I solely own the responsibility for the originality of the entire content and there is no plagiarism.

I fulfil all the eligibility requirements for the submission of Ph.D. thesis as per prescribed norms in the research rules & regulations of the Gurukula Kangri (Deemed to be University)/UGC.

Date:.....

(.....)

Research Scholar

Enrolment No.....

शोधार्थी/ शोधार्थिनी की घोषणा

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि शोध प्रबंध में प्रस्तुत कार्य “.....”,
.....”,
डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति में.....
.....,
गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार के.....विभाग में किया
गया एक मौलिक कार्य है, जो मैंने अवधि से के बीच
प्रो./डॉ....., विभाग गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार
के निर्देशन में किया है।

शोध प्रबंध में प्रस्तुत विषयवस्तु मेरे द्वारा किसी अन्य डिग्री/डिप्लोमा हेतु इस विश्वविद्यालय अथवा
किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रस्तुत नहीं की गई है। मैंने जहां भी आवश्यक हो, द्वितीयक
स्रोतों से एकत्रित सामग्री का समुचित रूप से उल्लेख किया है। मैं संपूर्ण विषयवस्तु की मौलिकता हेतु
पूर्ण रूप से उत्तरदायी हूँ और इसमें कोई भी साहित्यिक चोरी नहीं की गई है।

मैं पी.एच.डी. शोध प्रबंध की प्रस्तुति हेतु विश्वविद्यालय/ यूजीसी द्वारा निर्धारित शोध नियमों एवं
विनियमों के अनुसार सभी पात्रता आवश्यकताओं को पूर्ण करता/करती हूँ।

दिनांक :

(.....)

शोधार्थी/ शोधार्थिनी

पंजीकरण संख्या:.....

SUPERVISOR'S CERTIFICATE

This is to certify that Mr./Mrs./Ms..... has worked under my supervision on", for his/her Degree of Doctor of Philosophy in..... of Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar. He/ she fulfils the eligibility criteria for submission of Ph.D. thesis as per research rules & regulations of the University/ UGC. It is also certified that the candidate has incorporated the suggestions given in the pre-submission presentation before the Departmental Research Committee (D.R.C.).

The candidate has fulfilled the necessary requirements for full time/ part-time Ph.D. Programme as per rules of the Gurukula Kangri (Deemed to be University).

I recommend the thesis for evaluation for the award of the Degree of Doctor of Philosophy of Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar.

Date : (.....)
Supervisor

CO- SUPERVISOR'S CERTIFICATE

I forward the thesis entitled "....." being submitted by Mr./Mrs./Ms. for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in of Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar.

He/she has carried out his/her research work under my co-supervision.

Date : (.....)
Co-Supervisor
(if any)

निर्देशक का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..... ने मेरे निर्देशन में
“.....

.....”, विषय पर
कार्य किया है, जो कि गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार के.....
विभाग में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि हेतु प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त शोधार्थी/
शोधार्थिनी विश्वविद्यालय/यूजीसी के शोध नियमों एवं विनियमों के अनुसार पीएच.डी. शोध प्रबंध
प्रस्तुत करने की पात्रता को पूर्ण करता/करती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थी/
शोधार्थिनी ने विभागीय शोध समिति (D.R.C.) के समक्ष प्रस्तुत पूर्व-प्रस्तुति के दौरान प्राप्त सुझावों
को अपने शोध प्रबंध में समुचित रूप से सम्मिलित किया।

शोधार्थी/ शोधार्थिनी ने गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) के नियमों के अनुसार पूर्णकालिक /
अंशकालिक पी.एच.डी. कार्यक्रम की सभी आवश्यक शर्तों को पूर्ण किया है।

मैं इस शोध प्रबंध की जांच हेतु अनुसंशा करता/करती हूँ, ताकि शोधार्थी/ शोधार्थिनी को गुरुकुल
कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (Ph.D.) की उपाधि प्रदान की जा
सके।

दिनांक : (.....)

निर्देशक

सह-निर्देशक का प्रमाण पत्र

मैं यह अनुसंशा करता/करती हूँ कि शोध प्रबंध शीर्षक “.....
.....”

जो कि श्री/श्रीमती/सुश्री द्वारा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की
उपाधि के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार
के..... विभाग में किया गया है।

उक्त शोधार्थी/ शोधार्थिनी ने अपना शोध कार्य मेरे सह-निर्देशन में सम्पन्न किया है।

दिनांक : (.....)

सह-निर्देशक

(यदि कोई हो)

HEAD OF DEPARTMENT'S CERTIFICATE

The Ph.D. thesis submitted by Mr./Mrs./Ms.
in the subject ofunder the supervision of
Dr./Prof.....is hereby forwarded
for evaluation for the award of the Degree of Doctor of Philosophy of Gurukula Kangri
(Deemed to be University), Haridwar.

It is also certified that the candidate has made pre-submission presentation before
the Departmental Research Committee (D.R.C.) and fulfils necessary residency
requirement of full time/ part-time Ph.D. Programme as per the rules of the
University.

दिनांक :

(.....)

Head of Department

विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
द्वारा.....विषय में प्रस्तुत किया गया पीएच.डी. शोध प्रबंध, डॉ./प्रो.
..... के निर्देशन में पूर्ण किया गया है।

उक्त शोध प्रबंध को गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (Ph.D.) की उपाधि प्रदान किए जाने हेतु मूल्यांकन के लिए अग्रसारित किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थी/ शोधार्थिनी ने विभागीय शोध समिति (DRC) के समक्ष सफलतापूर्वक पूर्व-प्रस्तुति दी है तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार पूर्णकालिक/अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए निर्धारित निवास अवधि (Residency Requirement) को पूर्ण किया है।

दिनांक:.....

(.....)

विभागाध्यक्ष

Ph.D. PROGRESS REPORT*

DepartmentTitle

Full Time/Part Time :

Name of the Candidate

Date of Acceptance/RDC

Registration No.

Date of Starting Work

Subject

Name of Faculty/Campus

Name of the Supervisor

Name of the Co-Supervisor

Duration of Progress Report To

Have any Scholarship/Fellowship ? : Yes / No

If Yes. Date of Starting Fellowship

Name of Scholarship/Fellowship

Progress Report Given by the Student

Outline below your progress and achievements over the last 3 months in about 100 words. Give the details

Signature of Scholar.....

Email.....

Contact No.....

Date.....

** The Prescribed Fee is to be deposited with each quarterly progress report. Format of the progress report can be downloaded from the University website.*

Supervisor's Recommendations

This is to certify that the research work is **going on / not going on** properly and the information provided by the Research Scholar is **true / not true**. As the Supervisor, I am **satisfied / not satisfied** with the performance of the student.
(If not satisfied, please mention the reason.)

Date:/...../.....

Signature of Supervisor

Signature of Co-Supervisor

Signature of Head of the Department

Office Remarks by Academic Section:

All necessary documents and previous progress reports related to his/her research work are complete and available in the student's file.

Signature

Academic Section

Date:/..../.....

Counter Signed by

Dean

Academic Affairs

पी-एच.डी. प्रगति रिपोर्ट *

विभाग..... शीर्षक.....

पूर्णकालिक/अंशकालिक :.....

शोधार्थी/ शोधार्थिनी का नाम

स्वीकृति/आर.डी.सी. की तिथि

पंजीकरण संख्या

कार्य प्रारंभ करने की तिथि

विषय.....

संकाय/परिसर का नाम

निर्देशक का नाम

सह-निर्देशक का नाम

प्रगति रिपोर्ट की अवधि से

क्या कोई छात्रवृत्ति/फेलोशिप प्राप्त है? : हाँ / नहीं

यदि हाँ, फेलोशिप प्रारंभ होने की तिथि

छात्रवृत्ति/फेलोशिप का नाम

शोधार्थी/ शोधार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट

निम्नलिखित स्थान पर पिछले 3 महीनों में आपकी प्रगति और उपलब्धियों का लगभग 100 शब्दों में विवरण दें।

शोधार्थी/ शोधार्थिनी के हस्ताक्षर

ईमेल

फ़ोन नंबर.....

दिनांक / /

प्रत्येक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

निर्देशक की अनुशंसा

यह प्रमाणित किया जाता है कि शोध कार्य सही ढंग से चल रहा है / सही ढंग से नहीं चल रहा है तथा शोधार्थी/ शोधार्थिनी द्वारा दी गई जानकारी सत्य है / असत्य है। एक निर्देशक के रूप में मैं शोधार्थी के कार्य से संतुष्ट हूँ / असंतुष्ट हूँ।

(यदि असंतुष्ट हैं तो कारण उल्लेख करें।)

दिनांक: / /

निर्देशक के हस्ताक्षर

सह-निर्देशक के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

शैक्षणिक अनुभाग द्वारा दी गई कार्यालयीय टिप्पणी :

सभी आवश्यक दस्तावेज़ एवं पूर्व प्रगति रिपोर्टें, जो उनके शोध कार्य से संबंधित हैं, पूर्ण हैं एवं छात्र की फ़ाइल में उपलब्ध हैं।

हस्ताक्षर

शैक्षणिक अनुभाग

दिनांक: / /

PROFORMA FOR SIX-MONTHLY PROGRESS REPORT OF Ph.D. SCHOLAR For Submission to the Research Advisory Committee (RAC)

Department:

Faculty/Campus:.....

Academic Session:

Reporting Period: From to.....

Date of RAC Presentation:

PART-A: DETAILS OF THE RESEARCH SCHOLAR

S. No.	Particulars	Details
1.	Name of the Ph.D. Scholar	
2.	Enrolment/Registration No.	
3.	Date of Admission to Ph.D. Programme	
4.	Date of Registration	
5.	Category	
6.	Department and Faculty/Campus	
7.	Name of the Supervisor	
8.	Name(s) of Co-Supervisor(s), if any	
9.	Broad Area of Research	
10.	Approved Title of the Research Topic	
11.	Date of Approval of Research Topic by RDC	
12.	Date of Last RAC Meeting	
13.	Number of RAC Meetings Held So Far	
14.	Year of Ph.D.	
15.	Contact E-mail	
16.	Mobile No.	

PART-B: PROGRESS OF RESEARCH WORK DURING THE REPORTING PERIOD

1. Work Completed During the Reporting Period

The scholar shall provide a brief but specific account of the research work carried out during the six-month period:

- (a) Literature Review/Survey:
- (b) Experimental/Field/Computational/Theoretical Work:
- (c) Data Collection/Analysis:
- (d) Methodology/Techniques Developed or Used:
- (e) Major Findings/Results Obtained:
- (f) Other Significant Research Activities:

PART-C: RESEARCH OUTPUT DURING THE REPORTING PERIOD

1. Research Papers

S. No.	Title of Paper	Journal/Conference	Status*	DOI/Details
1.				

*Published / Accepted / In Press / Communicated / Under Review

2. Conference/Seminar/Workshop Participation

S. No.	Title of Paper/Presentation	Conference/Seminar/Workshop	Date & Place	Participation/Presentation
1.				

3. Other Research Outputs

- Patent filed/granted:
- Book/Book Chapter:
- Any other significant achievement (Award/Fellowship/Recognition etc.):

PART-D: PRESENTATION BEFORE THE RESEARCH ADVISORY COMMITTEE

Brief Summary of Presentation

The scholar shall present the progress of research work before the RAC, preferably supported by a presentation containing Research problem and objectives, Literature survey and research gap, Methodology adopted, Work completed, Results/findings obtained, Research output, Problems/limitations encountered, Work proposed for the next six months, Proposed timeline for completion of Ph.D. thesis.

PART-E: ASSESSMENT BY RESEARCH ADVISORY COMMITTEE

1. Overall Assessment: The progress of the scholar during the reporting period is:

- Satisfactory
- Needs Improvement
- Unsatisfactory

PART-F: OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS OF RAC:**PART-G: ATTENDANCE AND ACADEMIC/RESEARCH ENGAGEMENT**

Period under Report: to.....

Particular	Details
Attendance/Research engagement during the period	
Leave availed, if any	
Participation in departmental academic activities	
Participation in seminars/workshops	
Teaching/academic assistance, if applicable	
Any other assigned academic/research responsibility	

DECLARATION BY THE Ph.D. SCHOLAR:

I hereby declare that the information furnished in this Six-Monthly Progress Report is true and correct to the best of my knowledge. I have presented the progress of my research work before the Research Advisory Committee and shall undertake the research activities as advised by the Committee.

Signature of Ph.D. Scholar: Date:

PART-H: RECOMMENDATION OF THE RESEARCH ADVISORY COMMITTEE

After reviewing the progress report and interacting with the scholar, the Research Advisory Committee recommends that:

- The progress is satisfactory and the scholar may continue the research work.
- The progress is satisfactory subject to compliance with the suggestions/recommendations of the RAC.
- The progress is unsatisfactory and the scholar is required to improve the research progress and submit a compliance report within the prescribed period.
- The research topic/methodology/work plan requires modification as detailed below.

PART-I: SIGNATURES OF RAC MEMBERS

S. No.	Name & Designation	Role in RAC	Signature	Date
1.		Chairperson		
2.		Supervisor/Convener		
3.		RAC Member		

PART-J: APPROVAL/RECORD BY THE DEPARTMENT

Remarks of Head of Department:

Signature:.....

Name:.....

Documents to be Attached

The following documents, wherever applicable, should accompany the Six-Monthly Progress Report:

1. Research progress presentation(summary of presentation)
2. List of publications/accepted manuscripts
3. Copies of published/accepted research papers
4. Conference/seminar participation certificates
5. Updated research plan/timeline
6. Compliance report against recommendations of the previous RAC
7. Any other document specifically required by the University (if any)

DEPARTMENTWISE LIST OF FACULTY MEMBERS

MAIN CAMPUS

● Ved

1. Dr. Dinesh Chandra Shastri, M.A., Ph.D., D.Lit., Professor
2. Dr. Deendayal, M.A., NET, Ph.D., Assistant Professor
3. Dr. Ramchand Meghwal, M.A., NET, Ph.D., Assistant Professor
4. Dr. Sandeep, Assistant Professor (Contractual)

● Shraddhanand Vedic Research Institute

1. Dr. Satya Dev Nigmalankar, M.A. (Veda, Sanskrit), Acharya (Veda, Sanskrit), Ph.D. (Veda, Sanskrit), D. Lit. (Veda, Vedic Vyakaran), Professor
2. Dr. Ramprakash Varnee, M.A., Ph.D., Professor

● Sanskrit

1. Dr. Brahmdev, M.A., Ph.D., Professor
2. Dr. Vedvrat, M.A., NET, Ph.D., Assistant Professor
3. Acharya Satyapati, Assistant Professor (Contractual)
4. Dr. Bhupendra Singh, Guest Faculty

● Philosophy

1. Dr. Bharat Vedalkar, M.A., Ph.D., Assistant Professor
2. Dr. Babloo Vedalkar, M.A., Ph.D., Assistant Professor
3. Dr. Vipin Kumar, M.A., Ph.D., Assistant Professor (Adhoc)
4. Dr. Ashish Kumar, M.A., Ph.D., NET, Assistant Professor (Adhoc)

● Yogic Science

1. Dr. Udhham Singh, M.A., M. Phil., Ph.D., Associate Prof.
2. Dr. Sandeep Kumar, Assistant Professor (Contractual)
3. Dr. Sushil Kumar, Guest Faculty
4. Dr. Ankit Kumar, Guest Faculty
5. Dr. Manoj Kumar, Guest Faculty

● A. I. History Culture & Archaeology

1. Dr. Prabhat Kumar, M.A., Ph.D., Professor
2. Dr. Devendra Kumar Gupta, M.A., NET, Ph.D., Professor
3. Dr. Kushwaha Dilip Kumar, M.A., NET, Ph.D., Professor
4. Dr. Himanshu Pandit, Assistant Professor (Contractual)
5. Dr. Divyanshu Bisht, Assistant Professor (Contractual)
6. Dr. Chandrashekhar, Assistant Professor (Contractual)

● Hindi

1. Dr. Ajeet Singh Tomar, M.A., NET, Ph.D., Assistant Professor
2. Dr. Sunil Kumar, M.A., NET, Ph.D., Assistant Professor
3. Dr. Roshan Lal, M.A., NET, Ph.D. (Contractual)
4. Dr. Mohanee Kumar, Guest Faculty

● English

1. Dr. Balesh Kumar Chauhan, Assit. Prof., (Contractual)
2. Dr. Ram Mohan Pandey, Assit. Prof., (Contractual)

● Psychology

1. Dr. Rakesh Kumar, M.A., Ph.D., Professor
2. Dr. Arun Kumar, M.A., M.Phil, Ph.D., NET, Professor
3. Dr. Deepak Singh, M.Sc., Ph.D., NET, SET Assistant Professor
4. Dr. Manoj Kumar Chauhan, Asst. Prof. (Contractual)
5. Dr. Naveen Pant, Assistant Professor (Contractual)

*As on Dated 01.08.2026

विभागवार प्राध्यापकों/प्राध्यापिकाओं की सूची

मुख्य परिसर

● वेद

1. डा. दिनेश चन्द्र शास्त्री, एम.ए., पी-एच.डी., डी. लिट्, प्रोफेसर
2. डा. दीनदयाल, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डा. रामचन्द्र मेघवाल, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डा. संदीप, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)

● श्रद्धानन्द वैदिक शोध संस्थान

1. डा. सत्यदेव निगमालंकार, एम.ए. (वेद, संस्कृत), आचार्य (वेद, संस्कृत), पी-एच.डी. (वेद, संस्कृत), डी.लिट् (वेद, वैदिक व्याकरण), प्रोफेसर
2. डा. रामप्रकाश वर्णी, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर

● संस्कृत

1. डा. ब्रह्मदेव, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर
2. डा. वेदव्रत, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
3. आचार्य सत्यपति, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
4. डा. भूपेन्द्र सिंह, गेस्ट फैकल्टी

● दर्शन

1. डा. भारत वेदालंकार, एम.ए., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
2. डा. बबलू वेदालंकार, एम.ए., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डा. विपिन कुमार बालियान, एम.ए., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
4. डा. आशीष कुमार, एम.ए., पी-एच.डी., नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)

● योग विज्ञान

1. डा. ऊधम सिंह, एम.ए., एम.फिल, पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
2. डा. संदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
3. डा. सुशील कुमार, गेस्ट फैकल्टी
4. डा. अंकित कुमार, गेस्ट फैकल्टी
5. डा. मनोज कुमार, गेस्ट फैकल्टी

● प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व

1. डा. प्रभात कुमार, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर
2. डा. देवेन्द्र कुमार गुप्ता, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., प्रोफेसर
3. डा. कुशवाहा दिलीप कुमार, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., प्रोफेसर
4. डा. हिमांशु पंडित, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
5. डा. दिव्यांशु बिष्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
6. डा. चन्द्रशेखर, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)

● हिन्दी

1. डा. अजीत सिंह तोमर, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
2. डा. सुनील कुमार, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डा. रोशन लाल, एम.ए., नेट, पी-एच.डी. (अनुबन्ध)
4. डा. मोहनी कुमार, गेस्ट फैकल्टी

● अंग्रेजी

1. डा. बालेश कुमार चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
2. डा. राम मोहन पाण्डेय, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)

● मनोविज्ञान

1. डा. राकेश कुमार, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर
2. डा. अरुण कुमार, एम.ए., एम.फिल, पी-एच.डी., नेट, प्रोफेसर
3. डा. दीपक सिंह, एम.एस-सी., पी-एच.डी., नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डा. मनोज कुमार चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
5. डा. नवीन पन्त, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)

*दिनांक 01.08.2026 के अनुसार

● Jyotirvigyan & Vedic Karmakand

1. Dr. Bhagwan Das, M.A., Ph.D., Assistant Professor

● Economics

1. Dr. Vipul Bhatt, M.A., Ph.D., Associate Professor

● Political Science

1. Dr. Hariballabh Maurya, Assistant Professor (Contractual)

● Physics

1. Dr. L. P. Purohit, M.Sc., NET, Ph.D., Professor
2. Dr. Pawan Kumar, M.Sc., M.Phil, Ph.D., Professor
3. Dr. Himanshu Gupta, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
4. Dr. Pankaj Kumar Pal, Assistant Professor (Contractual)
5. Dr. Dharm Veer, Assistant Professor (Contractual)
6. Dr. Rajeev Saxena, Assistant Professor (Contractual)

● Chemistry

1. Dr. R. K. Shukla, M.Sc., Ph.D., Professor
2. Dr. Jaspal Singh, M.Sc., M.E., Ph.D., Associate Professor
3. Dr. Prashant Tevatia, M.Sc., NET, Ph.D., Assistant Professor
4. Dr. Suhas, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
5. Dr. Rajdeep Malik, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
6. Dr. Ravindra Kumar, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
7. Dr. Jagram Meena, M.Sc., NET, Ph.D., Assistant Professor
8. Dr. Kishan, Assistant Professor (Contractual)
9. Dr. Mayank Kumar Malik, Assistant Professor (Contractual)

● Mathematics and Statistics

1. Dr. Manoj Kumar, M.Sc., M.Phil, NET, Ph.D., Professor
2. Dr. Ajendra Kumar, M.Sc., Ph.D., Assoc. Professor
3. Dr. Harendra Kumar, M.Sc., NET, Ph.D., Assoc. Professor
4. Dr. Sag Ram Verma, M.Sc., Ph.D., Assoc. Professor
5. Dr. Hardeep, Guest Faculty

● Computer Science

1. Dr. Karamjit Bhatia, M.Sc., M.Phil, Ph.D., Professor
2. Dr. Vivek Kumar, M.Sc., M.Phil, Ph.D., Professor
3. Dr. Raj Kumar, M.Sc., M.C.A., Ph.D., Professor
4. Dr. Mahendra Singh Aswal, M.Sc., Ph.D., Assoc. Professor
5. Dr. Shwetank, M.C.A., Ph.D., Assoc. Professor
6. Dr. Krishan Kumar, M.C.A., NET, Ph.D., Assoc. Professor

● Botany and Microbiology

1. Dr. Navneet, M.Sc., M.Phil., NET, Ph.D., Professor
2. Dr. Mukesh Kumar, M.Sc., Ph.D., Professor
3. Dr. Kartikeya Kumar Gupta, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
4. Dr. Harish Chandra, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
5. Dr. Sandeep Kumar, M.Sc., NET, Ph.D., Assistant Professor
6. Dr. Vineet Kumar, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
7. Dr. Chiranjiv Banerjee, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor

● ज्योतिर्विज्ञान एवं कर्मकाण्ड

1. डा. भगवान दास, एम.ए., पी-एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● अर्थशास्त्र

1. डा. विपुल भट्ट, एम.ए., पी-एच.डी., एसोसिएट प्रोफेसर

● राजनीति शास्त्र

1. डा. हरिबल्लभ मौर्य, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अनुबन्ध)

● भौतिक विज्ञान

1. डा. एल. पी. पुरोहित, एम. एस-सी., नेट, पी-एच. डी., प्रोफेसर
2. डा. पवन कुमार, एम.एस-सी., एम.फिल., पी-एच. डी., प्रोफेसर
3. डा. हिमांशु गुप्ता, एम. एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4. डा. पंकज कुमार पाल, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
5. डा. धर्म वीर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
6. डा. राजीव सक्सेना, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अनुबन्ध)

● रसायन विज्ञान

1. डा. आर. के. शुक्ला, एम.एस-सी., पी-एच. डी., प्रोफेसर
2. डा. जसपाल सिंह, एम.एस-सी., एम.ई., पी-एच.डी., एसो. प्रोफेसर
3. डा. प्रशान्त तेवतिया, एम.एस-सी., नेट, पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4. डा. सुहास, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5. डा. राजदीप मलिक, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
6. डा. रविन्द्र कुमार, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
7. डा. जगराम मीना, एम.एस-सी., नेट, पी-एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
8. डा. किशन, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
9. डा. मयंक कुमार मलिक, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अनुबन्ध)

● गणित एवं सांख्यिकी

1. डा. मनोज कुमार, एम. एस-सी., एम.फिल. नेट, पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर
2. डा. अजेन्द्र कुमार, एम. एस-सी., पी-एच. डी., एसोसिएट प्रोफेसर
3. डा. हरेन्द्र कुमार, एम. एस-सी., नेट, पी-एच. डी., एसोसिएट प्रोफेसर
4. डा. सग राम वर्मा, एम. एस-सी., पी-एच. डी., एसोसिएट प्रोफेसर
5. डा. हरदीप, गेस्ट फैकल्टी

● कम्प्यूटर विज्ञान

1. डा. कर्मजीत भाटिया, एम.एस-सी., एम.फिल., पी-एच. डी., प्रोफेसर
2. डा. विवेक कुमार, एम.एस-सी., एम.फिल., पी-एच. डी., प्रोफेसर
3. डा. राज कुमार, एम.एस-सी., एम.सी.ए., पी-एच. डी., प्रोफेसर
4. डा. महेन्द्र सिंह असवाल, एम.एस-सी., पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर
5. डा. श्वेतांक, एम.सी.ए., पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर
6. डा. कृष्ण कुमार, एम.सी.ए., नेट, पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर

● वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान

1. डा. नवनीत, एम. एस-सी., एम.फिल., नेट, पी-एच. डी., प्रोफेसर
2. डा. मुकेश कुमार, एम. एस-सी., पी-एच. डी., प्रोफेसर
3. डा. कार्तिकेय कुमार गुप्ता, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4. डा. हरीशचन्द्र, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5. डा. संदीप कुमार, एम. एस-सी., नेट, पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
6. डा. विनीत कुमार, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
7. डा. चिरंजीव बनर्जी, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● Zoology and Environmental Science

1. Dr. Devendra Singh Malik, M.Sc., Ph.D., Professor
2. Dr. Rakesh Bhutiani, M.Sc., Ph.D., Professor
3. Dr. Nitin Kamboj, M.Sc., NET, Ph.D., Professor
4. Dr. Vinod Kumar, M.Sc., Ph.D., Associate Professor
5. Dr. Gagan Mata, M.Sc., Ph.D., Associate Professor
6. Dr. Nitin Bhardwaj, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor

● PHARMACEUTICAL SCIENCES

1. Dr. S.K. Rajput, M. Pharm., Ph.D., Professor (Contractual)
2. Dr. Vipin Kumar, M.Pharm., Ph.D., Assistant Professor
3. Dr. Kapil Kumar Goel, M.Pharm., Ph.D., Assistant Professor
4. Sh. Vinod Nautiyal, M.Pharm., Assistant Professor
5. Dr. Ashwani Kumar, M.Pharm., Ph.D., Assistant Professor
6. Dr. Prince P. Sharma, M.Pharm., Ph.D., Assistant Prof. (Contractual)
7. Dr. Peeush Singhal, M.Pharm., Ph.D., Assoc. Professor (Contractual)
8. Sh. Balwant Singh Rawat, M.Pharm., Assistant Prof. (Contractual)
9. Sh. Nitin Kumar, M.Pharm., Assistant Professor (Contractual)
10. Sh. Neeraj Kumar Rathor, M.Pharm., Asst. Prof. (Contractual)
11. Sh. Rahul Singh, M. Pharm, Assistant Prof. (Contractual)
12. Dr. Ravindra Kumar, M.Pharm., Ph.D., Asst. Prof. (Contractual)
13. Sh. Rohit, M.Pharm., Assistant Prof. (Contractual)
14. Sh. Omparkash Joshi, M. Pharm., Assistant Prof. (Contractual)

● Management Studies

1. Dr. V.K. Singh, M.Com., M.Phil, Ph.D., Professor
2. Dr. Pankaj Madan, B.E., M.B.A., M.P.W.T., Ph.D., Professor
3. Dr. Kapil Pandey, M.Com., MFA, CFA, NET, Asst. Prof. (Contractual)
4. Mr. Ratnesh Kumar Shukla, MBA, NET, Asst. Professor (Contractual)
5. Mr. Abhijeet Singh, MBA, NET, Asst. Professor (Contractual)
6. Mr. Vikas Agarwal, MBA, NET, Asst. Professor (Contractual)

● Physical Education & Sports

1. Dr. Ajay Malik, M.A. (Phy. Edu.), NIS, Ph.D., Asst. Prof.
2. Dr. Shiv Kumar Chauhan, M.Sc., M.A. (Phy. Edu.), Ph.D., Assoc. Prof. (Contractual)
3. Dr. Kapil Mishra, M.P.Ed., M.Phil., Ph.D., Assoc. Prof. (Contractual)
4. Dr. Anuj Kumar, M.P.Ed., M.Phil., NIS, Ph.D., Assoc. Prof. (Contractual)
5. Dr. Pranvir Singh, M.P.Ed., M.Phil., NET, Asst. Prof. (Contractual)
6. Dr. Pradeep Kumar, M.P.Ed., Ph.D., Asst. Prof. (Contractual)

● जन्तु विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान

1. डा. देवेन्द्र सिंह मलिक, एम. एस-सी., पी-एच. डी., प्रोफेसर
2. डा. राकेश भूटियानी, एम.एस-सी., पी-एच. डी., प्रोफेसर
3. डा. नितिन कम्बोज, एम.एस-सी., नेट, पी-एच. डी., प्रोफेसर
4. डा. विनोद कुमार, एम.एस-सी., पी-एच. डी., एसोसिएट प्रोफेसर
5. डा. गगन माटा, एम.एस-सी., पी-एच. डी., एसोसिएट प्रोफेसर
6. डा. नितिन भारद्वाज, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर

● भेषज विज्ञान

1. डा. एस.के. राजपूत, एम.फार्म., पी-एच-डी, प्रोफेसर (अनुबन्ध)
2. डा. विपिन कुमार, एम.फार्म., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डा. कपिल कुमार गोयल, एम.फार्म., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
4. श्री विनोद नोटियाल, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर
5. डा. अश्वनी कुमार, एम.फार्म., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
6. डा. प्रिंस प्रशांत शर्मा, एम.फार्म., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
7. डा. पीयूष सिंघल, एम.फार्म., पी-एच.डी., एसोसिएट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
8. श्री बलवन्त सिंह रावत, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
9. श्री नितिन कुमार, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
10. श्री नीरज कुमार राठौर, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
11. श्री राहुल सिंह, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
12. डा. रविन्द्र कुमार, एम.फार्म., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
13. श्री रोहित, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
14. श्री ओमप्रकाश जोशी, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)

● प्रबन्ध अध्ययन

1. डा. वी.के. सिंह, एम.कॉम., एम.फिल., पीएच. डी., प्रोफेसर
2. डा. पंकज मदान, बी.ई., एम.बी.ए., एम.पी.डब्ल्यू.टी., पीएच. डी., प्रोफेसर
3. डा. कपिल पाण्डेय, एम.कॉम., एमएफए, सीएफए, नेट, असि. प्रोफेसर (अनुबन्ध)
4. श्री रतनेश कुमार शुक्ला, एम.बी.ए., नेट, असि. प्रोफेसर (अनुबन्ध)
5. श्री अभिजीत सिंह, एम.बी.ए., नेट, असि. प्रोफेसर (अनुबन्ध)
6. श्री विकास अग्रवाल, एम.बी.ए., नेट, असि. प्रोफेसर (अनुबन्ध)

● शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग

1. डा. अजय मलिक, एम.ए. (शा. शिक्षा), एन.आई.एस., पीएच.डी., असि. प्रोफेसर
2. डा. शिव कुमार चौहान एम.एस.सी., एम.ए. (शा. शिक्षा), पीएच.डी., एसो. प्रोफेसर (अनुबन्ध)
3. डा. कपिल मिश्रा, एम.पी.एड., एम.फिल., पीएच.डी., एसो. प्रोफेसर (अनुबन्ध)
4. डा. अनुज कुमार, एम.पी.एड., एम.फिल., एन.आई.एस., पीएच.डी., एसो. प्रोफेसर (अनुबन्ध)
5. डा. प्रणवीर सिंह, एम.पी.एड., एम.फिल., नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
6. डा. प्रदीप कुमार, एम.पी.एड., पी.एच.डी., एसो. प्रोफेसर (अनुबन्ध)

Faculty of Engineering & Technology

● Applied Sciences

1. Dr. Sunil Panwar, M.Sc., Ph.D., Associate Professor
2. Dr. M.M. Tiwari, M.Sc., Ph.D., Associate Professor
3. Dr. Vivek Goel, M.Sc., Ph.D., Asstt. Professor
4. Dr. L.K. Joshi, M.Sc., Ph.D., Asstt. Professor
5. Dr. Devendra Singh, M.Sc., Ph.D., Asstt. Professor
6. Dr. Ajay Kumar, M.Sc., Ph.D., Asstt. Professor
7. Dr. Prashant Kaushik, Ph.D., Assistant Professor (Contractual)
8. Dr. Pradeep Singh, Assistant Professor (Contractual)
9. Dr. Vivek Sharma, Guest Faculty

● Computer Science & Engineering

1. Dr. Mayank Aggrawal, M.Tech, Ph.D., Professor
2. Dr. Nishant Kumar, M.Tech, Ph.D., Asstt. Professor
3. Mr. Namit Khanduja, M.Tech, Asstt. Professor
4. Dr. Suyash Bhardwaj, M.Tech, Ph.D., Asstt. Professor
5. Mr. Vivudh Fore, M.Tech, Asstt. Professor (Contractual)
6. Mr. Aman Tyagi, M.Tech, Asstt. Professor (Contractual)
7. Mr. Ashwani, M.Tech, Asstt. Professor (Contractual)
8. Mr. Aman Tyagi, M.Tech., Ph.D., Asst. Prof. (Contractual)
9. Mr. Kuldeep, Assistant Professor (Contractual)
10. Sh. Ayush Kumar Sain, Assistant Professor (Contractual)
11. Mr. Abhishant Sharma, Assistant Professor (Contractual)
12. Mr. Amit Kumar, Assistant Professor (Contractual)

● Electronics & Communication Engineering

1. Dr. Vipul Sharma, M.Tech, Ph.D., Professor
2. Dr. Tanuj Kumar Garg, M.Tech, Ph.D., Asstt. Professor
3. Mr. Anuj Kumar Sharma, M.Tech, Asstt. Professor
4. Mr. Shiv Kumar, M.Tech., Asstt. Professor
5. Mr. Prateek Agarwal, M.Tech, Asstt. Professor (Contractual)
6. Dr. Gaurav Kumar Malik, M.Tech, Ph.D., Asstt. Prof. (Contractual)
7. Dr. Atul Kumar Varshney, M.Tech, Asstt. Professor (Contractual)
8. Dr. Ashish Nainwal, M.Tech, Asstt. Professor (Contractual)
9. Mr. Amrishi, M.Tech, Asstt. Professor (Contractual)
10. Mr. Sanjay Singh, Assistant Professor (Contractual)

● Electrical Engineering

1. Mr. Gajendra Singh Rawat, M.Tech., Asstt. Professor
2. Mr. Yogesh Kumar, M.Tech., Asstt. Professor (Contractual)
3. Dr. Brijesh Kumar, M.Tech., Ph.D., Asstt. Professor (Contractual)
4. Dr. Ashish Dhamanda, M.Tech., Ph.D., Asstt. Professor (Contractual)
5. Mr. Vikul Kumar, M.Tech., Asstt. Professor (Contractual)
6. Mr. Aviral Awasthi, Assistant Professor (Contractual)
7. Mr. Sanjay Kumar, Assistant Professor (Contractual)

● Mechanical Engineering

1. Dr. Sanjeev Kumar Lambha, M.Tech., Ph.D., Asstt. Professor
2. Mr. Praveen K. Pandey, M.Tech., Asstt. Professor
3. Mr. Rishi K. Prajapati, M.Tech., Asstt. Professor
4. Dr. Jasbir Singh, M.Tech., Ph.D., Asstt. Professor (Contractual)
5. Mr. Kapildev Sharma, M.Tech., Asstt. Professor (Contractual)
6. Dr. Sunil Kumar, M.Tech., Ph.D., Asstt. Professor (Contractual)
7. Dr. Yogesh Kumar, M.Tech., Ph.D., Asstt. Professor (Contractual)
8. Dr. Mayank Pokhriyal, M.Tech., Ph.D., Asstt. Professor (Contractual)
9. Mr. Vishal Panwar, Asstt. Professor (Contractual)
10. Dr. Sanjeev Kumar, M.Tech., Ph.D., Asstt. Prof. (Contractual)

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय

● अनुप्रयुक्त विज्ञान

1. डा. सुनील पंवार, एम.एस-सी., पी.एच.डी., एसोसियेट प्रोफेसर
2. डा. एम.एम. तिवारी, एम.एस-सी., पी.एच.डी., एसोसियेट प्रोफेसर
3. डा. विवेक गोयल, एम.एस-सी., पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डा. लोकेश कुमार जोशी, एम.एस-सी., पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
5. डा. देवेन्द्र सिंह, एम.एस-सी., पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
6. डा. अजय कुमार, एम.एस-सी., पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
7. डा. प्रशान्त कोशिक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
8. डा. प्रदीप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
9. डा. विवेक शर्मा, गेस्ट फेकल्टी

● कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग

1. डा. मयंक अग्रवाल, एम. टेक, पी.एच.डी., प्रोफेसर
2. डा. निशांत कुमार, एम. टेक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
3. श्री नमित खण्डूजा, एम. टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डा. सुयश भारद्वाज, एम. टेक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
5. श्री विवुध फोरे, एम. टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
6. श्री अमन त्यागी, एम. टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
7. श्री अश्वनी, एम. टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
8. श्री अमन त्यागी, एम. टेक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
9. श्री कुलदीप, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
10. श्री आयुष कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
11. श्री अभिशान्त शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
12. श्री अमित कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)

● इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग

1. डा. विपुल शर्मा, एम.टेक, पी.एच.डी., प्रोफेसर
2. डा. तनुज कुमार गर्ग, एम. टेक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
3. श्री अनुज कुमार शर्मा, एम.टेक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
4. श्री शिवकुमार, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर
5. श्री प्रतीक अग्रवाल, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
6. डा. गौरव कुमार मलिक, एम.टेक, पी.एच.डी., असि. प्रो. (अनुबन्ध)
7. डा. अतुल कुमार वाष्णीय, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
8. डा. आशीष नैनवाल, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
9. श्री अमरीश, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
10. श्री संजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)

● इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

1. श्री गजेन्द्र सिंह रावत, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर
2. श्री योगेश कुमार, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
3. डा. ब्रिजेश कुमार, एम.टेक, पी.एच-डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
4. डा. आशीष धमांदा, एम.टेक, पी.एच-डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
5. श्री विकुल कुमार, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
6. श्री अविरल अवस्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
7. श्री संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)

● मैकेनिकल इंजीनियरिंग

1. डा. संजीव कुमार लाम्भा, एम.टेक, पी.एच-डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
2. श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर
3. श्री ऋषि कुमार प्रजापति, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डा. जसवीर सिंह, एम.टेक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
5. श्री कपिलदेव शर्मा, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
6. डा. सुनील कुमार, एम.टेक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
7. डा. योगेश कुमार, एम.टेक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
8. डा. मयंक पोखरियाल, एम.टेक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
9. श्री विशाल पंवार, असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)
10. डा. संजीव कुमार, एम.टेक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबन्ध)

Kanya Gurukula, Haridwar

1. Dr. Surekha Rana, M.B.M., M.Phil, Ph.D., Prof., Management
2. Dr. Namita Joshi, M.Sc., Ph.D., Professor, Env. Science
3. Dr. Seema Sharma, M.Sc., M.Phil, Ph.D., Professor, Mathematics
4. Dr. Mudita Agnihotri, M.A., M.Phil, Ph.D., Professor, English
5. Dr. Anjali Goyal, M.Sc., Ph.D., Professor, Chemistry
6. Dr. Abha Shukla, M.Sc., Ph.D., Professor, Chemistry
7. Dr. Nidhi Handa, M.Sc., Ph.D., Professor, Maths
8. Dr. Deepa Gupta, M.A., Ph.D., Professor, A.I. History
9. Dr. Manjusha Kaushik, M.A., Ph.D., Professor, English
10. Dr. Sangeeta Madan, M.Sc., Ph.D., Professor, Env. Sc.
11. Dr. Babita Sharma, M.A., Ph.D., Asso. Professor, Philosophy
12. Dr. Sunita Rani, M.A., Ph.D., Asso. Professor, Psychology
13. Dr. Ritu Arora, M.Sc., Ph.D., Asso. Professor, Maths
14. Dr. Richa Saini, M.Sc., Ph.D., Asso. Professor, Physics
15. Dr. Manila, M.Sc., Ph.D., Asso. Professor, Chemistry
16. Dr. Varinder Virk, M.Sc., Ph.D., Asso. Professor, Microbiology
17. Dr. Nisha Sharma, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Hindi
18. Dr. Kalpna Sagar, M.Sc., Ph.D., Asst. Professor, Microbiology
19. Dr. Bindu Arora, M.Com., Ph.D., Professor, Management
20. Dr. Bindu Malik, M.A., M.Phil, Ph.D., Asst. Prof., Phy. Edu. (Contractual)
21. Dr. Ashima Garg, M.B.A., Ph.D., Asst. Prof., Management (Contractual)
22. Dr. Indu Gautam, M.B.A., Ph.D., Asst. Prof., Management (Contractual)
23. Dr. Meera Tyagi, M.A., Ph.D., Asst. Prof., Philosophy (Contractual)
24. Dr. Akanksha, Botany and Microbiology, Guest Faculty
25. Dr. Kanta Panwar, Asst. Prof., Political Science (Contractual)
26. Dr. Leela Knayal, Philosophy, Guest Faculty
27. Dr. Mamta, Assistant Professor, Maths and Stat. (Contractual)
28. Dr. Neha Batra, Assistant Professor, Physics (Contractual)
29. Dr. Neha Saini, Assistant Professor, Yogic Science (Contractual)
30. Dr. Parul Malik, Assistant Professor, Psychology (Contractual)
31. Dr. Prachi Ranga, Assistant Professor, Ancient Indian History, Culture and Archaeology (Contractual)
32. Dr. Rekha Singh, Assistant Professor, Ancient Indian History, Culture and Archaeology (Contractual)
33. Dr. Reena Nautiyal, Hindi, Guest Faculty
34. Dr. Richa Saxena, Assistant Professor, Psychology (Contractual)
35. Dr. Seema, AIHC, Guest Faculty
36. Dr. Shalini Sharma, Assistant Professor, Sanskrit (Contractual)

कन्या गुरुकुल, हरिद्वार

1. डा. सुरेखा राणा, एम.बी.एम., एम.फिल., पी-एच. डी., प्रोफेसर, प्रबन्धन
2. डा. नमिता जोशी, एम.एस-सी., पी-एच. डी., प्रोफेसर, पर्या. विज्ञान
3. डा. सीमा शर्मा, एम.एस-सी., एम.फिल., पी-एच. डी., प्रोफेसर, गणित
4. डा. मुदिता अग्निहोत्री, एम.ए., एम.फिल., पी-एच. डी., प्रोफेसर, अंग्रेजी
5. डा. अंजलि गोयल, एम.एस-सी., पी-एच. डी., प्रोफेसर, रसायन विज्ञान
6. डा. आभा शुकला, एम.एस-सी., पी-एच. डी., प्रोफेसर, रसायन विज्ञान
7. डा. निधि हांडा, एम.एस-सी., पी-एच. डी., प्रोफेसर, गणित
8. डा. दीपा गुप्ता, एम.ए., पी-एच. डी., प्रोफेसर, प्रा.भा.इतिहास
9. डा. मंजुषा कौशिक, एम.ए., पी-एच. डी., प्रोफेसर, अंग्रेजी
10. डा. संगीता मदान, एम.एस-सी., पी-एच. डी., प्रोफेसर पर्यावरण विज्ञान
11. डा. बबीता शर्मा, एम.ए., पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर, दर्शन
12. डा. सुनीता रानी, एम.ए., पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर, मनोविज्ञान
13. डा. रीतू अरोड़ा, एम.एस-सी., पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर, गणित
14. डा. रिचा सैनी, एम.एस-सी., पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर, भौतिकी
15. डा. मनीला, एम.एस-सी., पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर, रसायन
16. डा. वरिन्दर विर्क एम.एस-सी., पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर, माइक्रोबायोलॉजी
17. डा. निशा शर्मा, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर, हिंदी
18. डा. कल्पना सागर, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असि. प्रोफेसर, माइक्रोबायोलॉजी
19. डा. बिन्दु अरोड़ा, एम.कॉम., पी-एच. डी., प्रोफेसर, प्रबन्धन
20. डा. बिन्दु मलिक, एम.ए., एम.फिल., पी-एच.डी., असि. प्रो. शा. शि. (अनुबन्ध)
21. डा. आशिमा गर्ग, एम.बी.एम., पी-एच. डी., असि. प्रोफेसर, प्रबन्धन (अनुबन्ध)
22. डा. इन्दु गौतम, एम.बी.ए., पी-एच. डी., असि. प्रोफेसर, प्रबन्धन (अनुबन्ध)
23. डा. मीरा त्यागी, एम.ए., पी-एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर, दर्शन (अनुबन्ध)
24. डा. आकांक्षा, वनस्पति विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान, गेस्ट फैकल्टी,
25. डा. कान्ता पंवार, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान (अनुबन्ध)
26. डा. लीला कन्याल, दर्शन शास्त्र, गेस्ट फैकल्टी
27. डा. ममता, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, गणित एवं सांख्यिकी (अनुबन्ध)
28. डा. नेहा बत्रा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, भौतिकी (अनुबन्ध)
29. डा. नेहा सैनी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, यौग विज्ञान (अनुबन्ध)
30. डा. पारूल मलिक, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, मनोविज्ञान (अनुबन्ध)
31. डा. प्राची रांगा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व (अनुबन्ध)
32. डा. रेखा सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व (अनुबन्ध)
33. डा. रीना नौटियाल, गेस्ट फेकल्टी, हिन्दी
34. डा. ऋचा सक्सेना, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, मनोविज्ञान (अनुबन्ध)
35. डा. सीमा, गेस्ट फेकल्टी, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व
36. डा. शालिनी शर्मा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संस्कृत (अनुबन्ध)

37. Dr. Shikha, Assistant Professor , Chemistry (Contractual)
 38. Dr. Shivani, Assistant Professor, Chemistry (Contractual)
 39. Dr. Shweta Agarwal, Assistant Professor, Hindi (Contractual)
 40. Dr. Sunita Rani, Guest Faculty, Sanskrit
 41. Dr. Vandana Singh, Guest Faculty, Hindi
 42. Dr. Neha Kaushik, Asst. Prof., Management (Contractual)
 43. Dr. Sushma, Guest Faculty, Mathematics
 44. Dr. Divya Rajput, Assistant Professor, Management (Contractual)
 45. Dr. Harshita Arora, Assistant Professor, Management (Contractual)
 46. Ms. Priyanka, Asst. Prof., Computer Sc. & Engg. (Contractual)
 47. Ms. Neha Pathak, Asst. Prof., Computer Sc. & Engg. (Contractual)
37. डा. शिक्षा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान (अनुबन्ध)
 38. डा. शिवानी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान (अनुबन्ध)
 39. डा. श्वेता अग्रवाल, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, हिन्दी (अनुबन्ध)
 40. डा. सुनीता रानी, गेस्ट फेकल्टी, संस्कृत
 41. डा. वन्दना सिंह, गेस्ट फेकल्टी, हिन्दी
 42. डा. नेहा कौशिक, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, प्रबन्धन (अनुबन्ध)
 43. डा. सुशमा, गेस्ट फेकल्टी, गणित
 44. डा. दिव्या राजपूत, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, प्रबन्धन (अनुबन्ध)
 45. डा. हर्षिता अरोड़ा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, प्रबन्धन (अनुबन्ध)
 46. सुश्री प्रियंका, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, कम्प्यू. साइंस एण्ड इंजी. (अनुबन्ध)
 47. सुश्री नेहा पाठक, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, कम्प्यू. साइंस एण्ड इंजी. (अनुबन्ध)

KANYA GURUKULA CAMPUS, DEHRADUN

1. Dr. Nipur, M.C.A., Ph.D., Professor, Comp. Science
 2. Dr. Renu Shukla., M.A., Ph.D., Professor, A.I. History
 3. Dr. Heman Pathak, M.C.A., Ph.D., Professor, Computer Science
 4. Dr. Praveena Chaturvedi, M.C.A., Ph.D., Professor, Comp. Science
 5. Dr. Neena Gupta, M.C.A., Ph.D., Professor, Computer Science
 6. Dr. Nisha Yadav, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Hindi
 7. Dr. Savita, M.Tech., NET., Ph.D., Asst. Prof., Computer Science
 8. Dr. Mamta Yadav, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Music
 9. Dr. Sarita Negi, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Music
 10. Dr. Suniti Arya, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Sanskrit
 11. Dr. Reena Verma, M.A., Ph.D., Assistant Professor, English
 12. Dr. Archana Dimri, Asst. Prof., Ancient Indian History Culture and Archaeology (Contractual)
 13. Dr. Anju Lata Shrivastava, History, Guest Faculty
 14. Dr. Babita Sharma, Assistant Professor, Economics (Contractual)
 15. Dr. Neha Saini, Assistant Professor, Yogic Science (Contractual)
 16. Dr. Prachi Arya, Assistant Professor, Sanskrit (Contractual)
 17. Dr. Preeti Arya, Assistant Professor, Sanskrit (Contractual)
 18. Dr. Rachna Chauhan, Assistant Professor, Hindi (Contractual)
 19. Dr. Rachna Pandey, Assistant Professor, Drawing (Contractual)
 20. Dr. Rekha Rajput, Assistant Professor, AIHC & Arch. (Contractual)
 21. Dr. Shristi Malkoti, English, Guest Faculty
 22. Dr. Shweta Tripathi, Psychology, Guest Faculty
 23. Dr. Sugandha, Assistant Professor, English (Contractual)
 24. Dr. Sanyogita, Assistant Professor, Yogic Science (Contractual)
1. डा. निपुर, एम.सी.ए., पी-एच. डी., प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान
 2. डा. रेणु शुक्ला, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर, प्रा.भा. इतिहास
 3. डा. हेमन पाठक, एम.सी.ए., पी-एच. डी., प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान
 4. डा. प्रवीणा चतुर्वेदी, एम.सी.ए., पी-एच. डी., प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान
 5. डा. नीना गुप्ता, एम.सी.ए., पी-एच. डी., प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान
 6. डा. निशा यादव, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर, हिंदी
 7. डा. सविता, एम.टेक, नेट, पी-एच. डी., असि. प्रोफेसर, कम्प्यूटर साइंस
 8. डा. ममता यादव, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संगीत
 9. डा. सरिता नेगी, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संगीत
 10. डा. सुनीति आर्य, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संस्कृत
 11. डा. रीना वर्मा, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अंग्रेजी
 12. डा. अर्चना डिमरी, असि. प्रो., प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व (अनुबंध)
 13. डा. अंजु लता श्रीवास्तव, इतिहास, गेस्ट फेकल्टी
 14. डा. बबिता शर्मा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र (अनुबंध)
 15. डा. नेहा सैनी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर योग विज्ञान (अनुबंध)
 16. डा. प्राची आर्या, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संस्कृत (अनुबंध)
 17. डा. प्रीति आर्या, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संस्कृत (अनुबंध)
 18. डा. रचना चौहान, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, हिन्दी (अनुबंध)
 19. डा. रचना पाण्डेय, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, ड्रॉइंग (अनुबंध)
 20. डा. रेखा राजपूत, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, प्रा.भा.इ. एवं पुरातत्व (अनुबंध)
 21. डा. सृष्टि मलकोटि, अंग्रेजी, गेस्ट फेकल्टी,
 22. डा. श्वेता त्रिपाठी, मनोविज्ञान, गेस्ट फेकल्टी
 23. डा. सुगंधा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अंग्रेजी (अनुबंध)
 24. डा. संयोगिता, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, योग विज्ञान (अनुबंध)

PROCTORIAL BOARD

Prof. Namita Joshi, Chief Proctor (Mob. 9410559821)

Dr. Ajay Malik, Proctor (Mob. 9897238225)

MAIN PREMISES

1. (Chief Warden-Ex. Officio)	Member
2. (Co-ordinator, Kanya Gurukula, Dehradun-Ex. Officio)	Member
3. Prof. Anjali Goel	Member
4. (Dean Student Welfare-Ex. Officio)	Member
5. (NCC-Ex. Officio)	Member
6. (N.O.-Ex. Officio)	Member
7. Dr. Vinod Kumar	Member
8. Dr. Tanuj Kumar Garg	Member
9. Dr. Manila	Member
10. Dr. Vipin Kumar	Member
11. (NSS -Ex. Officio)	Member
12. Dr. Mahendra Singh Aswal	Member
13. Dr. Jaspal Singh	Member
14. Dr. Udham Singh	Member
15. Dr. Ravindra Kumar	Member
16. Dr. Babloo Vedalankar	Member
17. Dr. Reena Verma	Member
18. Dr. Vivudh Fore	Member
19. Sh. Ambrish Kumar	Member
20. Dr. Dharmendra Kumar	Member
21. Sh. Dushyant Rana	Member
22. Dr. Shiv Kumar Chauhan	Member/ Convenor

अनुशास्ता बोर्ड

प्रो. नमिता जोशी, मुख्य अनुशास्ता (मो. 9410559821)

डा. अजय मलिक, अनुशास्ता (मो. 9897238225)

मुख्य परिसर

1. (मुख्य वार्डन-पदेन)	सदस्य
2. (कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल, देहरादून-पदेन)	सदस्या
3. प्रो. अंजली गोयल	सदस्या
4. (डीन छात्र कल्याण-पदेन)	सदस्य
5. (एन.सी.सी. पदेन)	सदस्य
6. (एन.ओ.-पदेन)	सदस्य
7. डॉ. विनोद कुमार	सदस्य
8. डॉ. तनुज कुमार गर्ग	सदस्य
9. डॉ. मनीला	सदस्या
10. डॉ. विपिन कुमार	सदस्य
11. (एन.एस.एस.-पदेन)	सदस्य
12. डॉ. महेन्द्र सिंह असवाल	सदस्य
13. डॉ. जसपाल सिंह	सदस्य
14. डॉ. उधम सिंह	सदस्य
15. डॉ. रविन्द्र कुमार	सदस्य
16. डॉ. बबलू वेदालंकार	सदस्य
17. डॉ. रीना वर्मा	सदस्या
18. डॉ. विवुध फोर	सदस्य
19. श्री अम्बरीश कुमार	सदस्य
20. डॉ. धर्मेन्द्र कुमार	सदस्य
21. श्री दुष्यन्त राणा	सदस्य
22. डॉ. शिव कुमार चौहान	सदस्य/ संयोजक

STUDENTS COUNSELING CENTRE/ STUDENTS GRIEVANCE CELL/ EQUAL OPPORTUNITY CELL/ WOMEN EMPOWERMENT CELL/ SPORTS COUNCIL

In order to facilitate the students counseling centre, equal opportunity cell, women empowerment cell and students grievance cell have been established in the Vishwavidyalaya as per direction of U.G.C.

Students Counseling Centre

Dr. Arun Kumar, Dept. of Psychology	Chairman
Dr. Richa Saini, Dept. of Physics	Member
Dr. Vipul Bhatt, Dept. of Economics	Member
Dr. Suyash Bhardwaj, Dept. of CSE	Member
Dr. Ajit Singh Tomar, Dept of Hindi	Member
Dr. Shwetank Arya, Computer Science	Member

Students Grievance Cell

Prof. Brahmdev, Dept. of Sanskrit	Member
Prof. Namita Joshi, Dept. of Zoology & Env. Sc.	Member
Prof. Nipur Singh, Dept. of Computer Science	Member
Prof. Vipul Sharma, Dept. of E.C.E.	Member
Dr. Arun Kumar, Dept. of Psychology	Member
Dr. Ajay Malik, Dept. of Phy. Edu. & Games	Member
One student from the place of incidence concerned	Member
Dr. Nitin Bhardwaj, Dept. of Zoology & Environmental Sc.	Convener

Equal Opportunity Cell

Dr. Arun Kumar, Dept. of Psychology	Chairman
Dr. Vipul Bhatt, Dept. of Economics	Member
Dr. Deen Dayal, Dept. of Veda	Member
Dr. Maneela, Dept. of Chemistry	Member
Dr. Sunil Kumar, Dept. of Hindi	Member/Convener

Women Empowerment Cell

Prof. Nipur Singh, K.G.C., Dehradun	Chairman
Prof. Renua Shukla, Kanya Gurukula, Dehradun	Member
Prof. Namita Joshi, Kanya Gurukula, Haridwar	Member
Prof. Seema Sharma, Kanya Gurukula, Haridwar	Member
Smt. Reeta Sahrawat, Kanya Gurukula, Haridwar	Convener

Sports Council

1. (Vice Chancellor-Ex. Officio)	Chairman
2. (Registrar-Ex. Officio)	Member
3. (Finance Officer-Ex. Officio)	Member
4. Prof. L.P. Purohit	Member
5. Prof. Surekha Rana	Member
6. Prof. Heman Pathak	Member
7. Prof. Prabhat Kumar	Member
8. Prof. Mayank Agarwal	Member
9. Prof. Nitin Kamboj	Member
10. Dr. Deen Dayal	Member
11. Dr. Ajeet Tomar	Member
12. Dr. Satendra Rajput	Member
13. Dr. Shiv Kumar Chauhan	Member
14. Dr. Dharmendra Kumar	Member
15. Dr. Bindu Malik	Member
16. Sh. Dushyant Rana	Member
17. Dr. Ajay Malik	Secretary

छात्र-छात्राओं हेतु काउंसिलिंग सेन्टर/ छात्र-छात्राओं हेतु शिकायत प्रकोष्ठ/ समान अवसर प्रकोष्ठ/महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ/क्रीड़ा परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में छात्र/छात्राओं हेतु काउंसिलिंग सेन्टर व शिकायत प्रकोष्ठ समान अवसर प्रकोष्ठ एवं महिला सशक्ति प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है।

छात्र-छात्राओं हेतु काउंसिलिंग सेन्टर

डा. अरूण कुमार, मनोविज्ञान विभाग	अध्यक्ष
डा. रिचा सैनी, भौतिकी विभाग	सदस्या
डा. विपुल भट्ट, अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य
डा. सुयश भारद्वाज, सीएसई विभाग	सदस्य
डा. श्वेतांक आर्य, कम्प्यूटर साइ. विभाग	सदस्य

छात्र-छात्राओं हेतु शिकायत प्रकोष्ठ

प्रो. ब्रह्मदेव, संस्कृत विभाग	अध्यक्ष
प्रो. नमिता जोशी, जन्तु विज्ञान एवं पर्या. विभाग	सदस्या
प्रो. निपुर सिंह, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग	सदस्या
प्रो. विपुल शर्मा, ई.सी.ई. विभाग	सदस्य
डा. अरूण कुमार, मनोविज्ञान विभाग	सदस्य
डा. अजय मलिक, शा.शि. एवं खेल विभाग	सदस्य
संबंधित घटना स्थल पर विद्यमान एक छात्र/छात्रा	सदस्य
डॉ. नितिन भारद्वाज, जन्तु विज्ञान एवं पर्या. विभाग	संयोजक

समान अवसर प्रकोष्ठ

डा. अरूण कुमार, मनोविज्ञान विभाग	अध्यक्ष
डा. विपुल भट्ट, अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य
डा. दीनदयाल, वेद विभाग	सदस्य
डा. मनीला, रसायन विभाग	सदस्या
डा. सुनील कुमार, हिंदी विभाग	सदस्य/संयोजक

महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ

प्रो. निपुर सिंह, कन्या गुरुकुल, देहरादून	अध्यक्षा
प्रो. रेणु शुक्ला, कन्या गुरुकुल, देहरादून	सदस्या
प्रो. नमिता जोशी, कन्या गुरुकुल, हरिद्वार	सदस्या
प्रो. सीमा शर्मा, कन्या गुरुकुल, हरिद्वार	सदस्या
श्रीमती रीता सहरावत, कन्या गुरुकुल, हरिद्वार	संयोजिका

क्रीड़ा परिषद

1. (कुलपति-पदेन)	अध्यक्ष
2. (कुलसचिव-पदेन)	सदस्य
3. (वित्ताधिकारी-पदेन)	सदस्य
4. प्रो. एल.पी. पुरोहित	सदस्य
5. प्रो. सुरेखा राणा	सदस्य
6. प्रो. हेमन पाठक	सदस्य
7. प्रो. प्रभात कुमार	सदस्या
8. प्रो. मयंक अग्रवाल	सदस्या
9. प्रो. नितिन काम्बोज	सदस्य
10. डा. दीन दयाल	सदस्य
11. डा. अजीत तोमर	सदस्य
12. डा. सतेन्द्र राजपूत	सदस्य
13. डा. शिवकुमार चौहान	सदस्य
14. डा. धर्मेन्द्र कुमार	सदस्य
15. डा. बिन्दु मलिक	सदस्य
16. श्री दुष्यन्त राणा	सदस्य
17. डॉ. अजय मलिक	सचिव

ANTI-RAGGING SQUAD AND ANTI-RAGGING COMMITTEE

(Vice Chancellor-Ex. Officio)- Chairman

Prof. Brahmdev, Sanskrit Deptt.-Nodal Officer (M. 9412307123)

Anti-Ragging Squad

1. Main Campus & Hostel (For Boys)

Prof. V.K. Singh, Dept. of Management Studies (M. 75001333444)

Prof. Navneet, Dept. of Botany & Microbiology

Prof. Prabhat Kumar, Dept. of A.I. Indian History Culture & Arch.

Prof. L.P. Purohit, Dept. of Physics

Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman

2. Kanya Gurukul, Haridwar (For Girls)

Prof. Namita Joshi, Dept. of Zoology & Env. Sc.-Convenor (M. 7300761358)

Prof. Surekha Rana, Dept. of Management

Prof. Mudita Agnihotri, Dept. of English

Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman

3. Kanya Gurukul Campus, Dehradun & Hostel (For Girls)

Prof. Nipur Singh, Dept. of Computer Science-Convenor (M. 9412941026)

Prof. Renu Shukla, Dept. of A.I. History

Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman

4. Faculty of Engineering & Technology and Hostel (For Boys)

Dr. M.M. Tiwari, Dept. of Applied Sciences-Convenor (M. 7300761272)

Dr. Mayank Agarwal, Dept. of C.S.E.

Dr. Vivek Goel, Dept. of Applied Sciences

Dr. Sanjeev Kumar Lamba, Dept. of M.E.

Dr. Tanuj Garg, Dept. of E.C.E.

Dr. Dharmendra Baliyan, Dept. of Games

Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman

Anti-Ragging Committee

1. Main Campus & Science Hostel (For Boys)

Prof. Prabhat Kumar, Deptt. of A.I. History-Convenor (M. 9690922000)

Prof. V.K. Singh, Dept. of Management Studies

Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman

2. Kanya Gurukul, Haridwar (For Girls)

Prof. Seema Sharma, Dept. of Maths & Statistics-Con. (M. 895210820)

Prof. Surekha Rana, Deptt. of Management Studies

Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman

3. Kanya Gurukul Campus, Dehradun & Hostel (For Girls)

Prof. Nipur Singh, Dept. of Computer Science

Prof. Renu Shukla, Dept. of A.I. History

Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman

4. Faculty of Engineering & Technology (For Boys)

Dr. Sunil Panwar, Dept. of Applied Sciences, Convenor (M. 7300761238)

Prof. Vipul Sharma, Dept. of E.C.E.

Dr. M.M. Tiwari, Dept. of Applied Sciences

Dr. Lokesh Kumar Joshi, Dept. of Applied Sciences

Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman

एन्टी-रैगिंग स्क्वॉड एवं एन्टी-रैगिंग समिति

(कुलपति-पदेन)-अध्यक्ष

प्रो० ब्रह्मदेव, संस्कृत विभाग-नोडल अधिकारी (मो. 9412307123)

एन्टी-रैगिंग स्क्वाड दस्ता

1. मुख्य परिसर एवं छात्रावास (छात्रों के लिए)

प्रो. वी. के. सिंह, प्रबन्ध अध्ययन विभाग-समन्वयक (मो. 7500133344)

प्रो. नवनीत, वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग

प्रो. प्रभात कुमार, प्राचीन भा. इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग

प्रो. एल.पी. पुरोहित, भौतिकी विभाग

अध्यक्ष द्वारा नामित कनिष्ठ छात्र, वरिष्ठ छात्र एवं अभिभावक

2. कन्या गुरुकुल, हरिद्वार (छात्राओं के लिए)

प्रो. नमिता जोशी, जन्तु विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग-समन्वयक (मो. 7300761358)

प्रो. सुरेखा राणा, प्रबन्धन विभाग

प्रो. मुदिता अग्निहोत्री, अंग्रेजी विभाग

अध्यक्ष द्वारा नामित कनिष्ठ छात्रा, वरिष्ठ छात्रा एवं अभिभावक

3. कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून एवं छात्रावास (छात्राओं के लिए)

प्रो. निपुर सिंह, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग-समन्वयक (मो. 9412941026)

प्रो. रेणु शुक्ला, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग

अध्यक्ष द्वारा नामित कनिष्ठ छात्रा, वरिष्ठ छात्रा एवं अभिभावक

4. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय एवं छात्रावास (छात्रों के लिए)

डा. एम.एम. तिवारी, अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग समन्वयक (मो. 7300761272)

डा. मयंक अग्रवाल, सी.एस.ई. विभाग

डा. विवेक गोयल, अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग

डा. संजीव कुमार लाम्बा, म.ई. विभाग

डा. तनुज गर्ग, ई.सी.ई. विभाग

डा. धर्मेन्द्र बालियान, खेल विभाग

अध्यक्ष द्वारा नामित कनिष्ठ छात्र, वरिष्ठ छात्र एवं अभिभावक

एन्टी-रैगिंग समिति

1. मुख्य परिसर एवं विज्ञान छात्रावास (छात्रों के लिए)

प्रो. प्रभात कुमार, प्रा.मा.इति.सं. एवं पुरा. विभाग-समन्वयक (मो. 9690922000)

प्रो. वी. के. सिंह, प्रबन्ध अध्ययन विभाग

अध्यक्ष द्वारा नामित कनिष्ठ छात्र, वरिष्ठ छात्र एवं अभिभावक

2. कन्या गुरुकुल, हरिद्वार (छात्राओं के लिए)

प्रो. सीमा शर्मा, गणित एवं सांख्यिकी विभाग-समन्वयक (मो. 895210820)

प्रो. सुरेखा राणा, प्रबन्ध अध्ययन विभाग

अध्यक्ष द्वारा नामित कनिष्ठ छात्रा, वरिष्ठ छात्रा एवं अभिभावक

3. कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून एवं छात्रावास (छात्राओं के लिए)

प्रो. निपुर सिंह, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग

प्रो. रेणु शुक्ला, प्राचीन भारतीय इतिहास

अध्यक्ष द्वारा नामित कनिष्ठ छात्रा, वरिष्ठ छात्रा एवं अभिभावक

4. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय (छात्रों के लिए)

डा. सुनील पंवार, अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग-समन्वयक (मो. 7300761238)

प्रो. विपुल शर्मा, ई.सी.ई. विभाग

डा. एम. एम. तिवारी, अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग

डा. लोकेश कुमार जोशी, अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग

अध्यक्ष द्वारा नामित कनिष्ठ छात्र, वरिष्ठ छात्र एवं अभिभावक

Internal Complaint Cell आन्तरिक शिकायत प्रकोष्ठ

- | | |
|---|----------------|
| 1. प्रो० सीमा शर्मा, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार, फोन नं०- 7895210820 | अध्यक्षा |
| 2. प्रो० अंजली गोयल, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार, फोन नं०- 7300761226 | सदस्या |
| 3. डॉ० अतिमा नारंग, नारंग हॉस्पिटल, निकट-विजय टाकिज, चौक-नवाबगंज, सहारनपुर, फोन नं०- 9897633851 | बाह्य विशेषज्ञ |
| 4. श्री मनीष अग्रवाल, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, फोन नं०- 7300761270 | सदस्य |
| 5. डॉ० स्वाति अग्रवाल, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून, फोन नं०-8477908605 | सदस्या |
| 6. नामित छात्र | सदस्य |
| 7. नामित छात्र | सदस्य |
| 8. नामित छात्रा | सदस्या |
| 9. डॉ० राकेश भुटियानी, जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग, फोन नं०- 9412072917 | संयोजक |

Research & Development Cell अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ

डा. सुहास, निदेशक अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ

- | | |
|--|--|
| <p>1. वित्त एवं आधारभूत संरचना समिति
(Finance & Infrastructure Committee)</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रो. राकेश कुमार जैन – अध्यक्ष • वित्ताधिकारी (पदेन) – सदस्य • निदेशक, शोध एवं विकास प्रकोष्ठ (पदेन) – सदस्य • डा. श्वेतांक – सदस्य • श्री रंजीत कुमार – सदस्य • डा. विनोद कुमार – संयोजक <p>3. सहभागिता एवं समुदाय
(Collaboration & Community)</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रो. नवनीत – अध्यक्ष • निदेशक, शोध एवं विकास प्रकोष्ठ (पदेन) – सदस्य • डा. उद्यम सिंह – सदस्य • डा. अजय मलिक – सदस्य • डा. लोकेश जोशी – सदस्य • प्लेसमेंट ऑफिसर (पदेन) – सदस्य • डा. संदीप कुमार – संयोजक | <p>2. अनुसंधान कार्यक्रम एवं नीति विकास
(Research Programme, Policy Development)</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रो. एल.पी. पुरोहित – अध्यक्ष • डीन, एकेडमिक (पदेन) – सदस्य • प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री – सदस्य • निदेशक, शोध एवं विकास प्रकोष्ठ (पदेन) – सदस्य • डा. वेदव्रत – सदस्य • डा. चिरंजीव बैनर्जी – सदस्य <p>4. उत्पाद विकास, निगरानी एवं व्यवसायीकरण
(Product Development, Monitoring & Commercialization)</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रो. मुकेश कुमार – अध्यक्ष • डा. आभा शुक्ला – सदस्या • निदेशक, शोध एवं विकास प्रकोष्ठ (पदेन) – सदस्य • डा. कृष्ण कुमार – सदस्य • डा. कपिल कुमार गोयल – सदस्य • डा. सुयश भारद्वाज – सदस्य • डा. नितिन भारद्वाज – सदस्य • डा. अनुज कुमार शर्मा – संयोजक |
|--|--|
- 5. आई.पी.आर., विधिक एवं नैतिक मामला**
(IPR, Legal & Ethical Matters)
- प्रो. सत्येन्द्र कुमार राजपूत – अध्यक्ष
 - डा. कुशवाह दिलीप कुमार – सदस्य
 - निदेशक, शोध एवं विकास प्रकोष्ठ (पदेन) – सदस्य
 - डा. श्वेतांक – सदस्य
 - डा. दीनदयाल – सदस्य
 - विश्वविद्यालय विधि सलाहकार/अधिवक्ता – सदस्य
 - डा. कपिल कुमार गोयल – संयोजक

अंतर्राष्ट्रीय मामलों का कार्यालय : नोडल ऑफिसर डा. सुहास

ACADEMIC CALENDER (Session 2026-27)

Phase-I

(For RET exempted category only)

1	Last date of submitting the filled in Application (For RET exempted category) Form	31 August 2026
2	Last date of DRC Meeting	20 September 2026
3	Last date of admission to PhD course work	30 September 2026
4	Date of commencement of PhD course work classes	01 October 2026
5	Duration of examinations of PhD course work	2 nd week of Feb 2027
6	Declaration of result of PhD course work examination	2 nd week of March 2027
7	Last date of submission of Application form and PhD Synopsis	31 March 2027
8	Last date of RDC meeting	15 April 2027

Phase-II

(For RET*qualified and RET exempted both category- on vacant seats only)

1	Last date of submitting the filled in Application for RET (on vacant seats, if any after phase-I admissions)	31 October 2026
2	Date of Research Entrance Test (RET) conducted by the University	Last week of November 2026
3	Declaration of RET result	15 December 2026
4	Last date of DRC Meeting	31 December 2026
5	Last date of admission to PhD course work	15 Jan. 2027
6	Date of commencement of PhD course work classes	16 Jan. 2027
7	Duration of examinations of PhD course work	Last week of May 2027
8	Declaration of result of PhD course work examination	Last week of June 2027
9	Last date of submission of Application form and PhD Synopsis	31 July 2027
10	Last date of RDC meeting	16 August 2027

*If RET is conducted.

Note: 1. The candidates will be informed about the actual date of DRC/RDC meeting.
2. Alteration can be made on the above dates, if required.

शैक्षणिक कैलेंडर (सत्र 2026-27)

प्रथम चरण

(केवल आर.ई.टी. मुक्त श्रेणी हेतु)

1	भरे हुए आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि (आर.ई.टी. से मुक्त श्रेणी हेतु)	31 अगस्त 2026
2	विभागीय शोध समिति (डी.आर.सी.) की बैठक की अंतिम तिथि	20 सितम्बर 2026
3	पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य में प्रवेश की अंतिम तिथि	30 सितम्बर 2026
4	पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की कक्षाओं का प्रारंभ दिवस	01 अक्टूबर 2026
5	पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की परीक्षाओं की अवधि	फरवरी 2027 का द्वितीय सप्ताह
6	पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की परीक्षा के परिणाम की घोषणा	मार्च 2027 का द्वितीय सप्ताह
7	आवेदन-पत्र तथा पीएच.डी. शोध-सार (सिनाॅप्सिस) जमा करने की अंतिम तिथि	31 मार्च 2027
8	शोध उपाधि समिति (आर.डी.सी.) की बैठक की अंतिम तिथि	15 अप्रैल 2027

द्वितीय चरण

(आर.ई.टी.* उत्तीर्ण तथा आर.ई.टी. मुक्त दोनों श्रेणियों हेतु – केवल रिक्त सीटों पर)

1	आर.ई.टी. हेतु भरे हुए आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि (यदि प्रथम चरण के बाद रिक्त सीटें हों)	31 अक्टूबर 2026
2	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शोध प्रवेश परीक्षा (आर.ई.टी.) की तिथि	नवंबर 2026 का अंतिम सप्ताह
3	आर.ई.टी. परिणाम की घोषणा	15 दिसंबर 2026
4	विभागीय शोध समिति (डी.आर.सी.) की बैठक की अंतिम तिथि	31 दिसंबर 2026
5	पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य में प्रवेश की अंतिम तिथि	15 जनवरी 2027
6	पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की कक्षाओं का प्रारंभ दिवस	16 जनवरी 2027
7	पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की परीक्षाओं की अवधि	मई 2027 का अंतिम सप्ताह
8	पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की परीक्षा के परिणाम की घोषणा	जून 2027 का अंतिम सप्ताह
9	आवेदन-पत्र तथा पीएच.डी. शोध-सार (सिनाॅप्सिस) जमा करने की अंतिम तिथि	31 जुलाई 2027
10	शोध उपाधि समिति (आर.डी.सी.) की बैठक की अंतिम तिथि	16 अगस्त 2027

* यदि आर.ई.टी. आयोजित हो।

- नोट:**
1. अभ्यर्थियों को डी.आर.सी./आर.डी.सी. बैठक की वास्तविक तिथि की सूचना दी जाएगी।
 2. आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार
Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar

वर्ष 2026 की अवकाश सूची

क्र०सं०	अवकाश का विवरण	दिनों की संख्या	दिनांक	दिन
1	मकर संक्रान्ति	01	14.01.2026	बुधवार
2	बसंत पंचमी	01	23.01.2026	शुक्रवार
3	गणतन्त्र दिवस	01	26.01.2026	सोमवार
4	स्वामी दयानन्द जयन्ती	01	12.02.2026	बृहस्पतिवार
5	स्वामी श्रद्धानन्द जयन्ती	01	14.02.2026	शनिवार
6	होली	02	03-04.03.2026	मंगलवार और बुधवार
7	रामनवमी	01	26.03.2026	बृहस्पतिवार
8	महावीर जयन्ती	01	31.03.2026	मंगलवार
9	बुद्ध पूर्णिमा	01	01.05.2026	शुक्रवार
10	स्वतन्त्रता दिवस	01	15.08.2026	शनिवार
11	जन्माष्टमी	01	04.09.2026	शुक्रवार
12	महात्मा गांधी जयन्ती	01	02.10.2026	शुक्रवार
13	दशहरा	01	20.10.2026	मंगलवार
14	दीपावली	02	07-08.11.2026	शनिवार और रविवार
15	गुरुनानक जयन्ती	01	24.11.2026	मंगलवार
	कुल अवकाश	17		

वर्ष 2026 की प्रतिबन्धित अवकाश सूची

क्र०सं	अवकाश का विवरण	दिनों की संख्या	दिनांक	दिन
1	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती	01	23.01.2026	शुक्रवार
2	लाला लाजपतराय जयन्ती	01	28.01.2026	रविवार
3	गुरु रविदास जयन्ती	01	01.02.2026	रविवार
4	महाशिवरात्रि	01	15.02.2026	रविवार
5	वैशाखी	01	14.04.2026	मंगलवार
6	गुरु रबिन्द्रनाथ टैगोर जयन्ती	01	09.05.2026	शनिवार
7	रक्षाबन्धन	01	28.08.2026	शुक्रवार
8	गणेश चतुर्थी	01	14.09.2026	सोमवार
9	विश्वकर्मा दिवस	01	17.09.2026	बृहस्पतिवार
10	महर्षि वाल्मिकी जयन्ती	01	26.10.2026	सोमवार
11	करवाचौथ पूजा	01	29.10.2026	बृहस्पतिवार
12	गौवर्धन पूजा	01	09.11.2026	सोमवार
13	छठ पूजा	01	15.11.2026	रविवार

नोट -

1. शिक्षक वर्ग हेतु देय अवकाश

(अ) ग्रीष्मकालीनअवकाश 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक

(ब) शीतकालीनअवकाश 01 जनवरी 2027 से 15 जनवरी 2027 तक

2. सभी कर्मचारियों को दो प्रतिबन्धित अवकाश (आर0 एल0) देय होंगे।

FEE STRUCTURE-I
(FULL TIME Ph.D. PROGRAMME)
(2026-27)

A. First Year

S.No.	Head	Category A		Category B	
		I Inst.	II Inst.	I Inst.	II Inst.
1	Ph.D. Course Work Registration Fee	₹1,000	-	₹1,000	-
2	Ph.D. Course Work Fee	₹10,000	-	₹10,000	-
3	Ph.D. Synopsis Submission Fee	-	₹6,000	-	₹6,000
4	Ph.D. Admission Fee after RDC	-	₹6,000	-	₹6,000
5	Library Fee	₹1,000	-	₹1,000	-
6	Library Caution Money (Refundable)	₹5,000	-	₹5,000	-
7	Internet Fee/Journal Subscription Fee	₹1,000	₹1,000	₹1,000	₹1,000
8	Lab. Caution Money (Refundable)	-	-	-	-
9	Computational Fee/Lab Fee	-	-	-	₹7,000
10	Pre Ph.D. Examination Fee	₹2,000	-	₹2,000	-
	Total (₹)	₹20,000	₹13,000	₹20,000	₹20,000

Note: ^{1st} Instalment: At the time of Registration Ph.D. course work ^{2nd} Instalment: At the time of submission of Ph.D. Synopsis

B. Second Year & onwards (Yearly Fee)^

S.No.	Head	Category A	Category B
1	Cumulative Fee (Including Lab/ Computational/ Internet/Journal Subscription, etc.)	₹4,000	₹11,500
2	Library Fee	₹1,000	₹1,000
	Total (₹)	₹5,000	₹12,500

[^]Note: Yearly Fee (from II year & onwards) shall be deposited up to 31st July each year.

C. Quarterly Progress Report Fee: ₹ 1800/- (₹. 600/- per month), Late Fee ₹ 100/- per month

D. One Time Fee:

S.No.	Particulars	Amount
1	Thesis Evaluation Fee (at the time of thesis submission)	₹ 20,000/-
2	Thesis Resubmission & Evaluation Fee	₹ 20,000/-

Category of Subjects

Category	Subjects
Category A	Sanskrit/ Veda/ Philosophy/ English/ Hindi/ A.I. History/ Psychology/ Yogic Science/ Physical Education/ Economics/ Jyotirvigyan/ Music
Category B	Maths/ Physics/ Management/ Zoology/ Environmental Science/ Chemistry/ Computer Science/ Botany/ Microbiology/ Computer Sciences & Engg./ Electronics & Comm. Engg./ Pharmaceutical Science/ Applied Science (Chemistry/ Physics/ Mathematics)/ Mechanical Engg.

Note:

1. First instalment of the I year fee shall be deposited at the time of Registration in Ph.D. course work.
2. Second instalment of the I year fee shall be deposited at the time of submission of Ph.D. synopsis.
3. Yearly fee (from II year and onwards) shall be deposited up to 31st July of each year, otherwise late payment of ₹ 100/- per month shall be paid after due date.
4. No claim shall be entertained for return of fee deposited in any case.
5. No application shall be entertained for refund of security money after one year of completion of the Ph.D. Programme.
6. In addition to above fee, student shall have to pay ₹ 350/- (Medical fee & Medical Insurance) per year and ₹ 1,000/- alumni fee (one time).
7. Error, if any, is subject to rectification.

शुल्क संरचना-I

(पूर्णकालिक पी-एच.डी. पाठ्यक्रम)
(2026-27)

A. प्रथम वर्ष

क्रमांक	मद (Head)	श्रेणी A		श्रेणी B	
		I किस्त	II किस्त	I किस्त	II किस्त
1	पी-एचडी कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन शुल्क	₹1,000	-	₹1,000	-
2	पी-एचडी कोर्स वर्क शुल्क	₹10,000	-	₹10,000	-
3	पी-एचडी रूपरेखा जमा शुल्क	-	₹6,000	-	₹6,000
4	आरडीसी के पश्चात् पीएचडी प्रवेश शुल्क	-	₹6,000	-	₹6,000
5	पुस्तकालय शुल्क	₹1,000	-	₹1,000	-
6	सुरक्षा धन पुस्तकालय (वापस की जाने योग्य)	₹5,000	-	₹5,000	-
7	इंटरनेट शुल्क/जर्नल सदस्यता शुल्क	₹1,000	₹1,000	₹1,000	₹1,000
8	सुरक्षा धन प्रयोगशाला (वापस की जाने योग्य)	-	-	-	-
9	संगणकीय शुल्क/प्रयोगशाला शुल्क	-	-	-	₹7,000
10	प्रि पीएचडी परीक्षा शुल्क	₹2,000	-	₹2,000	-
	कुल (₹)	₹20,000	₹13,000	₹20,000	₹20,000

नोट: पहली किस्त: पीएचडी कोर्स वर्क के पंजीकरण के समय

दूसरी किस्त: पीएचडी रूपरेखा प्रस्तुत करने के समय

B. द्वितीय वर्ष एवं इसके बाद (वार्षिक शुल्क)^

क्रमांक	मद (Head)	I किस्त	II किस्त
1	संचयी शुल्क (प्रयोगशाला/ संगणकीय/ इंटरनेट/ जर्नल सदस्यता आदि सहित)	₹4,000	₹11,500
2	पुस्तकालय शुल्क	₹1,000	₹1,000
	कुल (₹)	₹5,000	₹12,500

^नोट: द्वितीय वर्ष एवं उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष की वार्षिक शुल्क 31 जुलाई तक जमा करनी होगी।

C. त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शुल्क: ₹ 1800/- (₹ 600/- प्रति माह), विलंब शुल्क ₹ 100/- प्रति माह

D. एकमुश्त शुल्क:

क्रमांक	विवरण	शुल्क
1	शोध ग्रंथ मूल्यांकन शुल्क (शोध ग्रंथ जमा करने के समय)	₹ 20,000/-
2	शोध ग्रंथ पुनःप्रस्तुति एवं मूल्यांकन शुल्क	₹ 20,000/-

विषयों की श्रेणी

श्रेणी	विषय
श्रेणी A	संस्कृत/ वेद/ दर्शन/ अंग्रेजी/ हिंदी/ प्राचीन भारतीय इतिहास/ मनोविज्ञान/ योग विज्ञान/ शारीरिक शिक्षा/ अर्थशास्त्र/ ज्योतिर्विज्ञान/ संगीत
श्रेणी B	गणित/ भौतिकी/ प्रबंधन/ जंतु विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान/ रसायन विज्ञान/ कंप्यूटर विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान/ सूक्ष्म जीव विज्ञान/ कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग/ फार्मास्युटिकल विज्ञान/ अनुप्रयुक्त विज्ञान (रसायन विज्ञान/ भौतिकी/ गणित)/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग।

नोट:

- पी-एच.डी. कोर्स वर्क में पंजीकरण के समय प्रथम वर्ष की पहली किस्त जमा करनी होगी।
- पी-एच.डी. रूपरेखा जमा करते समय प्रथम वर्ष की दूसरी किस्त जमा करनी होगी।
- वार्षिक शुल्क (द्वितीय वर्ष से आगे) प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक जमा करना होगा, अन्यथा नियत तिथि के बाद ₹100/- प्रति माह की दर से विलंब शुल्क देना होगा।
- किसी भी स्थिति में जमा की गई शुल्क की वापसी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- पी-एच.डी. कार्यक्रम की समाप्ति के एक वर्ष बाद सुरक्षा राशि की वापसी हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त, छात्र को प्रति वर्ष ₹350/- (चिकित्सा शुल्क एवं चिकित्सा बीमा) तथा ₹1,000/- एलुमनी शुल्क (एक बार) देना होगा।
- कोई भी त्रुटि, सुधार के अधीन।

FEE STRUCTURE-II

(PART-TIME Ph.D. PROGRAMME) (2026-27)

A. First Year

S.No.	Head	Category A		Category B	
		I Inst.	II Inst.	I Inst.	II Inst.
1	Ph.D. Course Work Registration Fee	₹1,000	-	₹1,000	-
2	Ph.D. Course Work Fee	₹34,000	-	₹34,000	-
3	Ph.D. Synopsis Submission Fee	-	₹12,000	-	₹12,000
4	Ph.D. Admission Fee after RDC	-	₹12,000	-	₹13,000
5	Library Fee	₹1,000	-	₹1,000	-
6	Library Caution Money (Refundable)	₹5,000	-	₹5,000	-
7	Internet Fee/Journal Subscription Fee	₹1,000	₹2,000	₹1,000	₹2,000
8	Lab. Caution Money (Refundable)	-	-	-	-
9	Computational Fee/Lab Fee	-	-	-	₹13,000
10	Pre Ph.D. Examination Fee	₹2,000	-	₹2,000	-
	Total (₹)	₹44,000	₹26,000	₹44,000	₹40,000

Note: 1st Instalment: At the time of Registration Ph.D. course work 2nd Instalment: At the time of submission of Ph.D. Synopsis

B. Second Year & onwards (Yearly Fee)^

S. No.	Head	Category A		Category B	
		Maintenance Department	Self-Finance Department	Maintenance Department	Self-Finance Department
1	Cumulative Fee (Including Lab/ Computational/ Internet/Journal Subscription, etc.)	₹13,000	₹26,000	₹38,000	₹66,000
2	Library Fee	₹2,000	₹4,000	₹2,000	₹4,000
	Total (₹)	₹15,000	₹30,000	₹40,000	₹70,000

^**Note:** Yearly Fee (from II year & onwards) shall be deposited up to 31st July each year.

C. Quarterly Progress Report Fee: ₹ 3,000/- (₹. 1,000/- per month), Late Fee ₹ 200/- per month

D. One Time Fee:

S.No.	Particulars	Amount
1	Thesis Evaluation Fee (at the time of thesis submission)	₹ 20,000/-
2	Thesis Resubmission & Evaluation Fee	₹ 20,000/-

Category of Subjects

Category	Subjects
Category A	Sanskrit/ Veda/ Philosophy/ English/ Hindi/ A.I. History/ Psychology/ Yogic Science/ Physical Education/ Economics/ Jyotirvigyan/ Music
Category B	Maths/ Physics/ Management/ Zoology/ Environmental Science/ Chemistry/ Computer Science/ Botany/ Microbiology/ Computer Sciences & Engg./ Electronics & Comm. Engg./ Pharmaceutical Science/ Applied Science (Chemistry/ Physics/ Mathematics)/ Mechanical Engg.

Note:

1. First instalment of the I year fee shall be deposited at the time of Registration in Ph.D. course-work.
2. Second Instalment of the I year fee shall be deposited at the time of submission of Ph.D. synopsis.
3. Yearly fee (from II year and onwards) shall be deposited up to 31st July of each year, otherwise late payment of ₹ 200/- per month shall be paid after due date.
4. No claim shall be entertained for return of fee deposited in any case.
5. No application shall be entertained for refund of security money after one year of completion of the Ph.D. Programme.
- 6.* For Staff ward and Regular/Temporary Teaching & Non teaching employee of GK(DU), fee of part time Ph.D. programme under self-finance departments shall be same as that of maintenance departments.
7. In addition to above fee, students shall have to pay ₹ 350/- (Medical fee & Medical Insurance) per year and ₹1,000/- alumni fee (one time)
8. Error, if any, is subject to rectification.

शुल्क संरचना-II

(अंशकालिक पी-एच.डी. पाठ्यक्रम)
(2026-27)

A. प्रथम वर्ष

क्रमांक	मद (Head)	श्रेणी A		श्रेणी B	
		I किस्त#	II किस्त#	I किस्त#	II किस्त#
1	पी-एचडी कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन शुल्क	₹1,000	-	₹1,000	-
2	पी-एचडी कोर्स वर्क शुल्क	₹34,000	-	₹34,000	-
3	पी-एचडी रूपरेखा जमा शुल्क	-	₹12,000	-	₹12,000
4	आरडीसी के पश्चात् पीएचडी प्रवेश शुल्क	-	₹12,000	-	₹13,000
5	पुस्तकालय शुल्क	₹1,000	-	₹1,000	-
6	सुरक्षा धन पुस्तकालय (वापस की जाने योग्य)	₹5,000	-	₹5,000	-
7	इंटरनेट शुल्क/जर्नल सदस्यता शुल्क	₹1,000	₹2,000	₹1,000	₹2,000
8	सुरक्षा धन प्रयोगशाला (वापस की जाने योग्य)	-	-	-	-
9	संगणकीय शुल्क/प्रयोगशाला शुल्क	-	-	-	₹13,000
10	प्रि पीएचडी परीक्षा शुल्क	₹2,000	-	₹2,000	-
कुल (₹)		₹44,000	₹26,000	₹44,000	₹40,000

नोट: पहली किस्त: पीएचडी कोर्स वर्क के पंजीकरण के समय

दूसरी किस्त: पीएचडी रूपरेखा प्रस्तुत करने के समय

B. द्वितीय वर्ष एवं इसके बाद (वार्षिक शुल्क)^

क्रमांक	मद (Head)	श्रेणी A		श्रेणी B	
		मैटेनेंस विभाग	स्ववित्त पोषित विभाग	मैटेनेंस विभाग	स्ववित्त पोषित विभाग
1	संचयी शुल्क (प्रयोगशाला/ संगणकीय/ इंटरनेट/ जर्नल सदस्यता आदि सहित)	₹13,000	₹26,000	₹38,000	₹66,000
2	पुस्तकालय शुल्क	₹2,000	₹4,000	₹2,000	₹4,000
कुल (₹)		₹15,000	₹30,000	₹40,000	₹70,000

^ नोट: द्वितीय वर्ष एवं उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष की वार्षिक शुल्क 31 जुलाई तक जमा करनी होगी।

C. त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शुल्क: ₹ 3,000/- (₹ 1,000/- प्रति माह), विलंब शुल्क ₹ 200/- प्रति माह

D. एकमुश्त शुल्क:

क्रमांक	विवरण	शुल्क
1	शोध ग्रंथ मूल्यांकन शुल्क (शोध ग्रंथ जमा करने के समय)	₹ 20,000/-
2	शोध ग्रंथ पुनःप्रस्तुति एवं मूल्यांकन शुल्क	₹ 20,000/-

विषयों की श्रेणी

श्रेणी	विषय
श्रेणी A	संस्कृत/ वेद/ दर्शन/ अंग्रेजी/ हिंदी/ प्राचीन भारतीय इतिहास/ मनोविज्ञान/ योग विज्ञान/ शारीरिक शिक्षा/ अर्थशास्त्र/ ज्योतिर्विज्ञान/ संगीत
श्रेणी B	गणित/ भौतिकी/ प्रबंधन/ जंतु विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान/ रसायन विज्ञान/ कंप्यूटर विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान/ सूक्ष्म जीव विज्ञान/ कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग/ फार्मास्युटिकल विज्ञान/ अनुप्रयुक्त विज्ञान (रसायन विज्ञान/ भौतिकी/ गणित)/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग।

- नोट:**
- पी-एच.डी. कोर्स वर्क में पंजीकरण के समय प्रथम वर्ष की पहली किस्त जमा करनी होगी।
 - पी-एच.डी. रूपरेखा जमा करते समय प्रथम वर्ष की दूसरी किस्त जमा करनी होगी।
 - वार्षिक शुल्क (द्वितीय वर्ष से आगे) प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक जमा करना होगा, अन्यथा नियत तिथि के बाद ₹100/- प्रति माह की दर से विलंब शुल्क देना होगा।
 - किसी भी स्थिति में जमा की गई शुल्क की वापसी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - पी-एच.डी. कार्यक्रम की समाप्ति के एक वर्ष बाद सुरक्षा राशि की वापसी हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - * GK(DU) के स्टाफ वार्ड और नियमित/अस्थायी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी के लिए, सेल्फ-फाइनेंस विभागों के तहत पार्ट-टाइम पीएचडी कार्यक्रम का शुल्क मैटेनेंस विभागों के समान होगा।
 - उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त, छात्र को प्रति वर्ष ₹350/- (चिकित्सा शुल्क एवं चिकित्सा बीमा) तथा ₹1,000/- एलुमनी शुल्क (एक बार) देना होगा।
 - कोई भी त्रुटि, सुधार के अधीन।

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार

Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar

शुल्क तालिका FEE STRUCTURE (अन्य मद) (Other Heads)

अन्य मदों के लिए शुल्क *		FEE FOR OTHER HEADS* (For All Programmes)	
● उपाधि प्रमाण पत्र शुल्क	800/-	● Degree/ Certificate Fee	800/-
● दीक्षान्तोत्सव पर/दीक्षान्त के बाद	800/-	● on Convocation/ after Convocation	800/-
● डाक द्वारा	900/-	● Through India Post	900/-
● डुप्लीकेट/संशोधित डिग्री/डिप्लोमा	800/-	● Duplicate/Rectified Degree/Diploma Fee	800/-
● प्रोविजनल प्रमाण पत्र शुल्क	300/-	● Provisional Certificate Fee	300/-
● माइग्रेशन विलम्ब शुल्क (मासिक)	200/-	● Migration Submission Late Fee (Monthly)	200/-
● डुप्लीकेट/संशोधित अंकपत्र शुल्क (प्रति अंकपत्र)	500/-	● Duplicate/Rectified Mark sheet Fee (Per Mark sheet)	500/-
● माइग्रेशन प्रमाण पत्र शुल्क	300/-	● Migration Certificate Fee	300/-
● डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण पत्र शुल्क	500/-	● Duplicate Migration Fee	500/-
● पुनः परीक्षा शुल्क प्रति प्रश्न पत्र	1000/-	● Repeat Examination Fee per Paper	1000/-
गोल्डन रिपीट परीक्षा		Golden Repeat Exam	
● प्रति पेपर शुल्क	1500/-	● Fee Per Paper	1500/-
● अधिकतम शुल्क	5000/-	● Maximum Fee Rs.	5000/-
गोल्डन रिपीट परीक्षा (दया अवसर)		Golden Repeat (for Mercy Chance)	
● प्रति पेपर शुल्क	2000/-	● Fee Per Paper	2000/-
● अधिकतम शुल्क	5000/-	● Maximum Fee Rs.	5000/-
अंक सुधार (इंप्रूवमेंट) परीक्षा		Improvement Exam	
● प्रति पेपर शुल्क	2000/-	● Fee Per Paper	2000/-
● अधिकतम शुल्क	5000/-	● Maximum Fee Rs.	5000/-
● चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क	100/-	● Character Certificate Fee	100/-

*पूर्व सूचना के बिना परिवर्तनीय

* Subject to change without prior notice

Note : Any error(s) in the Information Brochure 2026-2027 is subject to rectification .

नोट : विवरण पत्रिका 2026-27 में कोई भी त्रुटि, सुधार के अधीन।

ओ३म्

आर्य समाज के नियम

1. सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है।
2. ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है।
3. वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।
4. सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए।
5. सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिये।
6. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।
7. सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए।
8. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।
9. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।
10. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें।



शिक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
EDUCATION

GAZETTE OF INDIA NOTIFICATION

No. F. 10-17/62 U2, Dated 19-06-62



ज्ञान-विज्ञान विभूतये
UGC
University Grants Commission

In exercise of powers conferred by section 3 of the University Grants Commission Act 1956 the Central Government on the advice of the Commission hereby declares that, the Gurukula Kangri Vishwavidyalaya Haridwar, which is an institution for higher education, shall be deemed to be a University for the purpose of the said act.

Published by :

Registrar
Gurukula Kangri (Deemed to be University)
Haridwar-249 404 (Uttarakhand)
INDIA

For further information contact :

Tel. : 9309455455 (Toll Free)
E-mail : admissions@gkv.ac.in
Website : www.gkv.ac.in

Price : ₹ 100/-

उपलब्ध पाठ्यक्रम

स्नातक (ऑनर्स)

स्नातकोत्तर

पी.जी. डिप्लोमा

डिप्लोमा

सर्टिफिकेट

पी-एच.डी.

डी.लिट./डी.एस-सी.

Programmes offered

E

M

M M

M M

M

M

M

M

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार

(यू.जी.सी. एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

Tel. 9309 455 455 (Toll Free) Website: www.gkv.ac.in Email: admissions@gkv.ac.in